खंड 2
समकालीन वैश्विक मुद्दे

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 7 वैश्विक राजनीति और पर्यावरण

संरचना

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियां

7.3 पर्यावरण संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र

7.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक संस्थान

- 7.4.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)
- 7.4.2 सतत् विकास पर आयोग (सीएसडी)
- 7.4.3 वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)
- 7.4.4 सुधारों की आवश्यकता

7.5 चिंता का विषय

7.6 पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार

7.7 पेरिस जलवायु समझौता

- 7.7.1 पेरिस जलवायु समझौते के तहत लक्ष्य
- 7.7.2 पेरिस जलवायु समझौते की कार्य–प्रणाली
- 7.7.3 वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन की कूटनीति

7.8 भारत और पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताएं

7.9 सारांश

7.10 संदर्भ ग्रंथ

7.11 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप वैश्विक राजनीति और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझेंगे :

- पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां,
- संकट को कम करने के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम,
- सतत् भविष्य की दिशा में विकसित और विकासशील देशों द्वारा की गई पहल,
- संकट कम करने के लिए हम में से प्रत्येक को उपचारात्मक उपायों का पालन करना चाहिए।

7.1 प्रस्तावना

शीत युद्ध के दौर के विश्व ने जिन चुनौतियों का सामना किया वे राजनीतिक या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं थीं, जैसा कि अपेक्षित था, बल्कि पर्यावरण जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। तब तक माना जाता था कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में दुनिया सुरक्षित है। किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्यावरण के मुद्दे अन्य मुद्दों की अपेक्षा इतने विकराल हो जाएंगे। 1970 के दशक और उसके बाद आए पर्यावरण संबंधी कानूनों के बावजूद इसे कोई खतरा नहीं माना गया। शीत युद्ध के बाद के दौर के अधिकांश मुद्दे राजनीतिक एवं पूरी दुनिया में मुक्त बाजार वाली आर्थिक नीतियों की शुरुआत से संबंधित थे और इस तरह भूमंडलीकरण तत्कालीन सभी मुद्दों पर हावी हो गया। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कि 1992 में वैश्विक पर्यावरण संकट पर एक ऐतिहासिक और अग्रणी रिपोर्ट नहीं आई। इस अप्रत्याशित चुनौती को लेकर दुनिया जाग गई और इसके दुष्परिणामों का मुकाबला करने के तरीकों और साधनों पर विचार करना शुरू कर दिया। इस अवधि को पिछले दृष्टिकोणों से आगे बढ़ने और भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की दिशा में चिह्नित किया गया। यह इकाई कुछ आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या करती है ताकि पाठक पर्यावरण संकट के मुद्दे को समझ सकें।

7.2 आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियां

20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में दो विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध का बोलबाला था। इस कालखंड में आर्थिक विकास प्रमुख था, जिसमें सभी देश इस बात की रणनीति बना रहे थे कि आर्थिक रूप से कैसे विकास करें और अपने समृद्ध समकक्षों के स्तर तक पहुंचने में विकासशील देशों की कैसे मदद हो। विकास या आर्थिक विकास इस प्रतिमान का मूल–मंत्र, साधन और अंत बन गया। इसलिए विकसित और विकासशील, दोनों देश विकास में भागीदार बने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विकास का अर्थ केवल बुनियादी मापदंड नहीं था, इसका मतलब था लोगों की पसंद, चुनने की आजादी और बढ़ने की क्षमता। यह असीम विकास और व्यक्तियों की समृद्धि की दिशा में एक कदम होना चाहिए, यही विकास के समर्थकों द्वारा पेश किया गया प्रमुख दृष्टिकोण था। विकास करने की क्षमता को विकसित करने और उसका आकलन करने की प्रक्रिया में सभी देश इस तथाकथित लाभदायक काम का भागीदार बनने की दिशा में चल पड़े। कुछ देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और संयोग से यह वह समय था जब प्राकृतिक वातावरण भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया।

आर्थिक सरलीकरण की इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से वैश्वीकरण के रूप में जाना गया, जिसका उद्देश्य एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी संभावित मामलों का आदान–प्रदान करना था। इस तथ्य के बावजूद भी कि कई देशों के पास उनके जैसा बनने की क्षमता या संसाधन नहीं थे, विकास मॉडल मूलतः पश्चिमी थे। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक प्रणाली भी विफल थी जो मुख्य रूप से कई मामलों में असमान थी, जिससे अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब बन गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, शुल्क एवं व्यापार पर

सामान्य समझौता और अन्य आर्थिक उपाय विकासशील देशों के लिए विरोधी साबित हुए। आर्थिक विकास और समृद्धि इनमें से अधिकांश के लिए एक सपना बनकर रह गया। विकास के इस मॉडल के लालच ने इन देशों को अपने कई कीमती संसाधन खोने के लिए विवश कर दिया।

जैसा कि प्रख्यात अर्थशास्त्री अमिया बागची कहते हैं, "सही अर्थों में वैश्वीकरण सामान्य मानवीय भावना का अनुभव है और दुनिया भर से निकलने वाले प्रभावों से समृद्ध है। यह मानव इतिहास तक सीमित नहीं है। इसमें सभी महाद्वीपों या क्षेत्रों के लोग एक–दूसरे से अवगत हो रहे हैं और वस्तुओं, संयंत्रों और तकनीकों का एक–दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं''। वैश्वीकरण का मौजूदा चरण मुक्त व्यापार के अर्थ में अलग है और इसमें मुक्त बाजार उच्च कारक बन गया है। अत्यधिक उद्योगवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को मंदी और काम के बिगड़ते हालात की ओर बढ़ाया है। दुनिया तेजी से बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विकास दर का वितरण और रोजगार, बढ़ते अभाव और अनुपयोगिता के सवाल का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया आगे नहीं बढ़ रही है, विशेष रूप से विकास और समृद्धि हासिल करने की उम्मीद में खुद को डुबो देने वाले विकासशील देश गहरे संकट से बाहर निकलने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

विकास और संसाधनों के नुकसान के बारे में बढ़ती राजनीतिक चेतना के कारण जल्द ही एक–एक करके सभी देशों ने इसे महसूस किया और वैश्विक स्तर पर इन मुद्दों को हल करने और उपचारात्मक उपाय करने की मांग बढ़ी। 1972 की स्टॉकहोम घोषणा, जिसे भारत ने भी अनुपालन करने का आश्वासन दिया था, अचानक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण बन गया। संसाधनों का तेजी से ह्रास, ओजोन परत का क्षरण, लुप्त हो रहे जंगल, सूखती नदियां और लुप्त होते पशु एवं पौधे गंभीर मुद्दे बन गए। शायद यह पहली बार था जब इस कड़वी सच्चाई को लेकर दुनिया सचेत हुई और क्षति नियंत्रण के उपाय करने के लिए प्रेरित हुई। वर्तमान पर्यावरण संकट मानव जाति द्वारा पृथ्वी के सीमित संसाधनों के दोहन का परिणाम है। पर्यावरण पतन के आसन्न खतरे के साथ ही मानव जाति को आखिरकार एहसास हो गया कि पृथ्वी के पास सीमित संसाधन हैं। यह संकट वर्तमान भारी आबादी के अस्तित्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करने और भविष्य के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने की चुनौती पेश करता है, जिसमें मानव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसमें वैश्विक भागीदारी का होना, लुप्त हुए कुछ संसाधनों को बहाल करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास की शुरुआत थी।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें।

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें।

1. आर्थिक विकास की अवधारणा को परिभाषित करें। क्या यह सच है कि इससे पर्यावरण का क्षरण हुआ?

.....

.....

.....

7.3 पर्यावरण संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र

भागीदार देशों द्वारा कई आशंकाओं के साथ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। इसमें सामने खड़े इन मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान निकालने का आह्वान किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 114 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें दो राष्ट्रों के प्रमुखों, अर्थात् स्वीडन के ओलाफ पाल्मे और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। सम्मेलन का घोषणा–पत्र 26 सिद्धांतों का एक गैर–बाध्यकारी दस्तावेज था, जिसमें संसाधनों के संरक्षण में विकसित और विकासशील, दोनों देशों के साझा हितों का ध्यान रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत 21 के माध्यम से घोषित किया गया, जो संसाधनों पर राज्य के संप्रभु अधिकार पर जोर देता है और संसाधनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की बात कहता है। हालांकि सम्मेलन सभी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और कई मायनों में असंगत लग रहा था, लेकिन इसने दुनिया भर के राष्ट्रों द्वारा चिंताओं के समाधान की पहल की। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण बैठकों और संबंधित कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका को निर्धारित किया। भारत में भी श्रीमती गांधी ने पर्यावरण से संबंधित कई कानूनों को लागू किया। सन 1970 के शुरुआत में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं द्वारा शुरू की गई चिपको आंदोलन के बाद व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी।

स्टॉकहोम बैठक के बाद के घटनाक्रम में किसी व्यापक कार्य–योजना के अभाव में यह दिखावटी अधिक था, लेकिन डंपिंग, प्रजाति, प्रदूषण आदि पर हुए समझौते जैसे कुछ मामलों में सकारात्मक कार्य हुए। इनमें 1972 लंदन डंपिंग कन्वेंशन, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1973, विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन 1973, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 का वियना सम्मेलन, खतरनाक कचरे का अंतर–सीमाई गतिविधियां एवं उसके निपटान पर नियंत्रण 1989 प्रमुख हैं। सन 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'वर्ष 2000 और उसके आगे सतत विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरण संबंधी रणनीतियों के प्रस्ताव' के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग या ब्रून्डलैंड आयोग के रूप में विख्यात एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंभी ग्रो हार्लेम ब्रून्डलैंड को अध्यक्ष और 22 देशों के 23 विशेषज्ञ सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण का उपाय करने के लिए आयोग के हिस्से के रूप में चुना गया था। 'हमारा आम भविष्य' के रूप में ज्ञात आयोग की अंतिम रिपोर्ट 1987 में आई थी। इस बीच कई देशों ने अपने संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया और सामने आने वाली गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताओं की पहचान की और व्यापक समझौते किए और सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का वचन दिया। पर्यावरण पर कई प्रस्तावों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मुद्दे पर एक बड़ी वैश्विक बैठक बुलाने का फैसला किया। इसने पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे रियो शिखर सम्मेलन (उस

स्थान के नाम पर जहां यह सम्मेलन हुआ था) या पृथ्वी शिखर सम्मेलन (पृथ्वी ग्रह की चिंताओं पर आधारित नाम) के नाम से भी जाना जाता है।

रियो शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण में हो रही तेज गिरावट को रोकने, संसाधनों की सुरक्षा में राष्ट्रों की भागीदारी को बढ़ाने और सभी देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर काम करने का निर्णय लिया। इस पर 3 से 14 जून 1992 को यूएनसीईडी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई थी। इसमें 178 राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 1400 से अधिक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठन और कई पत्रकार शामिल हुए थे। सम्मेलन के अंतिम दिनों में रियो घोषणा–पत्र, एजेंडा 21 और वन सिद्धांतों के कथन समझौते को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) कुछ ऐतिहासिक परिणाम थे। इसमें यह भी तय किया गया था कि एजेंडा 21 से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखने के लिए पांच साल के भीतर एक समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

27 सिद्धांतों वाला रियो घोषणा–पत्र प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में मानव जाति के इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने न केवल भाग लेने वाले देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की, बल्कि इसके कार्यान्वयन सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठनों, युवाओं और विभिन्न स्वदेशी समुदायों को भी शामिल किया। जैसा कि लोरेन इलियट ने कहा है, 'घोषणा–पत्र और इसके सिद्धांतों को वैश्विक प्रभुत्व के बजाय राज्य संप्रभुता की अनिवार्यता द्वारा आकार दिया गया है और सुदृढ़ किया गया है। घोषणा–पत्र सतत विकास की अवधारणा और व्यवहार में पर्यावरण एवं विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कठिनाइयों का उदाहरण देता है।' (पृ. 19)।

40 अध्यायों वाला एजेंडा 21 एक गैर–बाध्यकारी समझौता है जो घोषणा–पत्र के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक व्यापक कार्य–योजना तैयार करता है। इसके सिद्धांतों में गरीबी से मुकाबला, उपभोग के तरीके, मानव स्वास्थ्य एवं पुनर्वास, भूमि संसाधन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, सूखा, स्थायी कृषि, जैव विविधता, महासागर, ताजा जल संसाधन, जल प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें इसके साथी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जो युवाओं, महिलाओं और गैर–सरकारी संगठनों के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक धन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संस्थागत व्यवस्था और क्षमता निर्माण जैसी प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार दे सकते हैं।

महासभा द्वारा न्यूयॉर्क के अपने विशेष सत्र में एजेंडे को फिर शामिल किया गया था। यह एक समीक्षा बैठक के साथ–साथ उन मुद्दों पर आगे की चर्चा के लिए एक आधार था, जो इन पांच वर्षों में महत्वपूर्ण हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उसी वर्ष क्योटो में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते की वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की गई, जिसे सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता था। इस बैठक में सभी देशों के अलग–अलग सुर थे और उत्सर्जन को लेकर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे हर देश को व्यक्तिगत रूप से लागू करना था। यह बिना किसी ठोस योजना की एक शिखर बैठक थी।

सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन साल 2002 में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस बैठक में सदस्य देशों से उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कहा गया था, जो मानव जाति के हित में हैं। कई मुद्दे अनसुलझे रह गए और इसके लिए राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी काफी हद तक स्पष्ट थी। यह राष्ट्रों के अधिक बयानबाजी और कम प्रतिबद्धताओं के साथ समाप्त हो गया।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पर्यावरण के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों का सारांश लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक संस्थान

बेहतर पर्यावरण प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। हालांकि, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को महत्वाकांक्षी रूप से तैयार किया गया है, जबकि वास्तविकता में प्रयासों को बेहतर सामंजस्य और समन्वय की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में स्थापित की गई कुछ एजेंसियों ने कई मुद्दों के समाधान में सराहनीय काम किया है।

7.4.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम के रूप में यूएनईपी का उदय हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में निर्धारित की गई गतिविधियों की निगरानी, समन्वय और पहल करना है। इसका काम वैश्विक पर्यावरण परिवर्तनों का समय–समय पर आकलन करना और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। यह सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों और प्रायोजकों के साथ मिलकर व्यापक तौर काम करता है जो पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यूएनईपी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिनमें जैव विविधता, ओजोन का क्षरण, मरुस्थलीकरण, विषाक्त अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, लुप्तप्राय प्रजातियों और निवास स्थान की देखभाल शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकासशील देशों को शुरू में यूएनईपी को लेकर संदेह था और उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की निकाय की स्थापना से उनके वित्तीय बोझ और प्रतिबद्धता में वृद्धि होगी। यूएनईपी सचिवालय कार्यकारी निदेशक के मार्गदर्शन में काम करता है, शासन परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को रिपोर्ट करता है और इसके माध्यम से महासभा को रिपोर्ट की जाती है। दुर्भाग्य से यूएनईपी के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। यह पर्यावरण से

संबंधित बहुपक्षीय समझौतों की सुविधा प्रदान करता है और वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण को इसके निर्देशन में प्रकाशित किया जाता है। यह गंभीर बजट समस्याओं का सामना करता है क्योंकि कोई भी देश उतना योगदान नहीं देता जितना उससे उम्मीद की जाती है। एजेंडा 21 द्वारा किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र के 179 सदस्य देशों में से केवल 75 देशों ने ही कोष में अपना योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण और उसकी बेहतरी की दिशा में काम करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूएनईपी अल्प वित्तपोषित, कम समर्थन वाला संस्थान है और इसे अनुपालन के स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं। यूएनईपी की गैर–कुशल कार्य–प्रणाली के पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी है।

7.4.2 सतत विकास पर आयोग (सीएसडी)

रियो शिखर सम्मेलन के बाद के परिदृश्य में कई देशों ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूएनईपी को मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरों ने महसूस किया कि एक नया संगठन स्थापित किया जा सकता है और स्पष्ट जनादेश और बेहतर वित्त पोषण के साथ उसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आगामी परिणाम सीएसडी की स्थापना था, ताकि कार्यक्रम को सशक्त करने पर कुशलतापूर्वक नजर रखी जा सके। सीएसडी का काम यूएनसीईडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच और निगरानी करना है। इसके अलावा, इसे संरक्षण के प्रयासों के लिए वित्त पोषण की समीक्षा और राष्ट्र राज्यों को आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यूएनईपी की तरह इसके पास प्रयासों को लागू करने की कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है। यह विषयगत रूप से काम करता है और किसी भी भ्रम से बचने के लिए यह कई मुद्दों को एक साथ लेकर चलने के बजाय एक समय में कुछ निश्चित मुद्दे ही उठाता है। जैसा कि इलियट बताते हैं, गरीबी उन्मूलन, उत्पादन और खपत जैसे कुछ मुद्दे सीएसडी द्वारा शामिल किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक व्यापक विषय है, जिनमें सबसे पहले पानी, स्वच्छता और मानव पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। आयोग का काम कमोबेश यूएनईपी से मिलता–जुलता है, क्योंकि इसने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है। जोहान्सबर्ग घोषणा–पत्र में राष्ट्रों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, अब तक आवश्यक प्रगति नहीं हुई है। फिर भी, राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी के कारण रियो के वादों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और कई सत्र बर्बाद हो गए। हालांकि, इसमें भी कार्यान्वयन प्राधिकरण का अभाव है और सीएसडी का अपने पूर्ववर्ती यूएनईपी के नक्शेकदम पर चलना जारी है।

7.4.3 वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

नवंबर 1990 में विश्व बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी द्वारा स्थापित जीईएफ का उद्देश्य नवाचार के लिए उन परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना है, जिनका लक्ष्य निवेश, तकनीकी सहायता और कुछ हद तक अनुसंधान के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण करना है (अल–अशरी, 1993)। मुख्य कार्यों में सभी तीन एजेंसियां शामिल हैं। हालांकि, यूएनडीपी तकनीकी सहायता और परियोजना की तैयारी पर ध्यान देता है, जबकि यूएनईपी तय लिए गए परियोजनाओं के लिए सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं के निवेश में जीईएफ का मूल कोष का उपयोग हो। अधिकांश

परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, क्योंकि स्थानीय परियोजनाओं का वित्तपोषण मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के हाथों में होता है। फिर भी, विकसित देश जीईएफ को एक ऐसी एजेंसी के रूप में देखते हैं जो वित्तपोषण के लिए उनसे प्रतिबद्धता लेती है, जबकि विकासशील राष्ट्र अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर बहुत इच्छुक नहीं दिखते हैं। वे चाहते हैं कि विकासशील देशों की चिंताओं को बेहतर तरीके से समायोजित करने के लिए जीईएफ का पुनर्गठन किया जाए। उनका मानना है कि यह विश्व बैंक के आदेश पर काम करता है और इसलिए इसकी पारदर्शिता पर जोर दिया जाए।

7.4.4 सुधारों की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर स्वयं को एक गैर–उत्तरदायी संगठन मानता है। इस पर सावधानीपूर्वक काम करने और इस अविश्वास को खत्म करने की आवश्यकता है।

प्रभावी समन्वय की कमी के कारण राष्ट्रों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए प्रयास को और बढ़ाने होंगे।

यूएनसीईडी को अपने कुछ संस्थानों के नवीनीकरण से संबंधित सुझाव मिले हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण और सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को मजबूत करना है।

एजेंसी के काम के बारे में एक रिपोर्ट संस्थागत विखंडन और सुसंगति की कमी को इंगित करता है, जिस पर गंभीरता से चर्चा और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

जिन दो मामलों पर वास्तव में काम करने की आवश्यकता है, उनमें सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक यूएनईपी को मजबूत करना शामिल है, जो पर्यावरण प्रबंधन, निगरानी और परियोजना कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकती है। एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी ग्रह के मुद्दों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वास्तव में गंभीर हों।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. वे कौन–से वैश्विक संस्थान हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 चिंता का विषय

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कल भी सबसे उपेक्षित मुद्दों में से एक था और आज भी है। पर्यावरण में गिरावट के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए योजनाबद्ध रणनीतियों और नीतियों को अपनाने के बावजूद, मानव के रूप में प्रकृति के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वायु, जल, भूमि संसाधनों जैसे पारिस्थितिक घटकों की सुरक्षा करना आवश्यक है। प्रकृति ने स्वयं ही मानव जाति को हमेशा दिया है। यह मनुष्य का लालच ही है जिसके परिणामस्वरूप गिरावट आई है। पर्यावरण में गिरावट मानव निर्मित आसन्न आपदा है। मानव जाति के कार्य, उसकी लापरवाही, खपत के तरीके, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने इस स्थिति में योगदान दिया है। 'मानव समाज की बढ़ती समृद्धि और इसके विकासात्मक कार्यों के कारण पारिस्थितिक घटकों – भूमि, जल, जंगल, वातावरण, निवास और संसाधनों को खतरा पैदा हो गया है।' कुछ क्षेत्र अभाव, सूखा, बाढ़ और वन आवरण में गिरावट से पीड़ित हैं। सभी प्रकार के औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक कचरे में बढ़ोत्तरी, वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर, जीवाश्म ईंधन जलाना, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का बढ़ता स्तर, औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन एवं उसके निपटान तंत्र की कमी के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में कुछ मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा को नीचे दिया गया है :

ओजोन परत में क्षरण

ओजोन परत में क्षरण और प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्परिणामों पर सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में व्यापक चर्चा की गई है। ओजोन परत के संरक्षण पर 1985 का वियना सम्मेलन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समझौते हैं। परिणामस्वरूप, दुनिया भर में ओजोन क्षय करने वाले रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा एक विशेष कोष बनाया गया है।

जलवायु परिवर्तन

रियो शिखर सम्मेलन के दौरान 1992 में राष्ट्रों द्वारा किए गए समझौतों में से एक जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन था। जीईएफ के तहत इस समस्या से निपटने में विकासशील देशों की सहायता के लिए धन भी उपलब्ध कराया गया है। क्योटो संलेख इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक संधि है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर लगातार काम करने के लिए लक्ष्य और समय निर्धारित करता है। जहरीली गैसों का उत्सर्जन मुख्य मुद्दा है, जो प्रदूषण के उच्च स्तर का सामना करने वाले अधिकांश देशों के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

वनों की कटाई

बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्रों का धीरे–धीरे गायब होना संरक्षण प्रयासों के लिए बड़ा खतरा है। रियो शिखर सम्मेलन ने वनों की कटाई के मुद्दे पर चर्चा की और देश राज्यों के लिए वन संरक्षण से संबंधित कुछ गैर–बाध्यकारी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। इसका दायित्व देशों पर है, ताकि वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए पेड़ों की कटाई को रोका जा सके, भले ही वे बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हों या गैर–बाध्यकारी समझौते पर। वन क्षेत्रों के संरक्षण में स्वाभाविक रूप से देशों के

अद्वितीय वनस्पतियों और वन्यजीवों का भी संरक्षण शामिल है। स्थानीय निकाय और गैर–सरकारी संगठन वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

मरुस्थलीकरण

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद 1994 में देश राज्यों द्वारा मरुस्थलीकरण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मरुस्थलीकरण से लड़ाई समझौता (कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन) के रूप में जाना जाता है। इसके लिए भागीदार राष्ट्रों को इस समझौते का पालन कैसे किया जाए, इसकी कार्ययोजना तैयार करने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रों को मरुस्थलीकरण के मुद्दों से संबंधित विकास सहायता से रेखांकन का विकल्प भी दिया गया था।

जैव विविधता का संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण में वन्यजीवों, वनों, वनस्पतियों, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्राकृतिक वातावरण में संतुलन बनाए रखना है तो किसी भी देश के लिए जैव विविधता का संरक्षण एक आवश्यक कदम है। जैव विविधता का नुकसान सभी प्राणियों के जीवन का नुकसान है। जैव विविधता पर 1992 के रियो सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा भी राष्ट्र राज्यों को धन के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है। वन्यजीव और आवास संरक्षण आज दुनिया की प्रमुख चिंताएं हैं।

ताजा जल संसाधन

बढ़ती गर्मी के कारण नदियों का सूखना आज एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि वर्षा जल और अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन मानव और निवास स्थान के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। शहरी जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले मुद्दों में से एक जल संसाधनों की कमी है। बढ़ती आबादी और ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में पलायन संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है और इनमें से पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। वाटरशेड प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का संरक्षण आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर–नौगम्य उपयोगों पर सम्मेलन में चर्चा की गई है, लेकिन राष्ट्र राज्यों की ओर से प्रतिबद्धता के मुद्दों के कारण यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं बन पाया है।

समुद्री संसाधनों का संरक्षण

समुद्री संसाधन संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जल जीवों के जीवन की रक्षा करना है। समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएन कन्वेंशन ऑफ सीज) के कानून में स्पष्ट रूप से इस पहलू के बारे में नियम और कानून मौजूद हैं। बढ़ते जल स्तर व समुद्री जल प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और व्हेल की हत्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। विभिन्न देशों के तटीय क्षेत्रों से गायब होती प्रवाल भित्तियां चिंता के कारण हैं। समुद्री संसाधनों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पशु आवास और पृथ्वी पर अन्य जीवित प्रजातियों का संरक्षण है। जिन राष्ट्रों में व्यापक तटीय क्षेत्र हैं, उन्हें समुद्री संसाधन संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाने चाहिए।

उपरोक्त मुद्दे और उनका समाधान निकालने के लिए जो पहल की गई है, वह सराहनीय है। एक तरह से, यह राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से इन चिंताओं को दूर करने और सामूहिक रूप से इसका मुकाबला करने का प्रयास एक बड़ी पहल थी। बाध्यकारी समझौतों के लिए राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी और कम उत्साही प्रतिक्रिया हतोत्साहित करने वाला है, लेकिन कुछ संबंधित राष्ट्रों की ओर से कुछ पहल इच्छा की बात कहता है। 'यह वैश्विक मुद्दा उभरा और आगे बढ़ा इसके लिए विज्ञान, सरकार, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज के अपेक्षाकृत छोटे अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता समुदाय का साधुवाद है। वास्तव में उन्होंने आगे आने के अवसर उपलब्ध कराए और ऐसे अवसर बनाए ताकि सरकारों के पास काम करने के अलावा कम विकल्प हों' (जेम्स गुस्ताव स्पेथ)।

7.6 पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार

राष्ट्र राज्यों द्वारा अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं। इस सुरक्षा का क्या अर्थ है? क्या यह शारीरिक खतरों के खिलाफ है? चोरी और सेंधमारी से? या ये मुद्दे जीवन के सामाजिक–सांस्कृतिक पहलू से बढ़ रहे हैं? क्या वे नौकरी की सुरक्षा से संबंधित हैं? यह इन सभी का मिला–जुला और इससे भी कुछ अधिक है। सुरक्षा के उपरोक्त मुद्दों पर अक्सर चर्चा और कार्रवाई की जाती है। लेकिन, पर्यावरण सुरक्षा का क्या? कौन हमें और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करेगा? स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन पहल करेगा? यह किसकी जिम्मेदारी है? ये कुछ प्रासंगिक सवाल हैं।

पर्यावरण सुरक्षा – पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के छोटे और दीर्घकालिक विध्वंस, प्रकृति के लिए मानव निर्मित खतरों और प्राकृतिक पर्यावरण की गिरावट से बचाना है। विकासशील देशों में स्वच्छ जल संसाधनों की अनुपलब्धता सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि भी एक गंभीर मुद्दा है, जो दुनिया भर में मौसम की स्थिति में संतुलन के लिए खतरा है।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार बेहतर मानव आवास, स्वच्छ पानी, हवा और मिट्टी की आवश्यकता का आश्वासन है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले विषाक्त पदार्थों या खतरों से मुक्त होता है। एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के तहत हर कोई स्वस्थ वातावरण में रहने और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पाने का हकदार है। राज्यों का दायित्व है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार को सुनिश्चित करें। इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक उपाय करने की भी आवश्यकता है। हालांकि, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये प्रयास मुख्य रूप से वित्तीय और विशेष रूप से विकासशील देशों में संसाधनों की कमी के कारण प्रायः बाधित होते हैं। स्टॉकहोम घोषणा–पत्र के सिद्धांत–1 ''एक उच्च वातावरण में, जिसमें सम्मान और भलाई के साथ जीवन की अनुमति हो, स्वतंत्रता, समानता और जीवन की पर्याप्त परिस्थितियों का मौलिक अधिकार (मनुष्यों के लिए) देता है।'' स्टॉकहोम घोषणा–पत्र का सिद्धांत–7 कहता है कि राज्यों को ऐसे पदार्थों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक मनुष्य को ''जीवन का अंतर्निहित अधिकार'' है और ''पर्यावरण और औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं में सुधार'' के माध्यम से सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से उच्चतम मानक के तहत आनंद उठाने का अधिकार है।

भारत में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का संदर्भ भाग III, संविधान के भाग IV में वर्णित मौलिक अधिकारों में या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी प्रत्यक्ष तौर नहीं मिलता है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा कुछ अधिकारों की पुनर्व्याख्या कर पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए इस पहलू को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार में स्वस्थ वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण और एक पर्यावरण जिसमें पारिस्थितिक संतुलन राज्य द्वारा संरक्षित हो, रहने का अधिकार शामिल है। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 48ए के सम्मिलन के माध्यम से राज्य की नीति के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सुधार को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51ए (जी) प्रत्येक नागरिक पर ''वन, झील, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया–भाव रखने की समान जिम्मेदारी डालता है।'' संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की व्याख्या एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और आजीविका के अधिकार के रूप में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निहित कई निष्पक्ष स्वतंत्रता को मान्यता दी है। यह दूसरी विधि है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को शामिल करते हुए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की है। (न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, मानवाधिकार और पर्यावरण)" http://supremecourtofindia-nic-in/new_links/humanrights-htm½

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पर्यावरण सुरक्षा पर एक संक्षिप्त लेख लिखें?

.....

.....

.....

.....

.....

7.7 पेरिस जलवायु समझौता

दिसंबर 2015 में पेरिस में 195 से अधिक देशों की बैठक हुई। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत देशों (सीओपी 21) का 21वें सम्मेलन का अवसर था। दो सप्ताह के लंबे विचार–विमर्श के बाद भाग लेने

वाले देश एक आम सहमति पर पहुंचे। ऐतिहासिक सहमति तीन बिंदुओं पर बनीः (i) जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधि से प्रेरित है, (ii) यह पर्यावरण और मानव जाति के लिए खतरा है और (iii) वैश्विक कार्रवाई की तुरंत आवश्यकता है। पेरिस समझौते ने सभी देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रूपरेखा भी बनाई। पेरिस जलवायु समझौता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है :

i. मानवजनित उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है

तीन गैस – कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, वायुमंडल में एकत्रित होते हैं और गर्मी को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण करने से रोकते हैं और जो निर्माण करते हैं वह ग्रीनहाउस गैस प्रभाव कहलाता है। इस विषय का अध्ययन करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज – आईपीसीसी) के अनुसार, गर्मी रोकने वाली इन ग्रीनहाउस गैसों का संकेंद्रण पहले की अपेक्षा अनसुने स्तर तक बढ़ गई है। ग्रीनहाउस गैसों के संकेंद्रण के कई स्रोत हैं, जिनमें जीवाश्म ईंधनों का जलना एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई और वन क्षरण भी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि करता है।

ii. बढ़ता तापमान पर्यावरण और मानव जाति के लिए खतरा है

आईपीसीसी ने कहा है कि पृथ्वी एक बड़े बदलाव (टिपिंग प्वॉइंट) की ओर बढ़ रही है। गर्म तापमान – भूमि और समुद्र दोनों पर– वैश्विक मौसम के स्वरूप में बदलाव करते हैं और कैसे व कहां वर्षा होगी इसमें शीघ्रता करते हैं। ये बदलते स्वरूप खतरनाक और घातक सूखा, लू, बाढ़, जंगल की आग और हरिकेन सहित तूफान को तीव्र करते हैं। वे बर्फ के आवरण, ग्लेशियर और बर्फ के मोटी परतों को भी पिघलाते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और तटीय कटाव हो सकता है।

तापमान और मौसम की चरम घटनाओं में वृद्धि मनुष्यों और सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाल देती है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक गर्मी हृदयाघात से मौतों और श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि करती है। भारतीय शहर अहमदाबाद में मई 2010 में लू के कारण 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उच्च तापमान अधिक धुंध, पराग और वायु जनित एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों में वृद्धि कर वायु की गुणवत्ता को कम करता है और इससे अस्थमा हो सकता है, जिससे दुनिया भर के 235 मिलियन लोग प्रभावित हैं। बहुत से निम्न पायदान वाले और गरीब विकासशील देश, जिनके पास जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सामंजस्य बैठाने के संसाधन नहीं हैं, वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बच नहीं सकता है। साल 2008 में इसके राष्ट्रपति ने समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण द्वीप के रहने योग्य नहीं रहने पर आबादी को स्थानांतरित करने के लिए कहीं और जमीन खरीदने की योजना की घोषणा की थी।

iii. ग्लोबल वार्मिंग को केवल वैश्विक कार्रवाई से कम किया जा सकता है

सामूहिक वैश्विक कार्रवाई समय की मांग है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके ही जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सकता है। वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि अस्वीकार्य जोखिम होगी और इसका

परिणाम संभावित रूप से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने, अधिक गंभीर सूखा, तूफान और आर्कटिक का जल क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में होगा। इसलिए, पेरिस समझौते ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अंतिम लक्ष्य को इस सदी के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया है।

7.7.1 पेरिस जलवायु समझौते के तहत लक्ष्य

वैश्विक जलवायु कार्रवाई का स्वरूप 32 पृष्ठों में रेखांकित है जिसके तीन मुख्य भाग हैं : (i) जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में कमी लाना, (ii) जलवायु लक्ष्यों की पारदर्शी संप्रेषण व मजबूती और (iii) विकासशील देशों के लिए समर्थन। इन तीनों तत्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

i. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करना

''जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और खतरों को बहुत कम करने'' के प्रयास के तहत यह समझौता इस सदी में औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रखने की बात कहता है, जबकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास जारी है। यह देशों को जल्द–से–जल्द वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समान स्तर तक लाने का प्रयास करने और सदी की दूसरी पारी तक कार्बन मुक्त हो जाने के लिए कहता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार 186 देशों ने अपने राष्ट्रीय कार्बन कटौती लक्ष्य को प्रस्तुत किया। ये लक्ष्य 2025 या 2030 तक उत्सर्जन (कार्बन सिंक के संरक्षण के माध्यम से) को रोकने के लिए प्रत्येक देश की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्थानुसार और व्यक्तिगत तौर पर 2,250 शहरों व 2,025 कंपनियों की कार्बन कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

उत्सर्जन में कैसे या कितना कटौती करनी चाहिए, इसके बारे में देशों को कोई विशेष मांग नहीं है, लेकिन खासतौर पर विकसित अर्थव्यवस्था के उत्सर्जनकर्ताओं से उच्च राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रीय योजनाएं काफी हद तक विस्तार और महत्वाकांक्षा में भिन्न होती हैं, जो मुख्य रूप से किसी देश की क्षमताओं, विकास के स्तर और उत्सर्जन में योगदान को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने 2005 के स्तर से उत्सर्जन की सीमा को 33 से 35 प्रतिशत कम करने और 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

ii. पारदर्शिता, जवाबदेही और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना

पेरिस समझौते में देश के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी, सत्यापन और सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के अनिवार्य उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। पारदर्शिता नियम उन राष्ट्रों को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं जिनमें अपेक्षित क्षमता का अभाव है। अन्य आवश्यकताओं के बीच, देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों की सूची और लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को बताना आवश्यक है, ताकि बाहर के विशेषज्ञ सफलता का मूल्यांकन कर सकें। देशों से 2020 तक अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराने और हर

पांच साल में नए लक्ष्य सामने रखने की उम्मीद की जाती है। इस बीच, विकसित देशों को यह भी अनुमान लगाना होगा कि वे उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार तालमेल बैठाने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित करेंगे। यह पारदर्शिता और जवाबदेही प्रावधान सहकर्मी समूह की निगरानी और तेजी से लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव की प्रकृति में है।

iii. विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन को कम करने और सामंजस्य बैठाने के लिए समर्थन जुटाना

कई विकासशील देशों और छोटे द्वीप देशों ने जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन वे इसके परिणामों से सबसे अधिक पीड़ित हो सकते हैं। पेरिस समझौते में विकसित एवं अन्य देशों के लिए एक योजना शामिल की गई है, ताकि जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के प्रयासों में मदद के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन मिलता रहे। वर्ष 2009 के कोपेनहेगन समझौते ने विकासशील देशों को 2020 तक 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष की वित्तीय प्रतिबद्धता उपलब्ध कराया था। पेरिस समझौते ने इस उम्मीद को स्थापित किया कि 2020 तक 100 अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ दुनिया 2025 तक एक उच्च वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी और इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी।

हालांकि, विकासशील देशों के कटौती और सामंजस्य बैठाने के प्रयासों के लिए एक विशिष्ट राशि का योगदान करने के लिए विकसित देश कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तपोषण को बताना भी आवश्यक है।

7.7.2 पेरिस जलवायु समझौते की कार्य–प्रणाली

समझौते के प्रभावी होने के लिए कम–से–कम ऐसे 55 राष्ट्रों का शामिल होना आवश्यक था, जो वैश्विक उत्सर्जन का कम–से–कम 55 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हों। यह समझौता 5 अक्टूबर 2016 को हुआ और 30 दिन बाद 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। वर्तमान में 197 देशों ने पेरिस समझौते को अपनाया है, जिनमें धरती के प्रत्येक देश शामिल हैं और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता युद्ध–ग्रस्त सीरिया है। इनमें से अमेरिका सहित 179 देशों ने समझौते को औपचारिक मंजूरी दी। प्रमुख उत्सर्जक देश जो औपचारिक रूप से इस समझौते में शामिल होने बाकी हैं, वे रूस, तुर्की और ईरान हैं।

पेरिस समझौते का लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। अध्ययनों से पता चलता है कि अलग–अलग देशों ने जो वादे किए हैं, वे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके बजाय, जिन देशों ने लक्ष्य रखा है वे भविष्य के तापमान में 2.7 और 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा, जिस तरह से कई देश प्रदर्शन कर रहे हैं, वे पहले ही अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं से पीछे हैं। उम्मीद है कि समय के साथ देश उत्सर्जन स्तर में अपने प्रयासों को बढ़ावा देंगे।

अमेरिका ने औपचारिक रूप से समझौते को राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से अपनाया था। समझौते ने अमेरिका पर कोई नया दायित्व नहीं थोपा, इसके बावजूद कार्बन प्रदूषण में कटौती करने के लिए कांग्रेस द्वारा कई घरेलू कानून पारित किए गए। यूएस औपचारिक रूप से सितंबर 2016 में समझौते में शामिल हुआ। साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो वह अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर लाएंगे। 'क्लाइमेट डेनायर' उम्मीदवार ट्रम्प ने जलवायु परिवर्तन को चीन का एक "छल" बताया था। जीत के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी। हालांकि, अमेरिका के अलग होने में कम–से–कम तीन साल लगेंगे। पेरिस समझौते के प्रावधानों के तहत, किसी भी देश को इस समझौते से अलग होने की औपचारिक घोषणा करने से पहले कम–से–कम तीन साल तक वहां इस समझौते का लागू रहना आवश्यक है। उसके बाद, वास्तव में संधि से अलग होने से पहले एक साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन बाद यानी 4 नवंबर 2020 तक समझौते से बाहर निकल सकता है। विशेषज्ञों का विचार है कि औपचारिक रूप से अलगाव भी स्थायी नहीं होगा। भावी राष्ट्रपति एक महीने की सूचना देकर फिर से इस समझौते से जुड़ सकते हैं। इस बीच, अमेरिकी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में भाग लेते रहे हैं, ताकि पेरिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, इसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और राज्य एवं स्थानीय सरकार की पहल एवं आंदोलन गहरा और कार्रवाई तेज होती जा रही है। देश को समझौते से अलग करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्णय के बावजूद इनमें से प्रत्येक प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका को पेरिस समझौते के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर केंद्रित रख रहा है।

7.7.3 वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन की कूटनीति

पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दशकों से जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की परिणति है। साल 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज – यूएनएफसीसीसी) सहित कई पर्यावरण संबंधी समझौतों को अपनाया था, जो आज भी प्रभावी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य दीर्घावधि में पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था। इसने देशों के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सीमा निर्धारित नहीं की और ना ही प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध कराया। इसके बजाय, इसने भविष्य के समझौतों या संलेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की एक रूपरेखा स्थापित की, ताकि बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। वर्ष 1992 के बाद से भाग लेने वाले देश अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए दलों के सम्मेलन (सीओपी) में सालाना मिलते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सर्वोत्तम तरीकों पर बातचीत जारी रखते हैं।

ऐतिहासिक पर्यावरण संधि क्योटो संलेख को 1997 में जापान में सीओपी–3 में अपनाया गया था। क्योटो संलेख का महत्व यह है कि पहली बार देशों ने कानूनी रूप से अनिवार्य, देश आधारित उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की। साल 2005 में लागू हुए संलेख ने केवल विकसित देशों के लिए इस आधार पर बाध्यकारी

उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए कि वे पृथ्वी के अधिकांश उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन समझौते की पुष्टि नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि इस समझौते से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा क्योंकि चीन और भारत जैसे विकासशील देश इसमें शामिल नहीं हैं। इस प्रकार तीन प्रमुख अर्थव्यवस्था इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए क्योटो संलेख ने केवल मामूली उत्सर्जन लक्ष्य हासिल किए।

क्योटो संलेख की प्रारंभिक प्रतिबद्धता अवधि 2012 तक बढ़ाई गयी और फिर कतर के दोहा में सीओपी–18 में इसे 2020 तक बढ़ाया गया था। कई विकसित राष्ट्र अपनी क्योटो प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए थे। फिर भी, 2011 में डरबन में सीओपी–17 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए डरबन में 2015 तक एक नई और व्यापक जलवायु संधि पर सहमति व्यक्त की गई थी जिसमें चीन, भारत और अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जक देश शामिल किए जाएंगे, जो क्योटो संलेख में शामिल नहीं थे। डरबन में ली गई प्रतिज्ञा का परिणाम पेरिस जलवायु समझौता, 2015 के रूप में समापन हुआ। पेरिस समझौता साल 2020 तक क्योटो संलेख की जगह लेगा।

क्योटो संलेख और पेरिस जलवायु समझौते में कुछ उल्लेखनीय अंतर हैं।

i) क्योटो संलेख में सिर्फ विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है, साथ ही इसका अनुपालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। पेरिस समझौते के लिए आवश्यक है कि अमीर, गरीब, विकसित और विकासशील, सभी देश अपने हिस्से का काम करें और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करें।

ii) पेरिस समझौते को अधिक लचीला बनाया गया हैः समझौते में देशों की प्रतिबद्धताओं के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्र स्वेच्छा से अपने उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) कहा जाता है। इसके अलावा, देशों को अपने प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने पर दंड नहीं देना होगा। हालांकि, पेरिस समझौते को व्यापक उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रयास में देशों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक लक्ष्य की निगरानी, प्रस्तुतीकरण और पुनर्मुल्यांकन आवश्यक है। समझौता के अनुसार, देशों को हर पांच वर्ष में अपने अगले लक्ष्य की घोषणा करना है, जो कि क्योटो संलेख के विपरीत है, जिसमें सामयिक लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया था।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पेरिस जलवायु समझौता क्या है? इसके मुख्य लक्ष्य की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

7.8 भारत और पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताएं

पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने अपने लिए तीन लक्ष्य निर्धारित किए थे। इनमें दो लक्ष्य को 2030 की समयसीमा के आगे प्राप्त करने की संभावना है। पेरिस समझौते के तहत तीन प्रतिबद्धताएं हैं: (i) सकल घरेलू उत्पाद की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 2005 के स्तर से 33–35: कम हो जाएगी। (ii) भारत की ऊर्जा–शक्ति का चालीस प्रतिशत गैर–जीवाश्म ईंधन संसाधनों से आएगा। (iii) भारत 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ–2) के बराबर अतिरिक्त कार्बन अवशोषक स्थापित करेगा।

दिसंबर 2018 में यूएनएफसीसीसी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 2030 की समयसीमा से पहले अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता की हिस्सेदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। हालांकि, एक अतिरिक्त कार्बन अवशोषक बनाने के लिए वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी के अपने तीसरे लक्ष्य से पीछे रह गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2014 में 2: से अधिक की वार्षिक औसत सुधार के साथ 2005 के स्तर से 21: कम हो गई है। वैश्विक उत्सर्जन में भारत की सिर्फ 7: हिस्सेदारी है। प्रति व्यक्ति शर्तों के हिसाब से इसका उत्सर्जन अभी भी बहुत कम है और 2014 के अनुसार केवल 2.5 जब्2म प्रति व्यक्ति है।

मार्च 2018 तक, इसकी क्षमता का 35: अक्षय ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु जैसे गैर–जीवाश्म ईंधन पर आधारित था। भारत वास्तव में अपनी ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरण के अनुपात को बढ़ाकर अपनी प्रतिबद्धताओं से आगे जा रहा है।

अक्षय ऊर्जा पर भारत की आक्रामक नीति मुख्य रूप से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने के घरेलू प्रोत्साहन से प्रेरित है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत का वायु प्रदूषण स्तर घरेलू संकट बन गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण के कारण साल 2017 में लगभग 1.24 मिलियन लोगों की मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के स्तर वाले 12 शहरों में से 11 भारत में हैं।

दूसरा, घरों में ऊर्जा की बड़ी जरूरतों के कारण भी नवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 30 मिलियन से अधिक घर अभी भी बिना बिजली के हैं और अपने सभी नागरिकों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

अंत में, भारत सौर ऊर्जा उद्योग में अग्रणी होने से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहा है। नीतिगत प्रोत्साहन और तकनीकी नवाचारों के मिश्रण ने 2017–18 में दो वर्षों के अंदर अक्षय ऊर्जा की लागत को लगभग 50 प्रतिशत कम कर दिया है। इस क्षेत्र में इसका अपना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और इस प्रक्रिया में और अधिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगा। भारत एक विशाल विकासशील देश है जो अभी भी औद्योगिकीकरण कर रहा है, लेकिन स्थायी रूप में। भारत ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित किया है: वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) सौर ऊर्जा, 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा और 15 गीगावॉट

अतिरिक्त बायोमास एवं छोटे पनबिजली को स्थापित करना और इस प्रक्रिया में 330,000 नई नौकरियां उत्पन्न करना शामिल है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से 2018 तक आठ गुना बढ़ी (2.63 गीगावॉट से 22 गीगावॉट) और इसी अवधि में इसकी पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावॉट से बढ़कर 34 गीगावॉट हो गई। इससे कुल 70 गीगावॉट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता मिलती है। देश का लक्ष्य 2022 तक 227 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके समानांतर भारत ने 2018 की पहली छमाही तक अपने लगभग 25: कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया था।

जलवायु परिवर्तन और पेरिस प्रतिबद्धताओं के लिए भारत का दृष्टिकोण यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के सिद्धांतों और प्रावधानों, विशेष रूप से सामान्य और समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमता (सीबीपीआर–आरसी) द्वारा निर्देशित है। भारत पेरिस समझौते को सामूहिक रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पेरिस जलवायु समझौते पर बनी सहमति के तहत विकासशील देशों की कार्रवाइयों को वित्त, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों के माध्यम से विकसित देशों सहयोग करें। समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत का मतलब है कि जो लोग अधिक प्रदूषित करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करते हैं, उनके पास जलवायु परिवर्तन को कम करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सबकी जिम्मेदारी है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 6

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और उन्हें प्राप्त करने में इसकी प्रगति पर एक लेख लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

7.9 सारांश

पर्यावरण नियमन के मुद्दों को संभालना बहुत कठिन है। विशेष रूप से ऐसा तब होता है जब सामूहिक चर्चा और कार्रवाई होती है। दुनिया पूरी तरह विरोधाभासी स्थिति में जी रही है। एक ओर, नागरिकों को जीवन और जीवन स्तर प्रदान करने की राष्ट्रीय मजबूरियां हैं। दूसरी ओर, ऐसे दायित्व हैं जिनमें राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक आवास बरकरार रहे। दुविधा में पड़कर अधिकांश देश, खासकर विकासशील देश, आपदा की ओर और अधिक बढ़ रहे हैं। अनियंत्रित विकास प्रायः संसाधन प्रबंधन के लिए बाधक होते हैं। क्या चुनना है और क्या छोड़ना है यह चिंता

का एक प्रमुख विषय है। 21वीं सदी ने कई चुनौतियों को देखा, लेकिन उन्हें हल करने का कई अवसर भी दिया है। जैसा कि इलियट बताते हैं कि यह पर्यावरण की देखभाल, ग्रहों के प्रतिमान, पर्यावरण क्रांति वाले नई विश्व का आह्वान है। इसमें पारिस्थितिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय प्रतिष्ठा और मानव सुरक्षा पर जोर देने की एक मजबूत मान्यता शामिल है।

7.10 संदर्भ ग्रंथ

इलियट, लोर्रेन, (2004), *दि ग्लोबल पोलिटिक्स ऑफ दि इन्वायरमेंट,* न्यू यॉर्क : पालग्रेव मैकमिलन। हेवूड, वी. एच. एण्ड के. गार्डनर, ऐडिटर्स (1995), *ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ऐसेसमेंट,* कैम्ब्रिज : यूएनईपी एण्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस।

खोर, मार्टिन, (2001), ''ग्बलाइजेशन एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट : दि च्वाइसेज बिफोर रियो+10'' *इंटरनेशनल रिव्यू फॉर इंवायरमेंट स्ट्रैटजीज,* वॉल्यूम–2, नंबर–2

साच्स, वॉल्फगेंग, (1999), *प्लांट डयलेक्टिक्स : इक्स्प्लोरेशंस इन इन्वायारमेंट एण्ड डेवलपमेंट,* लन्दन : जेड बुक्स।

स्पेथ, जेम्स गस्टेव, (2004), *ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंजेज, ट्रांजिशंस टू ए सस्टेनेबल वर्ल्ड,* येल : येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

स्ट्रॉंग, मॉरिस (2001), *व्हैर ऑन अर्थ आर वी गोइंग,* न्यू यॉर्क : टैक्सेयर

वॉल्र, जे., (2005), ''इन्वायरमेंटल इश्यूज'' इन बेलिस एण्ड एस स्मिथ, ऐडिटर्स *दि ग्लोबलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स : ऐन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस,* न्यूडेल्ही : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

वाय. के. सब्बरवाल, ह्यूमन राइट्स एण्ड दि इन्वायरमेंट,
http://supremecourtofindia.nic.in/ new_links/humanrights.htm

इकाई 8 सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार की चुनौतियां

संरचना

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी)

8.2.1 जैविक हथियार

8.2.2 रासायनिक हथियार

8.2.3 परमाणु हथियार

8.3 अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था

8.3.1 आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी)

8.3.2 फिशाइल मटीरियल कट–ऑफ ट्रीटी (एफएमसीटी)

8.3.3 अप्रसार संधि (एनपीटी)

8.3.4 व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)

8.4 चुनौतियां और भविष्य की राहें

8.5 सारांश

8.6 संदर्भ ग्रंथ

8.7 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित को समझने में सक्षम हो जाएंगेरू

- सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के प्रकार और प्रकृति का वर्णन और विश्लेषण करना;
- विभिन्न संधियों और संस्थानों को समझना और उनका विश्लेषण करना जोडब्ल्यूएमडीके प्रसार के नियंत्रण और निषेध को लागू करने के लिए हैं; तथा
- ऐसे हथियारों के प्रसार को रोकने के रास्ते में आने वाली कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां।

8.1 प्रस्तावना

अंतरराष्ट्रीय समुदाय रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु उपकरणों के जानबूझकर उपयोग को असाधारण रूप से प्रतिशोधी मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों के परमाणु बमबारी के बाद से,

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तरह के हथियारों के उपयोग के भयावह प्रभाव का एहसास हुआ है। इन हथियारों का डर इतना गहरा है कि यह एक तरफ, संघर्ष और संघर्ष प्रबंधन की एक पूरी तरह से नई अवधारणा के रूप में सामने आया। दूसरी ओर, इसने ऐसे हथियारों के उपयोग और प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए कानूनों, संधियों, समझौतों और मानदंडों के एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला की स्थापना का भी नेतृत्व किया। इन प्रयासों के बावजूद, डब्ल्यूएमडीके प्रसार और सीमित उपयोग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है। इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल का डर अभी भी बना हुआ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अप्रसार के प्रयास अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए, विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूएमडीके प्रसार के लिए चुनौतियों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

8.2 सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी)

डब्लूएमडी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक हथियार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में जीवित प्राणियों की अंधाधुंध हत्या करने की क्षमता होती है। इसमें परमाणु, जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल हथियार शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन रहे हैं।

डब्ल्यूएमडीको ऐसे हथियार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर मौत और विनाश को भड़काने की क्षमता है और इतनी अंधाधुंध कि शत्रुतापूर्ण शक्ति के हाथों इसकी बहुत ही उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। सामूहिक विनाश के आधुनिक हथियार परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियार हैं। (ब्रिटानिका इनसाइक्लोपीडिया)।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र (यूएनआरसीपीडी) में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय केंद्र के अनुसार, "डब्ल्यूएमडीएक ही क्षण में, लाखों नागरिकों की हत्या, प्राकृतिक वातावरण को खतरे में डालने और मूल रूप से परिवर्तन करने की क्षमता के साथ हथियारों का एक वर्ग बनाते हैं। दुनिया और उनके विनाशकारी प्रभावों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों का जीवन" (सामूहिक विनाश के हथियार, http://unrcpd-org/wmd/)।

यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन के अनुसार, ''डब्ल्यूएमडीसामग्री, हथियार, या उपकरणों को संदर्भित करता है जो कि (या कारण पैदा करने में सक्षम हैं) मृत्यु, या गंभीर शारीरिक चोट के कारण रिहाई, प्रसार या प्रभाव के माध्यम से लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करते हैं। जहरीले या जहरीले रसायनों या अग्रदूतों, एक रोग जीव, या विकिरण या रेडियोधर्मिता, सहित (लेकिन सीमित नहीं) जैविक उपकरणों, रासायनिक उपकरणों, तात्कालिक परमाणु उपकरणों, रेडियोलॉजिकल फैलाव उपकरणों, और रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर डिवाइसों के लिए'' (https: www-fbi - gov/जांच/wmd)

शब्द 'सामूहिक विनाश का हथियार' कम से कम 1937 से इस्तेमाल किया जा रहा है, जब इसका इस्तेमाल बमवर्षक विमानों के सामूहिक निर्माण का वर्णन करने के लिए किया गया था। हवाई बमबारी से गुएर्निका, स्पेन के बड़े पैमाने पर विनाश के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया था। बाद में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों

पर परमाणु बम गिराने से हजारों लोगों की जान चली गई, इस तरह के हथियारों के विनाशकारी प्रभाव मानवता के लिए हो सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ के परिणामस्वरूप अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य प्रमुख शक्तियां बन गईं, जिनमें दसियों हजार परमाणु बम, मिसाइल वॉरहेड और अन्य शामिल थे। एक ही समय में दोनों महाशक्तियों ने रासायनिक और जैविक हथियारों के भंडार को भी अधिग्रहित किया – दो अन्य प्रमुख प्रकार के आधुनिक डब्लूएमडी। वास्तव में, उस युग के सैन्य और राजनयिक गतिरोध को कभी–कभी ''आतंक का संतुलन'' कहा जाता था। शीत युद्ध के बाद की अवधि में सभी डब्लूएमडी के आसपास प्रमुख चिंता का विषय रहा है, अर्थात्, कम शक्तियों, ''दुष्ट राज्यों'' या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के लिए इस तरह के हथियारों का उत्पादन करने और वितरित करने के साधन प्राप्त करने की क्षमता। इस वाक्यांश ने 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण के संबंध में लोकप्रिय उपयोग किया।

सामान्य मुख्य तौर पर तीन महत्वपूर्ण प्रकार के डब्ल्यूएमडी होते हैं:

8.2.1 जैविक हथियार

जैविक हथियारों में प्राकृतिक विष या संक्रामक एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक होते हैंय आबादी वाले क्षेत्रों पर छिड़काव या फटने से वे एंथ्रेक्स, न्यूमोनिक प्लेग या चेचक जैसी घातक बीमारियों के सीमित लेकिन गंभीर प्रकोप का कारण बन सकते हैं। जैविक डब्ल्यूएमडी का उपयोग पहली बार अमेरिका में 1763 में किया गया था जब ब्रिटिश अधिकारियों ने चेचक के साथ कंबल वितरित करने की योजना बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के इलाकों में प्लेग से संक्रमित जूँ फैलाने के बाद से जैविक हथियारों का उपयोग आधुनिक युद्ध में नहीं किया गया है।

जैविक हथियार जटिल प्रणालियां हैं जो मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग पैदा करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार करती हैं। वे आम तौर पर दो भागों से मिलकर बने होते हैं – एक हथियारबंद एजेंट और एक वितरण तंत्र। रणनीतिक या सामरिक सैन्य अनुप्रयोगों के अलावा, जैविक हथियारों का इस्तेमाल राजनीतिक हत्याओं के लिए किया जा सकता है, पशुधन या कृषि उपज के संक्रमण से भोजन की कमी और आर्थिक नुकसान, पर्यावरणीय तबाही का निर्माण, और व्यापक बीमारी, भय और अविश्वास की शुरुआत होती है।

लगभग किसी भी बीमारी पैदा करने वाले जीव (जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रियन या रिकेट्सिया) या विष (जानवरों, पौधों या सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न जहर, या समान रूप से उत्पादित समान पदार्थ) का उपयोग जैविक हथियारों में किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, भंडारण और हथियारों के रूप में प्रसार के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए एजेंटों को उनकी प्राकृतिक स्थिति से बढ़ाया जा सकता है। ऐतिहासिक जैविक हथियारों के कार्यक्रमों में उत्पादन के प्रयास शामिल हैं: एफ्लैटॉक्सिन, एंथ्रेक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन, पैर और मुंह की बीमारी, ग्लैंडर्स, प्लेग, चावल विस्फोट, रिकिन, चेचक और ट्यूलरैस अन्य।

जैविक हथियार वितरण प्रणाली कई प्रकार के रूप ले सकती है। विगत कार्यक्रमों ने जैविक हथियार पहुंचाने के लिए मिसाइल, बम, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट का निर्माण किया है। कई कार्यक्रमों ने स्प्रे–टैंक को विमान, कारों, ट्रकों और नावों तक फिट

करने के लिए डिजाइन किया। कई प्रकार के स्प्रे, ब्रश और इंजेक्शन सिस्टम के साथ–साथ भोजन और कपड़ों को दूषित करने के साधनों सहित हत्या या तोड़फोड़ के संचालन के लिए वितरण उपकरणों को विकसित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

इन चिंताओं के अलावा कि जैविक हथियारों का विकास या उपयोग राज्यों द्वारा किया जा सकता है, हाल के तकनीकी विकास से यह संभावना बढ़ जाती है कि इन हथियारों को गैर–राज्य अभिनेताओं द्वारा हासिल किया जा सकता है, जिनमें व्यक्ति और आतंकवादी संगठन शामिल हैं। 20 वीं शताब्दी में व्यक्तियों और समूहों द्वारा आपराधिक कृत्यों या लक्षित हत्याओं, राज्यों द्वारा किए गए जैविक युद्ध, और प्रयोगशालाओं से रोगजनकों की आकस्मिक रिहाई द्वारा जैविक हथियारों का उपयोग देखा गया। व्यवहार में, यदि कोई संदिग्ध रोग घटना होती है, तो यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या यह प्रकृति, दुर्घटना, या जैविक युद्ध या आतंकवाद के कारण हुआ था। नतीजतन, एक जैविक घटना की प्रतिक्रिया, चाहे प्राकृतिक, आकस्मिक या जानबूझकर, बहु–अनुशासनात्मक, बहु–क्षेत्रीय, और सबसे ऊपर, समन्वित होनी चाहिए। इस प्रकार, बीडब्ल्यूसीमुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और गैर–सरकारी संगठनों और पहलों के साथ समन्वय के आधार पर एक नेटवर्क दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और साथ ही साथ अन्य गैर–सरकारीकरणों का एक समग्र तरीके से जैविक खतरों की परस्पर प्रकृति को संबोधित करने के लिए करता है। ऐसा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग कई लोगों के लिए लाभ प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके से किया जाता है। इस अर्थ में, उदाहरण के लिए, बीमारी की निगरानी के लिए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना न केवल जैविक हमले का पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि यह राज्यों को प्राकृतिक रूप से होने वाली बीमारी को ट्रैक और कम करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

8.2.2 रासायनिक हथियार

रासायनिक डब्ल्यूएमडी का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, जब चीनी आर्सेनिक के धुएं का उपयोग करते थे। दो विश्व युद्धों के दौरान उनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। रासायनिक हथियारों के प्रकारों में ब्लिस्टर एजेंट, रक्त एजेंट, खतरनाक एजेंट, तंत्रिका एजेंट, आंसू गैस, उल्टी एजेंट और मनोचिकित्सक यौगिक शामिल हैं। ये त्वचा से संपर्क बनाकर या उपभोग के माध्यम से काम करते हैं। इस तरह के हथियार मूल रूप से जाने–माने वाणिज्यिक रसायनों से बने होते हैं, जो ग्रेनेड और आर्टिलरी के गोले जैसे मानक मौन में डाल दिए जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के साथ रासायनिक हथियारों का आधुनिक उपयोग शुरू हुआ, जब संघर्ष के दोनों पक्षों ने जहरीली गैस का उपयोग कष्टकारी पीड़ा को भड़काने और महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र हताहत करने के लिए किया। क्लोरीन गैस (एक चोकिंग एजेंट) और सरसों गैस (एक ब्लिस्टरिंग एजेंट) को 20 वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और ईरान–इराक युद्ध (1980–88) दोनों सदी के अंत की ओर दोनों सेनाओं के खिलाफ तोपखाने के गोले में निकाल दिया गया था। । जैविक की तुलना में, रासायनिक हथियार का प्रभाव तत्काल होता है। फिर भी, एक रासायनिक हमले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के लिए एक बहुत ही परिष्कृत वितरण प्रणाली होनी चाहिए।

सार्वजनिक आक्रोश के परिणामस्वरूप, जिनेवा प्रोटोकॉल, युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए, 1925 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, इस प्रोटोकॉल में कई महत्वपूर्ण कमियां थीं, जिसमें यह तथ्य शामिल था कि यह विकास, उत्पादन या स्टॉकपाइलिंग को प्रतिबंधित नहीं करता है। रासायनिक हथियारों की। इसके अलावा समस्याग्रस्त तथ्य यह था कि प्रोटोकॉल की पुष्टि करने वाले कई राज्यों ने उन राज्यों के खिलाफ निषिद्ध हथियारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जो प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं थे या यदि रासायनिक हथियारों का उपयोग उनके खिलाफ किया गया था।

नाजी यातना शिविरों और एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहरीली गैसों का उपयोग किया गया था। शीत युद्ध की अवधि में रासायनिक हथियारों का महत्वपूर्ण विकास, निर्माण और भंडार देखा गया। 1970 –80 के दशक तक, अनुमानित 25 राज्य रासायनिक हथियार क्षमताओं का विकास कर रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से, रासायनिक हथियारों का उपयोग केवल कुछ मामलों में किया गया है, विशेष रूप से इराक में ईरान के खिलाफ 1980 के दशक में।

12 साल की बातचीत के बाद, 3 सितंबर 1992 को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन द्वारा रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) को अपनाया गया। सीडब्ल्यूसी राज्य दलों द्वारा अनुपालन के कड़े सत्यापन के लिए अनुमति देता है। सीडब्ल्यूसी ने 29 अप्रैल 1997 को प्रवेश किया और ऑर्गनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स (ओपीसीडब्ल्यू) को औपचारिक रूप से स्थायी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

8.2.3 परमाणु हथियार

तीन प्रकार के डब्ल्यूएमडीमें से, परमाणु हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। परमाणु हथियार पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार हैं। यह एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, संभावित रूप से लाखों लोगों को मार सकता है, और इसके दीर्घकालिक विनाशकारी प्रभावों के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। यद्यपि परमाणु हथियारों का उपयोग युद्ध में केवल दो बार किया गया है – अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में – लगभग 14,500 आज भी हमारी दुनिया में हैं और आज तक 2,000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। निरस्त्रीकरण ऐसे खतरों के खिलाफ सबसे अच्छा संरक्षण है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक बहुत कठिन चुनौती है। इस तरह के हथियारों के तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का विनाश होता है। लंबे समय में, विकिरण–प्रेरित रोग विशेष रूप से कैंसर कई को प्रभावित करेंगे, अक्सर बीस साल बाद।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं? जैविक और रासायनिक हथियारों को डब्ल्यूएमडी के रूप में संक्षेप में वर्णित करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय समुदाय डब्ल्यूएमडीके परमाणु निरस्त्रीकरण और प्रसार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के बाद से डब्ल्यूएमडी की सभी श्रेणियों को समाप्त करने की मांग की है, और महासभा की पहली समिति 1946 को शुरू से ही निरस्त्रीकरण, वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिए खतरों से निपटने के लिए अनिवार्य किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं। अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय डब्ल्यूएमडी के उन्मूलन पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अपने पूर्ववर्तियों के साथ निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन और निरस्त्रीकरण आयोग शामिल हैं। कई बहुपक्षीय संधियाँ डब्ल्यूएमडीके कई वर्गों को रेखांकित करती हैं। इनमें बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (बीडब्ल्यूसी) और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी) शामिल हैं। परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण पर प्रसार, परीक्षण और प्रगति को लक्षित करने वाली बहुपक्षीय संधियों में परमाणु हथियार के गैर–प्रसार (एनपीटी), आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) और व्यापक परमाणु–परीक्षण–प्रतिबंध संधि शामिल हैं। हालांकि इन संधियों और सम्मेलनों के बावजूद डब्ल्यूएमडीअभी भी मौजूद हैं जोअंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। विशेष रूप से चिंता का विषय परमाणु हथियार हैं। परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास दुनिया को परमाणु हथियार की विनाशकारी क्षमता से परिचित कराने के कुछ ही समय बाद शुरू हुए। परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निम्नलिखित शामिल हैं।

तालिका 1 : डब्ल्यूएमडी के प्रसार को रोकने के लिए संधियां एवं समझौते

रासायनिक	परमाणु	जैविक
रासायनिक हथियार सम्मेलन	परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि	जैविक हथियार सम्मेलन
जिनेवा प्रोटोकॉल	परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर सम्मेलन	जिनेवा प्रोटोकॉल
हेग कन्वेंशन	परमाणु अप्रसार संधि	
स्ट्रासबर्ग समझौता	व्यापक परमाणु–परीक्षण–प्रतिबंध संधि	
वार्साई की संधि	आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि	

वाशिंगटन नौसेना संधि	फिशाइल मैटीरियल कटऑफ ट्रीटी	
	बाहरी अंतरिक्ष संधि	
	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कानून	
	सीबेड आर्म्स कंट्रोल संधि	

8.3.1 आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी)

1954 में, भारत ने परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौते का आह्वान किया। 1958 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम ने जिनेवा में परमाणु परीक्षण को बंद करने पर एक सम्मेलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रभावी रूप से नियंत्रित परीक्षण प्रतिबंध पर समझौते पर पहुंचना था। हालांकि, पक्ष सत्यापन प्रक्रियाओं के मुद्दे पर एक समझौते पर नहीं पहुंच सके। 5 अगस्त 1963 को, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) – जिसे लिमिटेड टेस्ट प्रतिबंध संधि (एलटीबीटी) के रूप में भी जाना जाता है, को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मास्को में हस्ताक्षरित किया गया था। संधि के लिए दलों को परमाणु हथियार परीक्षण या वायुमंडल में किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट, बाहरी अंतरिक्ष में, पानी के नीचे, या किसी अन्य वातावरण में बाहर ले जाने से रोकने और परहेज करने की आवश्यकता होती है, यदि इस तरह के विस्फोटों के कारण रेडियोधर्मी मलबे प्रादेशिक के बाहर मौजूद होते हैं। राज्य की सीमाएं जो विस्फोट का संचालन करती हैं, किसी भी परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट, या किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट से बाहर ले जाने, प्रोत्साहित करने, या किसी भी तरह से, जो कहीं भी उपरोक्त में से किसी में भी होता है, से बचने के लिए। वर्णित वातावरण। सितंबर 1996 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर के साथ, पीटीबीटीनिरर्थक हो गया। हालांकि, एक पीटीबीटीपार्टी को सीटीबीटीसे वापस लेना चाहिए, या सीटीबीटीपर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, यह अभी भी पीटीबीटीके प्रावधानों से बाध्य होगा।

8.3.2 सीटीबीफिसाइल मैटीरियल कट ऑफ ट्रीटी (एफएमसीटी)

एफएमसीटीएक प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों के दो मुख्य घटकों के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा : अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (एचईयू) और प्लूटोनियम। इस विषय पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण (सीडी) सम्मेलन में हुई है – निरस्त्रीकरण पर एकमात्र बहुपक्षीय वार्ता मंच के रूप में स्थापित 65 सदस्य देशों का एक निकाय। सीडी सर्वसम्मति से संचालित होती है और अक्सर स्थिर होती है, जो एफएमसीटी पर प्रगति को बाधित करती है। वे राष्ट्र जो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) में गैर–हथियार वाले राज्यों के रूप में शामिल हो गए हैं, उन्हें पहले से ही हथियारों के लिए फिसाइल सामग्री के उत्पादन या अधिग्रहण से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक एफएमसीटी पांच मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्यों (एनडब्ल्यूएस – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन) के लिए नए प्रतिबंध प्रदान करेगा, और उन चार देशों के लिए जो एनपीटी सदस्य नहीं हैं (इजराइल,

भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया)। हालाँकि, इस संधि पर अभी बातचीत नहीं हुई है।

फिसाइल मैटीरियल (आईपीएफएम) 2015 ग्लोबल फिसाइल मैटीरियल रिपोर्टके अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अनुसार, एचईयूस्टॉक का 99ः हिस्सा परमाणु हथियार राज्यों के पास है, और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़ा स्टॉक है। माना जाता है कि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया में एचईयूके लिए उत्पादन कार्य जारी है। लगभग 88ः प्लूटोनियम परमाणु हथियारों वाले राज्यों द्वारा आयोजित किया जाता है जो एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता हैं, और शेष 12ः में से अधिकांश जापान के पास है, जिसमें 47 टन से अधिक प्लूटोनियम है। हालांकि पांच एनडब्ल्यूएस अब हथियार–ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन नहीं करते हैं, भारत, इजरायल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में उत्पादन जारी है।

8.3.3 अप्रसार संधि (एनपीटी)

एनपीटी परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग के मार्ग में एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है। और पूर्ण निरस्त्रीकरण। संधि एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व परमाणु हथियार राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए करती है। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और 59 अन्य देशों द्वारा 1 जुलाई 1968 को एनपीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनपीटी के अंतिम मसौदे पर 1968 में परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए ''परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार को रोकने पर एक समझौते के समापन'' के रूप में देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इसके परिणामस्वरूप ''खतरे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी'' ऐसा युद्ध''।

यह संधि 1970 में लागू हुई। अधिक देशों ने किसी अन्य हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में एनपीटी की पुष्टि की है। संधि में कुल 191 राज्य शामिल हुए हैं, जिसमें पाँच परमाणु हथियार वाले राज्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। 11 मई 1995 को, संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। संधि को वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और परमाणु निरस्त्रीकरण की खोज के लिए एक अनिवार्य आधार है।

अप्रसार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और राज्यों के दलों के बीच एक विश्वास–निर्माण के उपाय के रूप में, संधि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की जिम्मेदारी के तहत एक सुरक्षा उपाय स्थापित करती है। संधि के अनुच्छेद प्प् में कहा गया है कि संधि के लिए किसी भी गैर–परमाणु हथियार राज्य पार्टी को सुरक्षा उपायों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ संपन्न एक अलग समझौते में बातचीत की गई, ताकि परमाणु ऊर्जा के विचलन को रोकने के लिए अपने दायित्व को पूरा किया जा सके। परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण उपयोग। इसके अलावा, ''इस अनुच्छेद द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए स्रोत या विशेष विखंडनीय सामग्री के संबंध में पालन किया जाएगा चाहे वह किसी भी मुख्य परमाणु सुविधा में उत्पादित, संसाधित या उपयोग किया जा रहा हो या ऐसी किसी सुविधा से बाहर हो। सभी शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियाँ ''ऐसे राज्य के क्षेत्र के भीतर,

इसके अधिकार क्षेत्र में, या कहीं भी इसके नियंत्रण में'' सुरक्षा उपायों द्वारा कवर किया जाएगा (https://www-un-org/disarmament/wmd/nuclear/npt/te)

संधि का अनुच्छेद VI, ''परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने और परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित प्रभावी उपायों पर अच्छे विश्वास में बातचीत को आगे बढ़ाता है, और सख्त और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण पर एक संधि पर''। संधि आगे बताती है कि संधि के लिए प्रत्येक राज्य पार्टी प्रदान करने के लिए नहीं करती हैः ''(ए) स्रोत या विशेष विखंडनीय सामग्री, या (ख) उपकरण या विशेष रूप से तैयार या प्रसंस्करण के लिए तैयार, उपयोग या विशेष विखंडनीय सामग्री के उत्पादन के लिए सामग्री, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कोई भी गैर–परमाणु–हथियार वाला राज्य, जब तक कि स्रोत या विशेष विखंडनीय सामग्री इस अनुच्छेद के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं होगी'' (https://www-un-org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text)। इन प्रावधानों के साथ, संधि के अनुच्छेद प्ट में यह प्रावधान है कि ये प्रावधान पक्षपात के आर्थिक या तकनीकी विकास में बाधा उत्पन्न किए बिना या शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परमाणु सामग्री और उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान सहित, के बिना लागू किए जाएंगे। शांतिपूर्ण के लिए परमाणु सामग्री के प्रसंस्करण, उपयोग या उत्पादन।

संधि के प्रावधान, विशेष रूप से लेख टप्प्, हर पांच साल में संधि के संचालन की समीक्षा की परिकल्पना करते हैं, एक प्रावधान जिसे 1995 एनपीटी समीक्षा और विस्तार सम्मेलन में राज्यों के दलों द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी। 2015 की संधि के लिए पार्टियों की समीक्षा सम्मेलन, एक आम सहमति परिणाम को अपनाने के बिना समाप्त हो गया। एक सफल 2010 की समीक्षा सम्मेलन के बाद, जिस पर राज्यों के दलों ने एक अंतिम दस्तावेज पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मध्य पूर्व पर 1995 के प्रस्ताव के कार्यान्वयन सहित निष्कर्षों और कार्यों के लिए सिफारिशें शामिल थीं, 2015 के परिणाम को मजबूत की गई समीक्षा प्रक्रिया के लिए एक झटका बना। 1995 में संधि के अनिश्चित विस्तार के समर्थन में पैकेज के हिस्से के रूप में संधि के तीन स्तंभों के तहत गतिविधियों के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। 2020 की समीक्षा सम्मेलन के लिए तैयारी की प्रक्रिया अभी चल रही है।

8.3.4 व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)

सीबीटी सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है – हर जगह और सभी के द्वारा। निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सीडी) ने जनवरी 1994 में एक व्यापक परमाणु–परीक्षण–प्रतिबंध संधि पर अपनी ठोस बातचीत शुरू की, इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक तदर्थ समिति के ढांचे के भीतर। हालांकि सीडी लंबे समय से एक परीक्षण प्रतिबंध के मुद्दे के साथ शामिल थी, केवल 1982 में इसने आइटम पर एक सहायक निकाय की स्थापना की। दो साल से अधिक की गहन वार्ता के बाद एक अंतिम मसौदा संधि जून 1996 में सीडी को प्रस्तुत की गई थी। संधि में राज्यों को समयबद्ध ढांचे के भीतर परमाणु हथियारों को खत्म करने की आवश्यकता थी। यह संधि सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी। आज तक संधि पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 168 ने इसकी पुष्टि की है। संधि के अनुलग्नक 2 में वर्णित 44 राज्यों में से जिनके पास परमाणु सुविधाएं थीं और वे संधि पर बातचीत करने में शामिल थे, चीन, मिस्र, ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने

हस्ताक्षर किए हैं लेकिन संधि की पुष्टि नहीं की है। भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने अपने हिस्से के लिए कहा कि वह मसौदा पाठ पर आम सहमति और संयुक्त महासभा के लिए इसके प्रसारण के साथ नहीं जा सकता है। इस तरह के निर्णय के मुख्य कारणों में, जैसा कि भारत ने कहा है, संधि के प्रवेश–बल के प्रावधान के बारे में इसकी मजबूत गलतफहमियों से संबंधित थे, जिसे उन्होंने बहुपक्षीय व्यवहार में अभूतपूर्व माना और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत चल रहा था, और परमाणु–हथियार वाले राज्यों द्वारा एक प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए संधि की विफलता।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. एनपीटी का विस्तार से वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 चुनौतियां और भविष्य की राहें

डब्ल्यूएमडी के प्रसार चुनौती कोई नई घटना नहीं है। डब्ल्यूएमडी के उत्पादन और प्रसार की तारीख के बारे में चिंताएं कम से कम 1925 तक हैं, जब जेनेवा प्रोटोकॉल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहर गैस के उपयोग पर प्रतिक्रिया के लिए बातचीत की गई थी। इन वर्षों में, डब्ल्यूएमडीद्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा लगातार अधिक जटिल हो गया है। हाल के दिनों की घटनाओं में ईरान–इराक युद्ध में रासायनिक हथियारों के उपयोग जैसे आतंक के प्रभाव और अस्थिरता का वर्णन हैय टोक्यो मेट्रो में सरीन गैस का हमलाय खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी स्कड मिसाइल हमलेय उत्तर कोरियाई और ईरानी मिसाइल परमाणु हथियार परीक्षण (होलम, 1999)।

अप्रसार के विचार में डब्ल्यूएमडीकार्यक्रमों में योगदान करने वाले स्थानांतरणों की रोकथाम, पहचान, व्यवधान, जांच और अभियोजन शामिल हैं। डब्ल्यूएमडीप्रसार से निपटने में सफल होने के लिए, हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों को लागू करना होगा – राजनयिक, आर्थिक, खुफिया और कानून प्रवर्तन। हालांकि, प्रसार को रोकने के लिए सभी शासन और तंत्र प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करते हैं। इस तरह के हथियारों के प्रसार और उत्पादन को रोकने के लिए तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र अस्पष्टता के लिए बहुत जगह छोड़ते हैं और अक्सर ऐसे तंत्र के कार्यान्वयन की बात आती है। उदाहरण के लिए, एनपीटी गैर–परमाणु हथियार राज्य

के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में आईएईएको अपने सुरक्षा उपायों के साथ परमाणु ऊर्जा और अन्य विस्फोटक उपकरणों के शांतिपूर्ण उपयोग से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकने के लिए निर्दिष्ट करता है। लेकिन इस बात का कोई निर्धारित प्रावधान नहीं है कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये आईएईएके साथ एक अलग द्विपक्षीय व्यापक सुरक्षा समझौते में निहित हैं। यह आईएईएको अपनी परमाणु सामग्री सूची और ईंधन सुविधाओं की सुविधा की राज्य की घोषणा की क्षमता और शुद्धता के बारे में एक निष्कर्ष निकालने का अधिकार देता है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित गतिविधियों के अनुसंधान एवं विकास के अधिकार में आईएईएको किस परिस्थिति में सत्यापन संबंधी कार्यान्वयन संबंधी कई मुद्दे स्पष्ट नहीं हैं।

एनपीटी वास्तव में बड़ी चोटों का सामना करना पड़ा है। 1991 के बाद से, यूरेनियम संवर्धन, प्लूटोनियम पृथक्करण, और संभवतः संभवतः हथियारों से संबंधित गतिविधियां जो इराक, उत्तर कोरिया और ईरान आईएईएनिरीक्षकों से छिपाई गईं। इराक का हथियार कार्यक्रम 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के बाद शुरू किया गया था। उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम को बाद में खुफिया, आईएईएनिरीक्षण और उत्तर कोरिया के स्वयं के प्रवेश के माध्यम से जाना गया। इसके अलावा, कि उत्तर कोरिया और ईरान दोनों ने पाकिस्तान से संवर्धन तकनीक प्राप्त की, जो गैर–परमाणु–हथियार वाले राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने में सहायता करने के खिलाफ संधि के प्रतिबंध से बाध्य नहीं हैं, जो गैर–पार्टियों से एनपीटी शासन को खतरे का संकेत देते हैं (बन्न, 2003)।

परमाणु हथियार और गैर–परमाणु हथियार राज्यों के लिए अलग–अलग नियम और शर्त रखने की इन संधियों के खिलाफ आलोचना भी हुई है। एनपीटी जो संधि पर अधिकतम संख्या में हस्ताक्षर करने वाली संधि है, जो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी सदस्यों को परमाणु हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाती है और उन पांच राज्यों को अंततः अपने परमाणु शस्त्रागार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। भारत विशेष रूप से एनपीटी का आलोचक रहा है और उसने प्रकृति में भेदभावपूर्ण होने वाली संधि के आधार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी को एक दोषपूर्ण संधि के रूप में कहा है जो परमाणु सहित और परमाणु रहित के बीच एक विभाजन बनाता है, जहां इसे परमाणु हथियार राज्यों को गैर–परमाणु हथियार राज्यों के लिए ऐसे हथियारों के कब्जे पर प्रतिबंध लगाने के दौरान अपने हथियार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सीटीबीटीके मामले में भी ऐसा ही है।

अंतरराष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था में लंबे समय से कमजोर कमजोरियों पर अब गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर कोरिया और ईरान से जारी चुनौतियां और डब्ल्यूएमडीआतंकवाद के संभावित परिणाम, नीति में अंतराल और अप्रसार के लिए कानूनी ढांचा अस्वीकार्य जोखिम पैदा करता है। बहुत कम राज्यों में प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले घरेलू कानून हैंय जो कानून मौजूद हैं, वे मजबूती से लागू नहीं हैं। इसलिए, प्रसार के सभी देशों द्वारा अपराधीकरण और सख्त निर्यात नियंत्रण कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और एक मिलान कानूनी और नीतिगत ढांचा जो राजनीतिक समर्थन, कानूनी शक्तियां, और वित्तीय और कार्मिक संसाधन प्रदान करता है। प्रवर्तन को एक विश्वसनीय गैर–प्रसार नीति में

अंतःस्थापित किया जाना चाहिए जो सरकार के सभी हिस्सों और स्तरों में कटौती करता है। जहाँ भी आवश्यक हो, कूटनीति और संवाद और प्रतिबंधों का प्रसार प्रसार की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

संधियों, सम्मेलनों और समझौतों सहित लंबे समय तक प्रयासों के बावजूद डब्ल्यूएमडीके प्रसार और उनकी डिलीवरी के साधन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं और हमारे समय की प्राथमिक चुनौतियों में से एक हैं। कुछ प्रगति के बावजूद, अप्रसार शासन बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के अथक विकास के बारे में चिंतित है जो सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के पास यह क्लैंडस्टाइन परमाणु–के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी विनिमय था। इस तरह की अस्थिर करने वाली कार्रवाई गैर–प्रसार शासन और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर और जानबूझकर चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है। अधिक खतरनाक आतंकवादियों और अन्य चरमपंथी तत्वों के ऐसे हथियारों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के व्यवहार को संचालित करने वाले बहुपक्षीय मानदंडों, दिशानिर्देशों, नियमों और कानूनों के स्थापना, रखरखाव और अनुकूलन के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोटः i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. डब्ल्यूएमडी के अप्रसार के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 सारांश

संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुमान बताते हैं कि कुछ 19,000 परमाणु हथियार बने हुए हैं और ऐसे हथियारों को खत्म करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही है। यह 1980 के दशक के शीत युद्ध के चरम पर 75,000 परमाणु हथियारों के अनुमान से महत्वपूर्ण गिरावट है। फिर भी परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। यह न केवल डब्ल्यूएमडीके उपयोग, बल्कि इस तरह के हथियारों के अस्तित्व को भी सौंपना महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूएमडी ''वर्जित'' को कब्जे तक बढ़ाया जाना चाहिए, न कि केवल ''उपयोग का जोखिम'', क्योंकि निरस्त्रीकरण उपयोग के लिए एकमात्र पूर्ण गारंटी

प्रदान करता है। डब्ल्यूएमडीके खतरे को समाप्त करने के लिए भविष्य में एक अधिक व्यापक और समतावादी शासन व्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक को ऐसे हथियारों के उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

8.6 संदर्भ ग्रंथ

बाउएर, सिबायले (2009), *पनिशिंग ऐक्ट्स ऑफ डब्ल्यूएमडी प्रोलिफरेशन : मोर ईजीली सैड दैन डन,* https://www.sipri.org/commentary/ essay/2009/ punishing-acts-wmd-proliferation-more-easily-said-done

बुन्न, जॉर्ज (2003),*दि न्यूक्लियर नॉन–प्रोलिफरेशन ट्रीटी :हिस्ट्री एण्ड करण्ट प्रोब्लम्स,* https://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn

सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन (2005), *कैम्ब्रिज डब्ल्यूएमडी चैलेंजेज फोर दि नेक्स्ट 10 इयर्स,* नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रेस,
https://wmdcenter.ndu.edu/Portals/97/Documents/Publications/Articles/Comabtnig-WMD-Challenges-for-Next-10-Years.pdf

काउंसिल ऑन फोरेन रिलेशंस (2009), *वर्ल्ड ओपीनियन ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ वीपन्स ऑफ मास स्ट्रिक्शन,* https://www.cfr.org/backgrounder/world-opinion-proliferation-weapons-mass-destruction

इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, https://www.britannica.com/technology/weapon-of-mass-destruction

एफएमसीटी ऐट ए ग्लासेंज, https://www.armscontrol.org/factsheets/fmct

होलूम, जॉन डी., (1999), ''दि प्रोलिफरेशन ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन : चैलेंजेज एण्ड रिस्पॉन्सेज, यू.एस. फॉरेन पौलिसी एजेण्डा'', *वर्ल्ड ओपीनियन ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ वीपन्स ऑफ मास स्ट्रिक्शन, यूएसआईए इलेक्ट्रोनिक्स जर्नल्स,* वॉल्यूम–4, नं.2

मैसिन्टायरे, ऐन्थॉनी जी., जॉज डब्ल्यू. क्रिस्टोफर, ऐडवर्ड ईटजेन, जूनियर, ऐट. आल. (2000), *वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इवेंट्स विद कॉन्टामिनेटेड कैजुअल्टीज इफैक्टिव प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज,* जामा, जनवरी 12

सैगन, स्कॉट डी., (2009), ''दि कॉजेज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स प्रोलिफरेशन'', ऐनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज।

शल्ट्ज, जॉर्ज पी., विलियम जे. पैर्री, हेनरी ए. किस्सिंगेर एण्ड सैम नुन्न (2007), ''ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स'', *वाल स्ट्रीट जर्नल,* जनवरी।

दि ट्रीटी ऑन दि नॉन–प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, टेक्स्ट ऑफ दि ट्रीटी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजार्मामेंट अफेयर्स, https://www.un.org/disarmament/wmd/ nuclear/npt/text

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजार्मामेंट अफेयर्स, https://www.un.org/disarmament/wmd/ chemical/

वीपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोलिफरेशन, सीएसआईएस, https://www.csis.org/ topics/ defense-and-security/weapons-mass-destruction-proliferatio.

वीपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, http://unrcpd.org/wmd/

व्हाट इज सीटीबीटी?, सीटीबीटीओ, https://www.ctbto.org/the-treaty/article-xiv-conferences/2011/afc11-information-for-media-and-press/what-is-the-ctbt/

8.7 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- डब्ल्यूएमडी की परिभाषा और सामूहिक विनाश के जैविक और रासायनिक हथियारों का वर्णन।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- एनपीटी की मुख्य शर्तें

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- अप्रसार का लक्ष्य हासिल करने में आने वाली चुनौतियां

इकाई 9 सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे

संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 गैर–पारंपरिक सुरक्षारू अवधारणा और सामग्री

9.3 शीत युद्ध के बाद गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरे

9.4 गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरे के रूप में आतंकवाद

9.4.1 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

9.4.2 अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध

9.5 आतंकवाद का खतरारू भारत का मामला

9.5.1 जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद

9.5.2 इस्लामी आतंकवाद

9.5.3 उत्तर–पूर्वी भारत में विद्रोह

9.5.4 पंजाब में खालिस्तान उग्रवाद

9.5.5 नक्सली आंदोलन

9.6 सारांश

9.7 संदर्भ ग्रंथ

9.8 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई में, आप गैर–पारंपरिक सुरक्षा (एनटीएस) खतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इन्हें समझने में सक्षम होंगेः

- गैर–पारंपरिक सुरक्षा (एनटीएस) की अवधारणा,
- समकालीन वैश्विक संदर्भ में एनटीएस खतरों के प्रकार; तथा
- एनटीएस के खतरे के रूप में आतंकवाद और भारत में इसके विभिन्न प्रकार।

9.1 प्रस्तावना

सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे की परिभाषा व्यापक हैरू इसमें न केवल राज्य की बल्कि समुदायों की भी सुरक्षा शामिल है। आईआर के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य मेंएनटीएस सुरक्षा के लिए नए प्रकार के खतरों की प्रकृति और स्रोतों पर प्रकाश डालता है। एनटीएस के खतरे हमेशा से थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद के युग में यह ज्यादा प्रभावी हुआ है। इसका मुख्य कारण वैश्वीकरण, सूचना और संचार की नई प्रौद्योगिकियां आदिहैं। एनटीएस के खतरे न केवल देश के अंदर होते हैं बल्कि वे सरहदों के पार भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। उनका सामना करना किसी एक संप्रभु

देश के वश में नहीं होता। एनटीएस के खतरे क्षेत्रीय और यहां तक कि वैश्विक भी होते हैं। इनकी मांगें देश के काम काज के तरीके और क्षेत्रीय शासन मानदंडों में बदलाव और तंत्र के प्रति अधिक से अधिक उग्र होते हैं।

आतंकवाद, सुरक्षा के लिए एक गैर–पारंपरिक खतरा है जिसने भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही प्रभावित किया है। भारत का केस स्टडी इंगित करता है कि आतंकवाद एक जटिल मुद्दा है। यह घरेलू राजनीति, पहचान की राजनीति और अलगाव की मांगों में अंतर्निहित होता है। काउंटर टेररिज्म (सीटी) और काउंटर इंसर्जेंसी (सीओआईएन) उपायों के रूप में राज्य की प्रतिक्रिया तदर्थ, असंगत और अक्सर घरेलू राजनीतिक और चुनावी गणनाओं से बाधित होती है।

9.2 गैर–पारंपरिक सुरक्षाः अवधारणा और सामग्री

पारंपरिक सुरक्षा को भू–राजनीतिक शब्दों में वर्णित और समझा जाता हैरू यह संप्रभु देशों के आपसी संबंधों तक ही सीमित होता हैय और यह सुरक्षा, प्रतिरोध, शक्ति संतुलन, आपसी संबंध, सैन्य क्षमता आदि जैसे मुद्दों से संबंधित होता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और 9ध्11 के आतंकवादी हमलों को देखते हुए, पारंपरिक सुरक्षा के मायने और इसे समझे जाने के दृष्टिकोण पर सवाल उठने लगे हैं। गैर–पारंपरिक सुरक्षा (एनटीएस) की अवधारणा ने अपनी जमीन हासिल की हैरू यह सुरक्षा के उन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें हाल तक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाता था। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में एनटीएस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपनी जगह बना ली है क्योंकि यह असुरक्षा और संघर्ष के नए स्रोतों और ताकतों को इंगित करता है।

एनटीएस की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैंः (i) आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों तथामानव तस्करी, अवैध माइग्रेशन, पर्यावरण का विनाश आदि जैसी चुनौतियां। पहले इन्हें आमतौर पर सुरक्षा के खतरे के रूप में नहीं देखा जाता था। सुरक्षा पर इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इसलिए आईआर के प्रमुख सिद्धांतों में भी इस तरह की घटनाओं पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, सुरक्षा के ये गैर–पारंपरिक खतरे नागरिकों और देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक सीधा खतरा बन गए हैं। यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैंः सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरों को पारंपरिक सुरक्षा खतरों में बदलने और संघर्ष और युद्ध की ओर ले जाने की हर क्षमता हैय और दूसरी बात, सुरक्षा की अवधारणा को अब देश और समुदाय की सुरक्षा को शामिल करने के लिए व्यापक किया जाता है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि इन खतरों में आई तेजी को कुछ मामलों में वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से भी जोड़ा जा सकता है।

इसलिए, कहा जा सकता है कि सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे नए नहीं हैं। जातीय संघर्ष, माइग्रेशन और शरणार्थी, गरीबी, महामारी जैसी समस्याएं हमेशा से ही किसी भी संप्रभु देशमें वहां के नागरिकों के जीवन के हिस्से के रूप में थीं। हालांकि उस समय एनटीएस के खतरे इतने व्यापक नहीं थे और न ही इतने कम समय में वे इतनी तेजी से फैल सकते थे। अब इन खतरों से एक अकेले देश को अपने सीमा के भीतर निपटना संभव नहीं रह गया है। यह एक पुरानी घटना का ''नया चेहरा'' है (कैबेलरो–एंथनी, 2010)। वास्तव में, कई बार, देश इन एनटीएस खतरों को ठीक से परिभाषित करने में भी सक्षम नहीं होते हैंय उदाहरण के लिए, वित्तीय उथल–पुथल,

इंटरनेट हैकिंग आदि। इसके अलावा, खतरे की विशाल विविधता अद्भुत है – महामारी से लेकर पर्यावरणीय आपदाएं जो विकास के अथक प्रयासों के कारण आती हैं,से लेकर पुरानी जातीय और धार्मिक शत्रुता तक होती हैं।

नतीजतन, सुरक्षा की अवधारणा को सैन्य सुरक्षा के पारंपरिक विचार से परे विस्तारित करना पड़ा, जिसका अनिवार्य रूप से एक संप्रभु देश की सीमाओं की रक्षा करना और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा के लिए शक्ति का वैध उपयोग करना होता था। बैरी बुजान (1998) ने व्यापक सुरक्षा का विचार दिया जब उन्होंने सुरक्षा के पांच खंडों की पहचान कीरू राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। व्यापक सुरक्षा के इस विचार में, बैरी बुजान ने दो गहन अवलोकन किएरू एक, श्केंद्रश (विकसित देशों) में होने वाले परिवर्तन 'परिधि' (विकासशील दुनिया) को अधिक गहराई से प्रभावित करते हैं; और, दूसरी बात, हालांकि सभी पांच तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक एक विशेष आयाम पर प्रकाश डालता है। आपस में जुड़े होने के कारणये तत्व मानव और संप्रभु देश दोनों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

(ii) सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरों का सामना संप्रभु देशों द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकतायइसके लिए बहुपक्षीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई की जरूरत होती है। इस लिहाज से एनटीएस देशों के आपसी रिश्तों में बदलाव की मांग करता है। यहां दो बातों का बहुत ज्यादा महत्व हैरू पहला, एनटीएस और क्षेत्रीय शासन के बीच की कड़ी, एनटीएस की अवधारणा का एक मुख्य तत्व हैय और दूसरी बात, एनटीएस परिप्रेक्ष्य वैश्विक दक्षिण की जरूरतों के लिए विशेष रूप से अधिक प्रासंगिक हो जाता है। समस्या समाधान के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना एनटीएस खतरों के अनपेक्षित प्रभावों में से एक है। महामारी और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय शासन तंत्र और मानदंड स्थापित करने की मांग है (कैबलेरो–एंथनी 2010रू 2)। इसके अलावा, जैसा कि बुजान ने कहा, एनटीएस खतरे विशेष रूप से विकासशील दुनिया को प्रभावित करते हैं।

कुल मिलाकर, एनटीएस की अवधारणा पांच मान्यताओं पर आधारित हैः (a) गैर–पारंपरिक चुनौतियां या खतरे सीधे तौर पर संघर्ष या युद्ध का कारण बन सकते हैं। (b) एनटीएस खतरों से एक अकेला देश पूरी तरह से नहीं निपट सकताय इसलिए एनटीएस चुनौतियों से निपटने के लिए किसी एक देश का दृष्टिकोण अपर्याप्त है। (c) सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य, समुदाय और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। (d) एनटीएस खतरे जैसे जलवायु परिवर्तन या महामारी प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय होते हैं और इसके समाधान के लिए गैर–सैन्य प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। (e) इन चुनौतियों के अंतरराष्ट्रीय चरित्र के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है (कैबलेरो–एंथनी 2016 : 15)।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता किएनटीएस खतरेसुरक्षा के तरीकों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालांकि,आलोचक इसकी कुछ स्पष्ट कमजोरियों को इंगित करते हैंरू एनटीएस परिप्रेक्ष्य किसी के लिए, किसी भी चीज को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, जैसे भूख, गरीबी, बीमारी, महामारी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, प्राकृतिक आपदाएं आदि। आलोचक अक्सर आश्चर्य करते हैं कि क्या कोई निचली रेखा है? क्या हम देश और समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली हर चीज को एनटीएस खतरा बताते हैं? दूसरे, इसका मतलब किसी भी चीज और हर चीज का

श्सेक्युलराइजेशनश हो सकता है, जैसे अवैध माइग्रेशन, संगठित अपराध, जलवायु। तीसरा, देश संप्रभुता केंद्रित रहते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए तभी सहमत होते हैं जब चुनौतियाँ तकनीकी प्रकृति की होती हैं, उनका राजनीतिकरण नहीं किया जाता है और ये कथित राष्ट्रीय हितों को प्रभावित नहीं करते। यूरोप जैसे क्षेत्र जिनका आपसी सहयोग और क्षेत्रीय शासन तंत्र का एक लंबा इतिहास रहा है, अविश्वास और संघर्ष के इतिहास वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक उत्तरदायी हैं जैसे कि दक्षिण एशिया एनटीएस खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय शासन तंत्र स्थापित कर रहा है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर की टिप्स के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरों को परिभाषित करें। बताएं कि महामारी, माइग्रेशन, मादक पदार्थों की तस्करी आदि जैसे मुद्दे सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे क्यों बन गए हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

9.3 शीत युद्ध के बाद सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे

शीत युद्ध और उसके वैचारिक आधार समाजवाद और पूंजीवाद ने एक सरल द्विध्रुवीय विकल्प प्रस्तुत किया। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक को चुनना था – अगर इसे विकल्प कहा जा सकता है। यह एक युग था, जैसा कि एक प्रख्यात अमेरिकी रणनीतिक विचारक ने इसे श्मेटामिथश कहा था। सब कुछ व्यापक था और एक गलत धारणा थी कि सभी चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब शीत युद्ध समाप्त हुआय इसके साथ ही विचारधाराओं की सर्वोच्चता में विश्वास भी समाप्त हो गया। विद्वानों ने शीत युद्ध के बाद श्शांति लाभश की बात की, जो एक निर्बाध लंबी शांति का आश्वासन देता है।

लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो शीत युद्ध से संबंधित कई अंतर्राज्यीय संघर्ष जारी रहे। यह देखा गया कि इनमें से कई संघर्ष वैचारिक या राजनीतिक प्रकृति के नहीं थे। बल्कि, ये संघर्ष जातीय, जनजातीय या पर्यावरणीय प्रकृति के थेय और इसलिए पूंजीवादी लोकतंत्र और समाजवादी सत्तावाद के बीच वैचारिक संघर्ष के अंत के बावजूद ये जारी हैं। वास्तव में, इनमें से कई संघर्ष एक नए जोश के साथ फिर से शुरू हुए और इंसानों का कत्ल और कई अन्य जातीय और आदिवासी पहचानों के मामले में अधिक क्रूर हो गए।

दूसरे, तब ऐसे संघर्ष थे जो नए थे और अधिकतर अंतर–राज्यीय आयाम के थे। इन अंतर–राज्यीय संघर्षों में जातीयता, जनजाति या धर्म आदि के दुर्गुण मिश्रित रहते थे। ये अंतर–राज्य युद्ध बिना किसी मानदंड के अवर्णनीय क्रूरताओं के साथ लड़े गए और

कभी भी किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। 1997 में दर्ज कुल 86 सशस्त्र संघर्षों में से 84 अंतर्राज्यीय प्रकृति के थे। 1990 के दशक में रवांडा का संकट ऐसा ही एक उदाहरण था, जिसने पूरे देश को दुखी कर दिया। यह नोट किया गया कि 1990 के दशक में अंतर्राज्यीय संघर्षों के प्रकोप में मानव हताहतों की दर बहुत ज्यादा थीय उन संघर्षों में मारे गए लोगों में से लगभग 90 प्रतिशत निहत्थे निर्दोष नागरिक थे जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सबसे बुरी बात यह है कि ये संघर्ष सैनिकों द्वारा वर्दी में नहीं लड़े गएय और विभिन्न लड़ाकू समूहों द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन नहीं किया गया था। आधुनिक संघर्षों और युद्धों में हताहत होने वाले दस में से आठ आम नागरिक हैं। अक्सर संप्रभु देशों से जुड़े अंतर–राज्य बड़े युद्धों की तुलना में अधिक लोग छोटे संघर्षों में मारे जाते हैं। अधिक हताहत छोटे हथियारों के उपयोग के कारण होते हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं और निरस्त्रीकरण पर सभी सम्मेलनों से परे होते हैं। 1990 के दशक में लगभग 500 मिलियन छोटे हथियारों का उपयोग किया गया।

घरेलू–अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के परिणामस्वरूप एक अपेक्षाकृत नए कारक, प्रवास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रवेश किया है। प्रवासीतब तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक अज्ञात इकाई थे जिसे 1990 के दशक से महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसके कारण वे अपने मूल के देशों की आंतरिक राजनीति में शामिल होने लगे। वे फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और वकालत और लॉबी समूहों के स्रोत बन गए। प्रवासी संघर्षों में शामिल थेय संप्रभु सरकारों ने भी अपने श्मेजबानश समाजों की सरकारों के साथ लाभ उठाने के लिए उनका उपयोग करना शुरु कर दिया। इस प्रकार इस बात पर बहस छिड़ गई कि प्रवासी 'शांतिरक्षक' हैं या शांति भंग करने वाले'।

तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नई चुनौतियों से घिरी हुई थी। संप्रभु राज्य, सैद्धांतिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विषय हैंरू वे अन्य संप्रभु राज्यों के साथ संबंधों और समझौतों का निर्माण करते हैं और वैध रूप से अपने श्घरेलू अधिकार क्षेत्रश में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। वे अपने नागरिकों के सुरक्षा प्रदाता नहीं थे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ देशों को एक नई संज्ञा दी गई – 'दुष्ट', 'विफल' या 'असफल' देश। ये देश न तो उदारवादी थे और न ही समाजवादी, इन देशों पर क्रॉस सत्तावादी, अंधराष्ट्रवादी–राष्ट्रवादी अभिजात वर्ग का शासन था, जिन्हें आमतौर पर जनता का समर्थन प्राप्त था। 1990 के दशक में ऐसे कई देश 'जातीय विध्वंस' में लिप्त पाए गए। बड़े पैमाने पर मारे गए और असहाय नागरिक आबादी को उखाड़ फेंकने से शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। जबकि संप्रभु राज्यों ने 'घरेलू अधिकार क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले आंतरिक मामलों में शरण ली, इस तरह के अंतर–राज्य संघर्षों ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसके अलावा, इन संघर्षों ने शरणार्थियों को कहीं भी शरण लेने के लिए प्रेरित कियाय श्बोट–पीपलश इस सदी की अंतिम तिमाही की सबसे गंभीर और कठिन समस्या बनी हुई है।

चौथा, कुछ खतरे वैश्वीकरण के कारण भी उभरे। आर्थिक वैश्वीकरण एक समान प्रक्रिया नहीं रही हैय इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम हैं। प्राकृतिक संसाधनों और विकास परियोजनाओं के शोषण, विशेष रूप से निष्कर्षण और जल विद्युत आदि से संबंधित परियोजनाओं के गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हुए जिन्हें

राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी महसूस किया गया। यह महसूस किया गया कि ऐसे कुछ परियोजनाओं से मेजबान देशों को लाभ नहीं हुआय उन्होंने विदेशी वित्तीय हितों से जुड़े एक छोटे धनी अभिजात वर्ग के हितों को लाभ दिया।

पांचवां, अन्य प्रकार के खतरे भी थे जो राज्य की संप्रभुता और स्थिरता के लिए समान रूप से हानिकारक थे। इनमें नशीले पदार्थों, मानवों, हथियारों की तस्करी और अवैध धन को वैध बनाना, पर्यावरणीय नुकसान आदि खतरे शामिल हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता किशीत युद्ध के बाद की वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण देशों की संप्रभुता और उनकी भूमिका के मायनों में बदलाव कर दिया। यह स्पष्ट था कि राज्य अपरिवर्तनीय नहीं हैं; वे इतने अधिक संप्रभु नहीं हैं और न ही वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकमात्र कारक थे। असंख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनय संप्रभु देशों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता को गहरा करने की कठोर प्रक्रिया और उत्पादन, विपणन और उपभोग के बढ़ते वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता के अपरिवर्तनीय दावे से संबंधित मुद्दों को उठाया था। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान नेकोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप और पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत मिशन पर टिप्पणी करते हुए कहा थाः

देश की संप्रभुता, अपने सबसे बुनियादी अर्थों में, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकतों द्वारा पुनर्परिभाषित की जा रही है।

देश को अब व्यापक रूप से अपने नागरिकों का सेवक समझा जाता है न कि नागरिकों को देश का सेवक। साथ ही, व्यक्तिगत संप्रभुता, इससे मेरा मतलब है कि हमारे चार्टर में निहित प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता – प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की एक नई चेतना द्वारा अपनी नियति को नियंत्रित करने के लिए समृद्ध किया गया है। (संयुक्त राष्ट्र 1999)

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के टिप्स के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे देश की संप्रभुता को फिर से परिभाषित करने की मांग कर रहे हैं। व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

9.4 सुरक्षा के गैर–पारंपरिक खतरे के रूप में आतंकवाद

आतंकवाद की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा जटिल और विवादास्पद है। इसका इतिहास काफी लंबा रहा है। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों उद्देश्यों वाले राजनीतिक संगठनों द्वारा, राष्ट्रवादी और धार्मिक समूहों द्वारा,

क्रांतिकारियों द्वारा, और यहां तक कि सेना, खुफिया सेवाओं और पुलिस जैसे राज्य संस्थानों द्वारा आतंकवाद का सहारालिया गया है। वैचारिक या राजनीतिक कारणों से एक देश द्वारा दूसरे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का उपयोग और प्रचार भी किया गया है। जब आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा के अन्य रूपों के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है, तो इसकी अवधारणा में समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए, कहावत हैः ''एक व्यक्ति के लिए आतंकवादी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता है।''

20वीं सदी में, 'आतंकवाद' शब्द का प्रयोग अधिक केंद्रित तरीके से किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर नीतियों को प्रभावित करने या मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से सरकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित हिंसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आसान नहीं है, फिर भी आतंकवाद के कुछ तत्वों की पहचान की जा सकती है।

आतंकवाद का पहला मूल तत्व आम जनता के मन में दहशत पैदा करना है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसाररू ''आतंकवाद में हिंसा का उपयोग या धमकी शामिल है और यह न केवल प्रत्यक्ष पीड़ितों में बल्कि आम लोगों में दहशत पैदा करने का प्रयास करता है।''

यह इस दहशत के हद पर निर्भर करता है कि आतंकवाद पारंपरिक युद्ध है या फिर गुरिल्ला युद्ध। पारंपरिक सशस्त्र बल जीत हासिल करने के लिए अपने हथियारों की ताकत पर भरोसा करते हैंय और इस प्रयास में वे दुष्प्रचार और दुश्मन के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी शामिल होते हैं। इसी तरह, गुरिल्ला ताकतें, हालांकि बहुत तरह के प्रचार का उपयोग करती हैंपर अंततः अपने विरोधी पर सैन्य जीत का ही लक्ष्य रखती हैं। 20वीं सदी में, छापामार युद्ध जिसने जीत हासिल की, उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में वियतनाम में वियत कांग छापामार आंदोलन था। इसे द्वोसरे शब्दों में कहा जा सकता हैः ''जब प्रत्यक्ष सैन्य जीत संभव नहीं हो तो हिंसा का व्यवस्थित उपयोग भय पैदा करके राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद एक उचित तरीका है'' (एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका)। इसने कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों को गुरिल्ला युद्ध को ''कमजोर का हथियार'' और आतंकवाद को ''सबसे कमजोर का हथियार'' के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया है।

आतंकवाद का दूसरा मुख्य तत्व आतंकवादी कृत्य का दहशत है। आतंकवादी चौतरफा भय पैदा करने के लिए आम तौर पर नाटकीय और हाई प्रोफाइल हिंसक हमलों का सहारा लेते हैं। विशिष्ट आतंकवादी कृत्यों में अपहरण, बंधक बनाना, उच्च प्रोफाइल इमारतों और व्यक्तित्वों पर बमबारी और आत्मघाती बमबारी शामिल हैं। लक्ष्यों को सावधानी से चुना जाता है ताकि अधिनियम के आश्चर्य और सदमे को बढ़ाया जा सके। आतंकवादी अपनी छवि अपराजेय और सर्वव्यापी होने की बनाना चाहते हैं। यहां कुछ और आयाम जोड़े जा सकते हैंरू आतंकवादी गुप्त रूप से काम करते हैंय उनके कार्य गुप्त होते हैंय और आतंकवादी अपने शिकार को बेतरतीब ढंग से चुन सकते हैं, जैसे कि किसी बाजार में बमबारी करना। वे आम तौर पर व्यक्तियों और स्थानों को लक्षित करते हैं जिससे उनका ज्यादा प्रचार हो और उनका कौशल अद्वितीय साबित हो सके।

आतंकवाद का तीसरा मूल तत्व यह है कि आतंकवादी को उम्मीद होती है कि ''इन कृत्यों से उत्पन्न आतंक की भावना आबादी को राजनीतिक नेताओं के बारे में एक विशिष्ट राजनीतिक सोच की ओर दबाव डालने के लिए प्रेरित करेगी'' (एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका)।

चौथा मूल तत्व हैरू आतंकवादी हिंसा के शिकार आमतौर पर निर्दोष नागरिक होते हैं। अमेरिकी सरकार इस बात से सहमत है कि आतंकवाद पूर्व नियोजित, गैर–लड़ाकू लक्ष्यों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा है। संघर्ष की स्थिति में, चाहे वह सशस्त्र बल हो या गुरिल्ला समूह, दोनों कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों का पालन करते हैंय उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून जो जानबूझकर निहत्थे नागरिक आबादी को लक्षित करने पर रोक लगाता है। ऐसे किसी भी मानदंड का पालन करने के लिए आतंकवादियों का तिरस्कार होता हैय अक्सर निर्दोष नागरिक ही उनके हमलों का लक्ष्य होते हैं। इसलिए, यह कहा जाता हैः ''किसी भी व्यक्ति का आतंकवादी हर किसी का आतंकवादी होता है''। कारण कितना भी न्यायोचित क्यों न हो, नागरिकों की अंधाधुंध हत्या और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना आतंकवाद के ही कृत्य कहे जाते हैं।

इस प्रकार, आतंकवाद के एक अधिनियम का गठन करने वाले कुछ प्रमुख तत्वों पर सहमति हुई है। जबकि ऐसा है, चाहे किसी अधिनियम को आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं, यह अत्यधिक व्यक्तिपरक है। समस्या यह है कि आतंकवाद शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार की राजनीतिक हिंसा का वर्णन करने या न करने के लिए किया जाता हैय इसलिए यह अभी भी अस्पष्ट है।

9.4.1 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के आतंकवाद की पहचान करने का प्रयास किया हैय जो आसान नहीं है। आतंकवादी समूहों के उद्देश्य, सदस्य, विश्वास और संसाधन और वे राजनीतिक संदर्भ जिनमें वे काम करते हैं, बहुत विविध होते हैं। 20वीं सदी में, कई राजनीतिक आंदोलनों ने, अति दक्षिणपंथ से लेकर अति वामपंथ तक, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। उपनिवेशवाद विरोधी संदर्भ में एक या दोनों पक्षों द्वारा आतंक का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के लिए अल्जीरिया में औपनिवेशिक फ्रांसीसी प्रशासन और अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन द्वाराय फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच मातृभूमि के कब्जे को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय समूहों के बीच का विवादय धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का संघर्षय और अल सल्वाडोर में सरकार और विद्रोहियों के बीच आंतरिक संघर्ष।

आधुनिक तकनीक जैसे कि स्वचालित हथियार, रिमोट नियंत्रित विस्फोटक उपकरण, हवाई यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकीआदिने आतंकवादियों को अपने लक्ष्य चुनने के लिए बहुत अधिक मारक क्षमता और गतिशीलता प्रदान की है। आतंकवाद की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि आतंकवाद आधुनिक राजनीतिक जीवन की एक विशेषता बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भी डर है कि आतंकवादी परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आतंकवादी समूहों ने रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है। जापानी पंथ एयूएम

शिनरिक्यो ने 1995 में टोक्यो मेट्रो में न्यूरो गैस छोड़ी। 11 सितंबर के बाद, एंथ्रेक्स से दूषित कई पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों को भेजे गए, जिससे कई मौतें हुईं।

मसीही विश्वासों का प्रसार, एक कल्पित श्सुनहरेश अतीत में श्वापसश की इच्छा, श्हम बनाम वेश सिंड्रोम, प्रवासी एकजुटता और धन के स्रोतों तक पहुंच आतंकवाद के उदय और प्रसार के कुछ कारक हैं। वैश्वीकरण के परिणाम के रूप में अलगाव की भावनाऔर लंबे समय से लंबित वास्तविक या काल्पनिक शिकायतेंअन्य कारण हैं।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सबसे प्रमुख आतंकवादी समूहों में रेड आर्मी फैक्शन, जापानी रेड आर्मी, रेड ब्रिगेड्स, प्यूर्टो रिकान एफएएलएन, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) से संबंधित समूह, द शाइनिंग पाथ, और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) उभरे हैं। 21वीं सदी में आतंकवाद में लिप्त कुछ अतिवादी संगठनों के पास एक कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा (जैसे, हमास और अल–कायदा) थी। लिट्टे, हमास और तालिबान सहित कुछ समूहों ने भी आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक या प्रतीकात्मक लक्ष्य को नष्ट करने के लिए आत्मघाती बमबारी का सहारा लिया। इन समूहों की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार हैः

रेड आर्मी फैक्शन (आरएएफ), जिसे बादर–मीनहोफ ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 1970 में स्थापित एक पश्चिम जर्मन अति वामपंथी उग्रवादी संगठन था। यह 1970 के दशक के अंत में बहुत सक्रिय था, लेकिन शायद1998 में इसे भंग करने का फैसला किया। पश्चिम जर्मन सरकार के साथ–साथ अधिकांश पश्चिमी मीडिया और साहित्य ने रेड आर्मी फैक्शन को एक आतंकवादी संगठन माना। रेड आर्मी फैक्शन तीन दशकों के दौरान बम विस्फोटों, हत्याओं, अपहरणों, बैंक डकैतियों और पुलिस के साथ गोलीबारी की एक श्रृंखला में लगा हुआ है। शायद इस समूह ने खुद को पुनर्जीवित कर लिया है। यह 2016 में बैंक डकैती में शामिल थाय लेकिन सरकार ने इस घटना को आतंकवादी नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य बताया।

जापानी रेड आर्मी (जेआरए) 1971 में स्थापित एक कम्युनिस्ट उग्रवादी समूह था। जेआरएका घोषित लक्ष्य जापानी सरकार और राजशाही को उखाड़ फेंकने के साथ–साथ एक विश्व क्रांति शुरू करना था। समूह को साम्राज्यवाद–विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड (एआईआईबी), पवित्र युद्ध ब्रिगेड और युद्ध–विरोधी डेमोक्रेटिक फ्रंट के रूप में भी जाना जाता था। जापानी रेड आर्मी के गुटों का 1970 के दशक में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (पीएफएलपी) के साथ घनिष्ठ संपर्क था।

नेशनल लिबरेशन के सशस्त्र बल (एफएएलएन) एक प्यूर्टो रिकान भूमिगत अर्धसैनिक मार्क्सवादी–लेनिनवादी संगठन था जिसने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से प्यूर्टो रिको को अमेरिकी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की थी। यह प्यूर्टो रिको को एक समाजवादी राज्य में बदलना चाहता था। इसने 1974 और 1983 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में 130 से अधिक बम हमलों को अंजाम दिया। एफएएलएन के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को डकैती करने और आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों को रखने के लिए गिरफ्तार और दोषी ठहराया गया था। 1999 में, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस शर्त के तहत सोलह दोषी उग्रवादियों को क्षमादान की पेशकश की कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग करते हैं।

शाइनिंग पाथ (सेंडेरो लुमिनोसो) एक पेरू क्रांतिकारी संगठन था जिसने माओवाद का समर्थन किया और गुरिल्ला रणनीति और हिंसक आतंकवाद को अपनाया। इसका गठन 1970 में हुआ थाय इसके नेता अबीमेल गुजमैन का मानना था कि माओत्से तुंग के विचारों में पेरू के ग्रामीण गरीबों और स्वदेशी आबादी का समाधान है। यह सोचा गया था कि एक लंबे समय तक सैन्य आक्रमण अकेले पेरू को विदेशी पूंजी और सामंती जमींदार वर्ग के चंगुल से मुक्त कर देगा। यह समूह 1980 के दशक में बमबारी, अपहरण और हत्या में शामिल था और इसने लीमा जैसे शहरी क्षेत्रों में भी हमला करने के लिए मजबूत आधार विकसित किया था। गुजमैन को 1992 में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। द शाइनिंग पाथ को ऑस्कर रामिरेज डूरंड ने पुनर्गठित किया, जिसे 1999 में गिरफ्तार कर लिया गया। 2003 में पेरू की ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पेरू के 20 साल के विद्रोही संघर्ष में अनुमानित 70,000 मौतों में से 37,800 शाइनिंग पाथ के कारण हुई थी।

20 वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्यूर्टो रिकान राष्ट्रवादियों (जैसे एफएएलएन), गर्भपात विरोधी समूहों और विदेशी–आधारित संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा के कई कृत्यों का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक के दौरान, अमेरिकी धरती पर सबसे घातक हमला 1993 में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी और दो साल बाद ओक्लाहोमा सिटी में बमबारी थी, जिसमें 168 लोग मारे गए थे। इसके अलावा, 1996 में सऊदी अरब में सैन्य ठिकानों और 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों सहित विदेशों में अमेरिकी सरकार के ठिकानों पर कई बड़े आतंकवादी हमले हुए। 2000 में, अमेरिकी नौसैनिक जहाज, यूएसएस कोल पर यमन के एडेन बंदरगाह पर बमबारी की गई थी।

9.4.2 आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका कावैश्विक युद्ध

11 सितंबर 2001 को, 19 आतंकवादियों ने चार उड़ानों का अपहरण किया और तीन हवाई जहाजों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया – दो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर के ट्विन टावरों पर और एक वाशिंगटन, डीसी मेंय चौथा विमान पेन्सिल्वेनिया के खेतों में गिरा। यह अमेरिकी धरती पर सबसे घातक हमला था और इसके परिणामस्वरूप 2,977 लोग मारे गए थे।

अल कायदा के नेतृत्व वाले हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध (जीडब्ल्यूओटी) की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। हमलों के एक दिन बाद, बुश ने राष्ट्रीय संबोधन में घोषणा कीः ''अब हर क्षेत्र के हर देश को एक निर्णय करना है''। ''या तो आप हमारे साथ हैं या आप आतंकवादियों के साथ हैं।[8] ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हवाई बमबारी शुरू कीय 19 अक्टूबर को अमेरिकी विशेष बलों ने कंधार को निशाना बनाकर जमीनी युद्ध शुरू किया। कई अन्य राष्ट्र– ब्रिटेन, टर्की, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अन्य – तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने और अफगानिस्तान में अल कायदा के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान में शामिल हुए। साल के अंत से पहले, तालिबान का शासन खत्म हो गया और अमेरिका समर्थित हामिद करजई ने जून 2002 में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2 मई 2011 का अमेरिकी विशेष

बलों ने एबटाबाद, पाकिस्तान में एक सुरक्षित ठिकाने पर छापा मारा और अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 28 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान में युद्ध की समाप्ति की घोषणा कीय और राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा की कि कुछ 10,800 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रहेंगे। हालांकि, राष्ट्रपति अशरफ घानी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी गंभीर कमजोरियों को उजागर करना जारी रखाय अफगान सुरक्षा बल देश को संभालने में सक्षम नहीं थीं। अमेरिकी सैनिकों की ताकत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बढ़ाई गई थीय तालिबान को वश में करने और उन्हें अशरफ घानी सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए और अधिक हवाई और जमीनी हमले हुए। हालांकि, पुनर्संमूहित तालिबान ने विद्रोह में सफल वापसी की है और लगभग आधे अफगान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 2018 में, अमेरिका और तालिबान नेतृत्व ने 14,000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बातचीत की और गारंटी दी कि अमेरिकी वापसी के बाद अफगान धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति घानी की निर्वाचित सरकार ने खुद को अलग–थलग और हाशिए पर पाया।

इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने की खुफिया रिपोर्ट के बाद 19 मार्च 2003 को अमेरिका और गठबंधन सेना ने इराक पर आक्रमण किया। अप्रैल के अंत तक अमेरिका ने इराक में जीत की घोषणा कर दी थी। सद्दाम हुसैन को उसके ठिकाने से पकड़ लिया गया और 30 दिसंबर 2006 को उसे मार दिया गया था। 30 अगस्त 2010 को, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में अमेरिकी युद्ध मिशन को समाप्त करने की घोषणा की।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके दायरे, व्यय और प्रभाव में, अमेरिका के जीडब्ल्यूओटीकी तुलना शीत युद्ध से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करने का वादा किया गया था और सुरक्षा, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सहयोग और शासन के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। जीडब्ल्यूओटीके कई आयाम हैंरू अपने सैन्य आयाम में, इसमें अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान, यमन और कई अन्य स्थानों में गुप्त अभियान और मैत्रीपूर्ण शासन के साथ सैन्य सहायता और सहयोगशामिल थे। इसका खुफिया आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण थारू अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसियों को पुनर्गठित और विस्तारित कियाय सूचना एकत्र करने और आतंकवाद को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गयाय इसने आतंकवादियों के वित्तीय संसाधनों को काट दियाय और आतंकवादी संदिग्धों को पकड़ लिया गया और बिना मुकदमे के ग्वांटानामो बे में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अपने राजनयिक आयाम में, जीडब्ल्यूओटीने भागीदार देशों के साथ एक वैश्विक गठबंधन बनाने और बनाए रखने की मांग की और मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सार्वजनिक कूटनीति अभियान चलाया। जीडब्ल्यूओटीके घरेलू आयाम ने अमेरिकी प्रशासनों को नए बनाने वाले कानून पारित करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि यूएसए पैट्रिओटअधिनियम, होमलैंड सुरक्षा विभाग जैसे नए संगठन बनाने के लिए और सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ाने के अलावा नागरिक स्वतंत्रता पर कार्यकारी और न्यायिक प्रतिबंधों की अनुमति दी।

हालांकि आलोचकों का मानना है कि जीडब्ल्यूओटी ने अपने मिशन को हासिल नहीं किया हैरू ग्वांटानामो और अन्य जगहों पर हजारों आतंकवादी संदिग्धों को हिरासत में

लेने के बावजूद 9/11 के बाद आतंकवादी घटनाएं हुईं। कई लोगों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जीडब्ल्यूओटी की आलोचना की है क्योंकि हजारों लोगों को वर्षों तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया और यातना एक स्वीकृत प्रथा बन गई। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक से दूर कई संदिग्ध दुश्मनों को मारने के लिए मानव रहित लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तालिबान शासन को उखाड़ फेंका गया था लेकिन 18 साल बाद, अमेरिका अब उसी तालिबान नेतृत्व के साथ शांति वार्ता और सैन्य वापसी पर बातचीत कर रहा है। अल कायदा का प्रभाव कम हुआ लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ।इसके सहयोगियों ने मैड्रिड, लंदन और अन्य स्थानों पर बम विस्फोटों के साथ अपने आतंकवाद मिशन को जारी रखा। अल कायदा के सहयोगियों ने 11 मार्च 2004 को आतंकवादी बम विस्फोट किए, जब मैड्रिड में चार ट्रेनों पर बमबारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 191 लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। 7 जुलाई 2005 को, लंदन अंडरग्राउंड पर आतंकवादी बम विस्फोट और एक डबल डेकर बस के ऊपर बम विस्फोट में 52 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। दाएश (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट) की वृद्धि और इराक और सीरिया में जारी युद्धों का मतलब है कि न तो आतंकवाद का खतरा कम हुआ है और न ही मुस्लिम दुनिया में अमेरिकी विरोधी भावनाएं गायब हो गई हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो भू–रणनीतिक आधार पर जीडब्ल्यूओटी की आलोचना करते हैंरू उनका तर्क है कि आतंकवाद पर युद्ध अमेरिका के लिए अपने विस्तारवादी भू–राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक बहाना था – अफगानिस्तान, इराक और अन्य देशों में मजबूत सैन्य उपस्थितिय महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों और मार्गों का नियंत्रणय और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न सामरिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए था।

इराक के मामले में, एक बार सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद, अमेरिका को पता नहीं था कि इराक में शांति और स्थिरता कैसे स्थापित की जाए। इसने शुरू से ही एक कार्यशील सरकार बनाने की कठिनाइयों को कम करके आंका था और यह नहीं जानती थी कि सुन्नी–शिया सांप्रदायिक विभाजन से कैसे निपटा जाए। अमेरिकी निगरानी में, इराक अराजकता और गृहयुद्ध में डूब गयाय 2004–07 के दौरानजब इराक में संघर्ष अपने चरम पर था, लगभग 2 लाख नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। यह अमेरिका की निगरानी में था कि दाएश (आईएसआईएल) ने इराक, सीरिया और उसके बाहर अपने जाल फैलाए।

राष्ट्रपति ओबामा ने 2013 में अचानक जीडब्ल्यूओटीकी घोषणा करते हुए कहा कि विशिष्ट शत्रु समूहों के खिलाफ अधिक केंद्रित कार्यों के पक्ष में अमेरिका एक असीम, अस्पष्ट रूप से परिभाषित ष्आतंकवाद पर वैश्विक युद्धष से बच जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक दोनों देशों में युद्धों को समाप्त करने का वादा किया, हालांकि 2016 में उनके राष्ट्रपति पद के आखिरी समय तक दोनों देशों में अमेरिकी सैनिक थे। हालांकि आलोचकों ने ओबामा की अमेरिका के जीडब्ल्यूओटी को समाप्त करने की घोषणा को बयानबाजी के रूप में पाया। बुश प्रशासन की नीतियों के साथ महत्वपूर्ण निरंतरता थी। उदाहरण के लिए, ओबामा प्रशासन ने ड्रोन से लक्षित हत्याओं के अभियान का बहुत विस्तार किया। स्वीकृत युद्ध क्षेत्रों के बाहर के देशों में लो–प्रोफाइल सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए विशेष अभियान बलों का विस्तार किया गया और तेजी से तैनात किया गया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक निगरानी

शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखा जो उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता समूहों के विरोध के बावजूद बुश प्रशासन के दौरान जमा की थीं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के टिप्स के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) आतंकवाद को परिभाषित करें और इसके मूल तत्वों की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) अमेरिका के जीडब्ल्यूओटी की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

9.5 आतंकवाद का खतरा : भारत का मामला

आतंकवाद के साथ भारत का अनुभव कैसा रहा है? और इसने इस गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरे से कैसे निपटा है? आतंकवाद के साथ भारत का अनुभव पैमाने, दायरे और जटिलता में बेहद असामान्य है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने असामान्य रूप से बड़ी और विविध संख्या में आतंकवादी समूहों का सामना किया है – घरेलू, सीमा पार और अंतरराष्ट्रीय। ये समूह बहुत विविध वैचारिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विद्वानों का कहना है कि भारत में राजनीतिक हिंसा पहचान के मुद्दों और अलगाव और स्वायत्तता के लिए इसके दावे के साथ कई तरह से बातचीत और प्रतिच्छेद करती है। जातीयता, जाति और धर्म, राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद को पोषित करते हैंय साथ ही, वे राज्य की सीटी प्रतिक्रिया या इसकी कमी को भी प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं। इसके अलावा, भारत में कई आंतरिक संघर्ष हैं, जो उग्रवाद के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी प्रमुख विशेषता आतंकवाद है। ऐसे समूह जिन्हें 'शुद्ध आतंकवादी समूह' के रूप में वर्णित किया जा सकता है, वे इतने सामान्य नहीं हैं। उग्रवाद और आतंकवाद के बीच की समानता भारत के संदर्भ में सुरक्षा खतरे के रूप में आतंकवाद का अध्ययन करने के कार्य को जटिल बना देता है। आतंकवाद,उग्रवाद और अलगाववाद के बीच एक रेखा खींचना आसान नहीं है। विश्लेषकों को भारत की सीटीऔर काउंटर–इंसर्जेंसी (सीओआईएन) प्रतिक्रियाएँ तदर्थ, असंगत और यहाँ तक कि विरोधाभासी भी लगती हैं।

2013 में, भारत में कम से कम 66 आतंकवादी समूह थे। 2015 में, भारत के गृह

मंत्रालय ने 39 प्रतिबंधित समूहों को सूचीबद्ध किया। लेकिन सूची में ऐसे कई समूह शामिल नहीं थे जो सक्रिय थे लेकिन प्रतिबंधित नहीं थे। फिर ऐसे समूह थे जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय थे या अधिकारियों के साथ किसी प्रकार की बातचीत में शामिल थे। इन गैर–राज्य कारकों की विशाल संख्या और विविधता को देखते हुए, एक संक्षिप्त और व्यापक विवरण इस प्रकार हैरू

9.5.1 म्मू और कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद

सबसे जटिल संघर्षों में से एक भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में जारी है। 'कश्मीर मुद्दे' के अंतरराष्ट्रीय आयाम भी हैं। जम्मू–कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के बाद से एक अलग पहचान और स्वायत्तता मुख्य मुद्दा रहा है। 1990 के दशक में विभिन्न एजेंडे को लेकर विभिन्न जातीय–धार्मिक, अलगाववादी विद्रोही समूह उभरे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेतृत्व में स्वतंत्रता समर्थक अलगाववादियों ने 1996 में भारत के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान शुरू किया। जेकेएलएफने कश्मीरी राष्ट्रवाद को काफी धर्मनिरपेक्ष शब्दों में परिभाषित किया, लेकिन समर्थन जुटाने के लिए इस्लाम की भाषा का उपयोग करने से भी संकोच नहीं किया। अलगाववादी समर्थक स्वतंत्रता आंदोलन को जल्द ही हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान समर्थक इस्लामी समूहों ने अपने कब्जे में ले लिया, जो जम्मू–कश्मीर का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। उन्होंने कश्मीर को एक देश के खिलाफ जिहाद के मामले के रूप में देखा। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना छद्म युद्ध शुरू किया और आतंकवाद के साथ कई सीमा पार इस्लामी समूहों को अपने उपकरण के रूप में प्रायोजित किया। इस प्रकार जम्मू–कश्मीर में श्इस्लामी आतंकवादश की घटना सामने आई। 9ध्11 की आतंकवादी घटनाओं के बाद तीसरे प्रकार के संगठन का उदय हुआ। सीमा पार से काम कर रहे कुछ इस्लामी समूहों ने अल कायदा और अन्य अंतरराष्ट्रीय इस्लामी आतंकवादी समूहों की ओर रुख किया। जम्मू–कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थक समूह जैसे लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) और जैश–ए–मोहम्मद (जेईएम) अल कायदा के करीब हो गए। उनके विस्तारित वैचारिक क्षितिज और वैश्विक संबंधों का मतलब था कि दोनों संगठनों ने जम्मू–कश्मीर से परे और भारत के अन्य हिस्सों में अपने आतंकवादी हमले शुरू किए। चाहे वे स्थानीय आतंकवादी समूह हों या पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले सीमा पार के समूह, या अन्य जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े हों, वे सभी जम्मू–कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में व्यापक आतंकवादी कृत्यों में शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने लश्कर और जेईएम को वैचारिक और सामरिक दोनों दृष्टि से विकसित करने में सक्षम बनाया। लश्कर ने 2008 में जम्मू–कश्मीर से बहुत दूरमुंबई में 26ध्11 के आतंकवादी हमले किए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और भारत की व्यापारिक राजधानी में हाई प्रोफाइल इमारतों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

9.5.2 इस्लामी आतंकवाद

सांप्रदायिक दंगों और उनके हाशिए पर और बहिष्कार के काफी लंबे इतिहास ने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग के कट्टरपंथीकरण की सुविधा प्रदान की है। कट्टरपंथ का पैमाना और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की क्षमता स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सीमित है। 1980 के दशक में कुछ घरेलू जिहादी समूह थे जो कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल थेय उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने मदद

की थी। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने 1993 में मुंबई में बम विस्फोटों की श्रृंखला को जन्म दिया, जो पाकिस्तान स्थित दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे। इसके अलावा, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे समूह उभरे। अधिक उग्रवादी सिमी कार्यकर्ताओं ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का गठन किया।

अंत में, अल कायदा और दाएश की संलिप्तता का भी पता चला है। ये अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूह भारत को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ क्रूसेडर–जायोनिस्ट–हिंदू साजिश के हिस्से के रूप में देखते हैं। रिपोर्टें सामने आई हैं कि कुछ भारतीय मुसलमानों ने दाएश के बैनर तले सीरिया और इराक के युद्धों में भी भाग लिया था।

9.5.3 उत्तर–पूर्वी भारत में विद्रोह

भारत में कई विद्रोही आंदोलन अर्धसैनिकवाद के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में विद्रोही समूह लंबे समय से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देते रहे हैं। विद्रोही समूहों और उनके राजनीतिक एजेंडा की संख्या बहुत बड़ी और विविध हैय और यह भारत के लिए जटिल सुरक्षा चुनौतियां प्रस्तुत करता है। 1980 के दशक के बाद से उग्रवाद एक गंभीर खतरा बन गया। विभिन्न विद्रोहों में, सबसे लंबा और सबसे कठिन शायद अलगाववादी नागा आंदोलन रहा है। फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में विद्रोही आंदोलन चल रहे हैं। उत्तर–पूर्व में राजनीतिक अशांति और अलगाव काफी व्यापक है। पूर्वोत्तर में अलगाव और स्वायत्तता की मांग की जड़ें जातीय, आदिवासी और धार्मिक पहचान में हैं। बड़ी संख्या में जातीय समूह शेष भारत से अलग होने पर जोर देते हैं। जातीय संघर्षों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए सरकार के दशकों के प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं। इसके विपरीत, अलग–अलग विद्रोही समूहों द्वारा आतंकवादी हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले दस सालों में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। शांति वार्ता के किसी भी प्रयास का कोई सही परिणाम नहीं होता क्योंकि बहुत सारे अलग–अलग समूह और गुट हैं। उत्तर–पूर्वी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। विद्रोही समूहों को पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान और म्यांमारमें सुरक्षित ठिकाने मिलते हैंजिससे भारतीय सुरक्षा बलों का कार्य और अधिक जटिल हो जाता है। संक्षेप में, उत्तर–पूर्व में सुरक्षा चुनौतियां विषम और कठिन हैं।

9.5.4 पंजाब में खालिस्तान उग्रवाद

पंजाब के उत्तरी राज्य में अलग खालिस्तान राज्य की मांग के लिए 1978–1993 के दौरान सिख उग्रवाद की शुरुआत हुई। जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सशस्त्र उग्रवादियों का एक समूह उभरा, जिसे पंजाब और विदेशों में सिख समुदाय का काफी समर्थन प्राप्त था। उग्रवाद को भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ था। हालांकि, आतंकवाद के कृत्यों का सहारा लेने के बावजूद, देश ने 1984 तक खालिस्तानी आंदोलन को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना जारी रखा। भारतदेश की प्रतिक्रिया अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में आई, जिसने पूरे पंजाब राज्य में हिंसा को भड़का दिया। इसके बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई और दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। 1984 के बाद खालिस्तानी आतंकवाद तेज हो गया। 1988 में शुरू की गई ऑपरेशन ब्लैक थंडर नामक एक निर्णायक पुलिस कार्रवाई ने

भारत में खालिस्तान विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद हिंसा और आतंकवाद की छिटपुट घटनाएं होती रही हैं। कुछ खालिस्तान समर्थकतत्व विदेशों में सिख प्रवासी के तौर पर सक्रिय हैं। जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी समूहों की तरह, मीडिया इन प्रवासी खालिस्तानी तत्वों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थन दिए जाने की बात करती है।

9.5.5 नक्सली आंदोलन

क्या नक्सली आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन घोषित कर देना चाहिए? इसका उत्तर आसान नहीं है। नक्सली समूह द्वारा हिंसा और आतंकवाद की जड़ें ग्रामीण और आदिवासी संकट और देश द्वारा उनके लंबे समय तक शोषण और उत्पीड़न की भावना में निहित हैं। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूमिहीन किसानों के बीच नक्सली आंदोलन उभरा, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदारों के वर्ग के हाथों शोषण और उत्पीड़न का सामना किया था। आंदोलन ने माओत्से तुंग के लेखन और चीन में 1949 की क्रांति से प्रेरणा ली जो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू हुई थी। इस प्रकार, यह एक ऐसा आंदोलन है जो वर्ग पर आधारित है न कि पहचान परय और यह मौजूदा भारतीय व्यवस्था के स्थान पर एक नई और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था लाने का प्रयास करता है। आधिकारिक स्तर पर यह धारणा है कि नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में विकास से नक्सलवाद की समस्या का समाधान होगा। लेकिन न तो विकास हुआ है और न ही नक्सल हिंसा के खिलाफ कोई गंभीर सीटी कार्रवाई शुरू की गई है। नतीजतन, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और अब भारत के कुल 602 जिलों में से लगभग 185 जिलों में फैल गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। इस आंदोलन ने शहरी क्षेत्रों में कारखाने के श्रमिकों और शिक्षाविदों के वर्ग के बीच भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हाल के वर्षों में, यह आतंकवादी हमलों और विनाश के लिए सुरक्षा कर्मियों और नागरिक बुनियादी ढांचे को तेजी से लक्षित कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण ने अन्य बातों के अलावा अवैध खनन, पूछताछ और वनों की कटाई के विस्तार में भी योगदान दिया हैय इन सभी ने नक्सल आंदोलन को और मजबूत करने में योगदान दिया है। आदिवासियों, दलितों, भूमिहीनों और अन्य ग्रामीण गरीबों का निरंतर हाशिए पर रहना और बहिष्कार आंदोलन की लंबी उम्र की व्याख्या करता है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के टिप्स के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) भारत में हिंसक आंदोलनों के कई आयामों और रंगों और उनके आतंकवाद के उपयोग की व्याख्या करें। देश की प्रतिक्रिया सीमित क्यों है?

.....

.....

.....

.....

9.6 सारांश

सुरक्षाके गैर–पारंपरिक खतरेसे सुरक्षा की परिभाषा व्यापकहैरू इसमें न केवल देश की बल्कि समुदायों की भी सुरक्षा शामिल है। आईआर का अध्ययन करने के लिए एक परिप्रेक्ष्य के रूप में, एनटीएस परिप्रेक्ष्य सुरक्षा के लिए नए प्रकार के खतरों की प्रकृति और स्रोतों पर प्रकाश डालता है। एनटीएस का खतरा हमेशा बना रहता है लेकिन शीत युद्ध के बाद के युग में इसका विस्तार ज्यादा हुआ है। वैसे भी, एनटीएस के खतरे अक्सर अपनी शक्ति और परिमाण में अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार होते हैं। इसका सामना स्पष्ट रूप से एक एकल संप्रभु देश द्वारा नहीं किया जा सकता। एनटीएस के खतरे क्षेत्रीय और यहां तक कि वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग करती हैं। यह देश के व्यवहार में बदलाव और क्षेत्रीय शासन मानदंडों और तंत्र के प्रति अधिक से अधिक आंदोलन की मांग करता है।

एनटीएस के खतरे हमेशा से थेय लेकिन उन्हें सुरक्षा के लिए कभी भी खतरा नहीं माना गया। जो चीज वास्तव में उन्हें महत्वपूर्ण खतरा बनाती है, वह है अब इन खतरों को तेजी से प्रसारित करने का पैमाना, इसकी गति और क्षमता।

आतंकवाद एक प्रमुख गैर–पारंपरिक खतरा है। इससे निपटने में मुश्किल होने का एक कारण यह है कि खतरा मायावी बना हुआ है। साथ ही, आतंकवाद की अवधारणा आसान नहीं है। विश्लेषकों को फिर भी आतंकवाद में कुछ ऐसे मूल तत्व मिले हैं जो इसे क्रांतिकारी आंदोलनों और विद्रोह से अलग करते हैं। आतंकवाद आम जनता के मन में भय पैदा करने का काम करता है और जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास करता है। संप्रभु देशों के बीच समन्वय की कमी और यह तथ्य कि राज्य अपने राष्ट्रीय हित में जो कुछ भी है, के आधार पर अपनी स्थिति को बदलना जारी रखते हैं, ऐसे कारक हैं जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध की घोषणा है।

आतंकवाद सुरक्षाके लिए एक गैर–पारंपरिक खतरा है जिसने भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही पीड़ित किया है। भारत का केस स्टडी इंगित करता है कि आतंकवाद एक जटिल मुद्दा है। यह घरेलू राजनीति, पहचान की राजनीति और अलगाव की मांगों में अंतर्निहित होता है। काउंटर टेररिज्म (सीटी) और काउंटर इंसर्जेंसी (सीओआईएन) उपायों के रूप में देश की प्रतिक्रिया तदर्थ, असंगत और अक्सर घरेलू राजनीतिक और चुनावी समीकरणों से बाधित होती है।

9.7 संदर्भ ग्रंथ

आचार्य, अमिताभ, एटआल, ऐडिटर्स, (2006), *स्टडींग नॉन–ट्रैडिशनल सिक्यूरिटी इन एशिया : ट्रेण्ड्स एण्ड इश्यूज,* सिंगापोर : मार्शल कैवेंडिश।

बरूआह, एस., ऐडिटेड (2009), *बियॉण्ड काउंटर–इंसर्जेंसी : ब्रेकिंग दि इम्पैज इन नॉर्थईस्ट इण्डिया,* ऑक्सफोर्ड : ओयूपी।

कैबालेरो–ऐन्थॉनी, मेले ऐट आल, ऐडिटर्स (2017), *नॉन–ट्रैडिशनल सिक्यूरिटी इन एशिया : डिलेमाज इन सिक्यूरिटाइजेशन,* हैम्पशायर : आगाते।

चिमा, जे.एस. (2010), *दि सिक्ख सैपरेटिस्ट इंसर्जेंसी : पॉलिटिकल लीडरशिप एण्ड इथनोनैशनलिस्ट मूवमेंट,* न्यू डेल्ही, : सेज पब्लिकेशंस।

डडवाल, शेबोन्ती रे एण्ड उत्तम कुमार सिन्हा, ऐडिटेड (2015), *नॉन–ट्रैडिशनल सिक्यूरिटी चैलेंजेज इन शिया : अप्रोचेज एण्ड रिस्पोंस,* रूटलेज।

इम्मर्सन, डोनालड, के. ऐडिटेड (2009), *हार्ड च्वाइस : सिक्यूरिटी डैमोक्रैसी एण्ड रिजनलिज्म इन साउत्थ ईस्ट एशिया,* सिंगापोर : यूटोपिया प्रेस।

इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका।

गांगूली, सुमित (2016), *डैडली इम्पासः इंडो–पाकिस्तान रिलेशंस एट दि डाउन चह` न्यू सेंचुरी,* कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

गांगूली, सुमित, मनजीत परदेसी एण्ड निकोलस ब्लेरल, ऐडिटर्स (2017), *दि ऑक्सफोर्ड हैण्डबुक लच इण्डिया'ज नैशनल सिक्यूरिटी,* न्ये डेल्ही : ओयूपी।

सिंह, रश्मी, ''इण्डिया'ज इक्सपीरियंस विद टेररिज्म, https://www.academia.edu /38378749/Indias_Experiences_with_Terrorism

9.8 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों के अर्थ और सामग्री की चर्चा।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- एनटीएस खतरों के संदर्भ में देश की संप्रभुता की बदलती गतिशीलता।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- आतंकवाद के मूल तत्वों की पहचान करें।
- जीडब्ल्यूओटी पर चर्चा करें।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- हिंसक राजनीतिक आंदोलनों और उनके आतंकवाद के उपयोग की व्याख्या करें।

इकाई 10 शरणार्थी और आव्रजन

संरचना

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 आव्रजन और शरणार्थियों का संकल्पनात्मक विश्लेषण

10.3 आव्रजन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

10.4 आव्रजन और शरणार्थी गतिविधियों में वैश्विक रुझान

10.5 वैश्विक आव्रजन का भूगोल

10.6 शरणार्थियों का पुनर्वास और वापसी

10.7 शरणार्थी समस्या पर भारत की धारणा और प्रतिक्रिया

10.7.1 शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लेकर भारत का दृष्टिकोण

10.7.2 भारत में शरणार्थियों की स्थिति

10.8 सारांश

10.9 संदर्भ ग्रंथ

10.10 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे :

- शरणार्थियों और आप्रवासियों से जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या,
- सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के साथ–साथ संभावित समाधानों का विश्लेषण,
- शरणार्थी गतिविधि और आव्रजन में वैश्विक रुझानों को समझनाय तथा
- भारत शरणार्थियों और आप्रवासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका विश्लेषण।

10.1 प्रस्तावना

आव्रजन एक प्राकृतिक घटना है और मनुष्यों ने हमेशा पलायन किया है। मानव सभ्यता के विकास में आव्रजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेस्टफेलियन राष्ट्र–राज्यों के पतन का कारण राष्ट्रीय क्षेत्रों और सीमाओं का सीमांकन बना, जिससे लोगों का प्राकृतिक आवागमन बाधित हुआ है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रवास और शरणार्थियों के मुद्दों से राष्ट्र–राज्य जूझते रहे हैं।

इस इकाई में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर आव्रजन के गुणों और अवगुणों को जांचते हुए आव्रजन और शरणार्थियों का वैचारिक विश्लेषण होगा। खुली सीमाओं के साथ समान सांस्कृतिक विरासत ने दक्षिण एशिया के इतिहास में बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही देखी है, जो शरणार्थियों और आव्रजन से संबंधित सारे सवालों को उठाती है और यह अद्वितीय है। दक्षिण एशिया का हिस्सा भारत शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर है, लेकिन अपनी सभ्यता के लोकाचार में निहित नैतिक प्रतिबद्धता के कारण आप्रवासियों और शरणार्थियों को आश्रय देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक समृद्धि, मानव विकास और सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए प्रव्रजन का महत्व यह सुनिश्चित करता है कि निकट भविष्य में भी विश्व के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

10.2 आव्रजन और शरणार्थियों का संकल्पनात्मक विश्लेषण

आव्रजन में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों और स्थितियों को शामिल किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के लोग और वातावरण शामिल होते हैं। आव्रजन भू–राजनीति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान–प्रदान से उलझा हुआ है और राज्यों, व्यवसायों और समुदायों को बड़े पैमाने पर लाभ का अवसर प्रदान करता है। यह मूल और गंतव्य दोनों देशों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहतर जीवन का अवसर प्रदान करता है। अधिकांश लोग काम, परिवार से मिलने और अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलायन करते हैं, जबकि कई अन्य लोग संघर्ष, उत्पीड़न, आपदा, पर्यावरण क्षरण, मानव सुरक्षा और अवसर की कमी जैसे कारणों से अपने घरों और देशों को छोड़ देते हैं। हालांकि, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आप्रवास कानूनी रूप से होते हैं, लेकिन आप्रवास के बारे में जनता की चिंता और आप्रवासियों की असुरक्षा अनियमित आव्रजन से जुड़ी है। सभी आप्रवासियों में शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) जैसी विस्थापित आबादी का अपेक्षाकृत प्रतिशत कम है, फिर भी वे अक्सर ध्यानाकर्षण में आगे रहते हैं क्योंकि वे अक्सर सहायता की आवश्यकता के दौरान खुद को अत्यधिक कमजोर स्थिति में पाते हैं।

आव्रजन या आप्रवासियों की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य और आधिकारिक तौर पर बाध्यकारी हो। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासियों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक या अस्थायी आप्रवासियों में वर्गीकृत किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारण से अपने देश को कम–से–कम 12 महीने के लिए बदलता है, चाहे वह लिखित में हो नहीं, दीर्घकालिक श्रेणी में आता है, जबकि अल्पकालिक या अस्थायी आप्रवासियों के लिए यह अवधि 3 महीने से ऊपर और एक वर्ष से कम है। अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन–आईएमओ) आप्रवासी की बहुत व्यापक परिभाषा देता है जैसे कि ''कोई भी व्यक्ति इस बात की परवाह किए बिना कि उसकी कानूनी स्थिति क्या है, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या राज्य के भीतर अपने निवास स्थान से दूर चला गया हो, चाहे उसका जाना स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक, जाने का कारण जो भी हो या कितनी अवधि से ठहरा हो।"(आईएमओ, 2018)। हालांकि, कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासियों की पहचान करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग करते हैं और साथ ही विभिन्न आंकड़ा–संग्रह विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासियों से संबंधित

राष्ट्रीय आंकड़ों की पूर्ण तुलनीयता में समस्या पैदा करते हैं (विश्व आव्रजन रिपोर्ट, 2018)। आप्रवासी उन लोगों से कहीं अधिक व्यापक श्रेणी है जो अपने निवास स्थान को दूसरी जगह रहने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसा ज्यादातर शहरीकरण के कारण एक देश के भीतर होता है।

'रिफ्यूजी' (शरणार्थी) शब्द लैटिन शब्द तगेरे (Tugere) से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुरक्षा के लिए पलायन करना। शरणार्थी सम्मेलन–1951 और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल के अनुसार, "शरणार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक या अन्य प्रकार के उत्पीड़न के कारण अपने मूल देश से भाग जाता है और उस देश की सुरक्षा हासिल करने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है और इस तरह वह अपनी राष्ट्रीयता खो देता है।" अफ्रीका में अफ्रीकी संघ के 1969 के शरणार्थी समस्याओं के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित करने वाले सम्मेलन में कहा गया है कि बाहरी आक्रामकता, व्यवसाय, विदेशी वर्चस्व या सार्वजनिक व्यवस्था की गंभीर गड़बड़ी से बच कर भागने वाला व्यक्ति भी शरणार्थी है। 1984 में मध्य और दक्षिण अमेरिकी सरकारों की कार्टाजेना घोषणा में हिंसा, विदेशी आक्रामकता, आंतरिक संघर्ष और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अपने जीवन संकट, सुरक्षा या स्वतंत्रता के लिए पलायन करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया था।

आश्रय मांगने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शरण मांग रहे हैं लेकिन उनके दावे पर अभी तक निर्णय नहीं लिए गए होते हैं। शरणार्थी अक्सर आप्रवासियों के बड़े मिश्रित समूह में चलते हैं, जिसमें हिंसा, यातना, लक्षित उत्पीड़न से भागने वाले लोगों के साथ–साथ आर्थिक आप्रवासियों, तस्करी के शिकार, खतरे में पड़ी बच्चे एवं महिलाएं और पर्यावरण से विस्थापित लोग शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रक्रियाओं की तुलना में सामूहिक पलायन को रोकना अधिक दबाव वाला होता है। शरणार्थी और आप्रवासी कानूनी रूप से अलग होते हैं क्योंकि शरणार्थी अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून द्वारा संरक्षित होते हैं।

डायस्पोरा ऐसे "व्यक्तियों और सदस्यों या तंत्रों, संघों और समुदायों को संदर्भित करता है, जिन्होंने अपने मूल देश को छोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ संबंध बनाए रखते हैं। यह अवधारणा विदेशों में बसे समुदायों, विदेशों में अस्थायी रूप से बसे आप्रवासी श्रमिकों, मेजबान देश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति, दोहरी नागरिकता वाले और दूसरी–तीसरी पीढ़ी के आप्रवासियों को शामिल करती है (आईओएम, 2011)। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समकालीन आव्रजन की वास्तविकता का बेहतर वर्णन कर सकता है, जहां आप्रवासी अपने घरेलू समुदायों या अन्य देशों में आप्रवासियों के साथ संपर्क स्थापित और उसे बनाए रख सकते हैं। दरअसल, आईओएम डायस्पोरा और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का परस्पर उपयोग करता है (आईओएम, 2017)।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो सशस्त्र संघर्ष, हिंसा की स्थिति, मानवाधिकार उल्लंघन और प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से बचने के लिए अपने घर या निवास स्थानों को छोड़ने या भागने के लिए बाध्य होता है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक राज्य सीमा पार नहीं की है (आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांत, ओसीएचए/यूएन, 1998)। लौटे आप्रवासी वे व्यक्ति हैं जो "...दूसरे देश में कम–से–कम एक वर्ष बिताने के बाद अपने मूल देश या निवास स्थान पर लौटते हैं। यह वापसी स्वैच्छिक हो भी सकती है या नहीं भी" (आईओएम, 2011)

अनियमित आव्रजन भेजने, पारगमन और अपनाने वाले देशों के नियामक मानदंडों के बाहर होता है। यह आव्रजन नियमों के तहत आवश्यक प्रावधानों या दस्तावेजों के बिना किसी देश में प्रवेश करना, रहना या काम करना होता है। हालांकि, आप्रवासियों या व्यक्तियों की तस्करी के मामले में ''अवैध आव्रजन'' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है।

मिश्रित आव्रजन एक नई घटना और एक पुरानी वास्तविकता, दोनों है और विभिन्न देशों में इसे लेकर अलग–अलग व्यवहार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन (आईओएम) के अनुसार, ''मिश्रित प्रवाह गैर–कानूनी गतिविधियों व अक्सर पारगमन प्रवास से संबंधित होता है, जहां शरणार्थी, आश्रय मांगने वाले, आर्थिक व अन्य आप्रवासी आवश्यक दस्तावेजों के बिना अनधिकृत तरीके से सीमाओं को पार करते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं ''। उदाहरण के लिए, भारत इसे मिश्रित आव्रजन के रूप में देखता है, यूरोपीय नीति निर्माताओं के लिए यह अनियमित आव्रजन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अवैध आव्रजन है। हाल ही में यूरोपीय नीतिगत बहसों में मिश्रित आव्रजन को संकल्पित करने का प्रयास किया गया है। आश्रय चाहने वाले सीरियाई लोगों की आमद के कारण यूरोप के वर्तमान ''आप्रवासी संकट'' ने नाटकीय रूप से मिश्रित प्रवास के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

सामूहिक प्रवाह और मिश्रित प्रवाह के बीच मूल अंतर यह है कि मिश्रित प्रवाह में कई स्थानों के लोग शामिल होते हैं, जबकि सामूहिक प्रवाह में आमतौर पर एक विशिष्ट क्षेत्र के लोग ही शामिल होते हैं। हालांकि, संघर्ष के समय में मिश्रित प्रवाह एक क्षेत्र से भी शुरू हो सकता है।

गैर–वापसी (आप्रवासियों को उनके मूल देश में वापस भेजने की कार्रवाई) प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। यह मेजबान देश को शरण चाहने वाले लोगों को एक ऐसे देश में वापस भेजने से रोकता है जिसमें उन्हें जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के आधार पर उत्पीड़न की आशंका होती है। अलग–अलग देशों ने अपने–अपने तरीके से सिद्धांत की व्याख्या की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि शरणार्थियों को उनके मूल भेजने की बाध्यता उनके देश में रह रहे शरणार्थियों पर लागू होती है, उन लोगों पर नहीं जो उनके देश की सीमा पर पहुंच चुके हैं और प्रवेश करना चाहते हैं। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुच्छेद 33 (1) कहता है : "कोई भी अनुबंधित राज्य किसी भी तरीके से शरणार्थियों को निष्कासित या लौटा कर उस क्षेत्र या सीमा पर नहीं भेजेगा, जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता को उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के आधार पर खतरा हो सकता है।" गैर–वापसी का सिद्धांत शरण और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आधारशिला है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित उत्पीड़न से अन्य देशों में शरण लेने के अधिकार के बाद यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों को मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें जीवन के अधिकार, यातना या क्रूरता व अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता व सुरक्षा शामिल है। गैर–वापसी सिद्धांत सीमांत अस्वीकृति और प्रवेश निषेध को प्रतिबंधित करता है। अफ्रीकी संघ के संगठन (आईएयू) सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वापसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1990 के दशक में यूरोपीय स्थिति में बदलाव

शुरू हुआ, जब बाल्कन युद्ध से भागकर शरण चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में यूरोपीय देशों की सीमाओं पर पहुंचे थे।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. शरणार्थी कौन है? बताएं कि एक शरणार्थी आप्रवासी और डायस्पोरा से कैसे अलग है?

.....

.....

.....

.....

.....

10.3 आव्रजन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

आव्रजन मूल और गंतव्य देशों के अलग–अलग दृष्टिकोण से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देता है। आव्रजन का प्रभाव व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर सबसे पहले और सबसे अधिक महसूस किया जाता है। आव्रजन से कम कुशल कामगारों को, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही सबसे अधिक प्रतिबंधित है, वेतन अंतर और सापेक्ष आय लाभ सबसे अधिक होता है। आप्रवासियों की आय में वृद्धि स्वाभाविक रूप से उनके परिवारों के कल्याण और मानव विकास में मदद मिलती है। परिवार अगर मेजबान देश में आप्रवासी के साथ है तो प्रत्यक्ष मदद होती है और अगर वह अपने मूल देश में है तो आप्रवासी द्वारा भेजे गए धन (धन प्रेषण) द्वारा परोक्ष रूप से होती है।

प्रव्रजन बेरोजगारी और अल्प–रोजगार को भी कम कर सकता है, जो मूल देश में विभिन्न तरीकों से गरीबी में कमी और व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। भेजा हुआ धन आमतौर पर कई विकासशील देशों के लिए अन्य पूंजी प्रवाह की अपेक्षा कम अस्थिर और अधिक विश्वसनीय विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है (विश्व बैंक, 2016)। वर्ष 2016 में भेजे गए धन के मामले में भारत, चीन, फिलीपींस, मेक्सिको और पाकिस्तान शीर्ष पांच देश थे। इनमें चीन व भारत अन्य देशों से बहुत आगे थे और दोनों देशों में से प्रत्येक ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक धन प्राप्त किया। हालांकि, बाहर से आए धन को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वर्ष 2016 में शीर्ष पांच देशों में किर्गिस्तान (35.4%) सबसे आगे है, इसके बाद नेपाल (29.7%), लाइबेरिया (29.6%), हैती (27.8%) और टोंगा (27.8%) आता है। वर्ष 2016 में भारत में भेजे गए धन का प्रवाह 62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो विश्व में सबसे अधिक था और उसी वर्ष पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में बाहर से भेजा गया धन उनके जीडीपी के 5 प्रतिशत को पार गया था (विश्व बैंक, 2017)। कुछ देश पूरी तरह भेजे गए धन पर निर्भर हैं और उन्हें 'धन प्रेषण अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।

आव्रजन से कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्य संस्कृति का भी हस्तांतरण होता है, जो मूल देश की उत्पादकता में और आर्थिक विकास पर काफी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्हें स्वदेश में निवेश के स्रोत के रूप में देखा जाता है और घरेलू सरकारें आप्रवासियों को निवेश के लिए नियमित रूप से लुभाती रहती हैं। यह भी देखा गया है कि संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति में आप्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (वान हार्ट 2011)।

इस बात पर व्यापक सहमति है कि आव्रजन गंतव्य या मेजबान देशों के लिए आर्थिक और अन्य लाभ भी पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में आव्रजन को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आर्थिक विकास का यंत्र काम कर सके। सामान्य तौर पर आव्रजन श्रमिकों को अर्थव्यवस्था में जोड़ता है, इस प्रकार वह मेजबान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाता है। यदि आप्रवासी राष्ट्रीय श्रमिकों की तुलना में अधिक कुशल हैं या यदि आव्रजन का नवाचार और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव है तो ऐसे कई तरीके भी हैं जिनसे आप्रवासियों का श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप्रवासियों द्वारा जोखिम लेने की संभावना अधिक होती है और यही गुण गंतव्य देशों के प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में भारी योगदान देता है।

व्यावसायिक क्षेत्रों और श्रमिकों की कमी से जूझ रहे व्यवसायों में श्रम आपूर्ति बढ़ाने के साथ–साथ नौकरी के क्षेत्र में बेमेल की समस्या दूर करने के माध्यम से आव्रजन का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। श्रम बाजार का ये सकारात्मक प्रभाव केवल उच्च कुशल क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि निम्न कुशल व्यवसायों में भी हो सकता है, जो मौजूदा श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आव्रजन घरेलू श्रमिकों के वेतन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह के नकारात्मक प्रभाव काफी कम होते हैं। युवा श्रमिकों का आव्रजन तेजी से बढ़ती उम्र वाली आबादी और उच्च आय वाले देशों की पेंशन प्रणालियों पर दबाव को कम कर सकता है।

यूरोप में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि आव्रजन सभ्यताओं के टकराव को तेज कर रहा है। कई यूरोपीय देशों में इस्लामोफोबिया (इस्लाम व मुसलमानों से डर) आम चिंता का विषय है और जनता का मानना है कि मुस्लिम देशों के सभी आव्रजन को रोक दिया जाना चाहिए। कई यूरोपीय देश आप्रवासियों और मुसलमानों की संख्या को अधिक बताते हैं (आईपीएसओएस एमओआरआई, 2016)। आप्रवासियों के प्रति इन धारणाओं के कारण शरणार्थियों और आश्रय मांगने वालों के प्रति हिंसा, उत्पीड़न, धमकियां और जेनोफोबिक (दूसरे देश के लोगों से डर) प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे एकता को प्रोत्साहित करने वाली सरकार के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। एक आशंका यह भी है कि शरणार्थी नागरिक संघर्ष की शुरुआत और विस्तार का एक कारण बन सकते हैं। शरणार्थियों और आप्रवासियों की उपस्थिति का मेजबान समुदायों पर विस्तृत सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शरणार्थी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकते हैं और सामाजिक खाई को बढ़ा सकते हैं। शरणार्थी और स्थानीय समुदायों के बीच मतभेद संघर्ष को बढ़ा सकता है और जब धार्मिक रूप से प्रेरित देशीयता शरणार्थी विरोधी बयानबाजी को बढ़ाता है, उससे जातीय–धार्मिक संघर्ष का जन्म होता है।

वैश्विक आव्रजन व्यापक और वैश्विक पैमाने पर है, लेकिन आव्रजन का आंकड़ा–सूची केवल 45 देशों को शामिल करता है। माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन प्रवाह में आगमन और प्रस्थान दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्र आगमन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पार की सभी गतिविधियों की गिनती करते हैं, लेकिन कई देश केवल आए हुए लोगों की गणना करते हैं और जाने वालों की नहीं। कुछ देशों में आव्रजन प्रवाह आंकड़े आव्रजन स्थिति से संबंधित प्रशासनिक कार्यों जैसे कि जारी करने, नवीकरण, निवास अनुमति–पत्र की वापसी से प्राप्त होते हैं। गैर–प्रवासी यात्रा जैसे पर्यटन या व्यवसाय से आव्रजन गतिविधियों को वर्गीकृत करना भी मुश्किल है। आव्रजन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिजिटली वैश्वीकृत दुनिया में संसाधनों, बुनियादी ढांचे और ज्ञान प्रणालियों की बेहद आवश्यकता होती है, लेकिन विकासशील देशों की गतिशीलता, आव्रजन और अन्य क्षेत्रों पर आंकड़े को एकत्र, प्रबंध व उनका विश्लेषण करने की क्षमता अक्सर सीमित होती है। कई देशों की भौगोलिक स्थिति के कारण आव्रजन प्रवाह पर आंकड़े एकत्रित करने में जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से द्वीपसमूह और अलग–थलग सीमाओं वाले देशों में प्रवेश और सीमा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है और यह समान नागरिक परंपराओं वाले क्षेत्रों द्वारा, जो काम के लिए अनौपचारिक आव्रजन को बढ़ावा देते हैं, अधिक जटिल बना दिया जाता है।

10.4 आव्रजन और शरणार्थी गतिविधियों में वैश्विक रुझान

वर्ष 2017 में दुनिया भर में लगभग 258 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी थे, जो कुल आबादी के 3.4 प्रतिशत के बराबर है (यूएन डीईएसए, 2017)। समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अनुमान से अधिक संख्यात्मक और आनुपातिक वृद्धि हुई है। अतीत में आव्रजन ने सबसे बड़ी अस्थिरता दिखाई है, इसलिए कुछ सटीकता के साथ आव्रजन अनुमान को रखना कठिन है (यूएन डीईएसए, 2003)। युद्ध क्षेत्रों के बाहर हिंसक चरमपंथ सहित नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण शीत युद्ध के बाद का युग भी आंतरिक एवं बाह्य विस्थापित आबादी में जबरदस्त वृद्धि का गवाह रहा है। वर्ष 2016 में दुनिया भर में आंतरिक रूप से 40.3 मिलियन विस्थापित व्यक्ति और 22.5 मिलियन शरणार्थी थे (आईडीएमसी, 2017य यूएनएचआरसी, 2017)। दुनिया की विस्थापित आबादी में और बढ़ोत्तरी करते हुए अगस्त 2017 के अंत से आधा मिलियन से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से बांग्लादेश भाग गए।

सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 के एजेंडा में शामिल किए जाने के बाद वर्ष 2015 से आव्रजन सरकारों और विकास भागीदारों का एक सुरक्षित एजेंडा बन गया है। सितंबर 2016 में देशों ने न्यूयॉर्क घोषणा–पत्र को अपनाया, जो आव्रजन और मजबूर विस्थापितों के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और आव्रजन एवं शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते को अपनाने लिए कहता है। वर्ष 2018 में प्रकाशित दोनों समझौते स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आप्रवासियों और शरणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक एकीकरण की बात करते हैं। आप्रवासी और शरणार्थी दोनों मूल और गंतव्य देशों के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं बशर्ते कि उनके कौशल, क्षमताओं और उद्यमशीलता की भावना को पर्याप्त समर्थन और मान्यता दी जाए।

वर्ष 2017 में विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और म्यांमार के साथ–साथ सीरिया संकट जारी रहने के कारण जबरन विस्थापित किए गए लोगों की वैश्विक आबादी बढ़कर 68.5 मिलियन हो गई। सीरियाई संकट वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आबादी के विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2017 में 12.6 मिलियन विस्थापित सीरियाई थे, जिनमें लगभग 6.3 मिलियन शरणार्थी, 146,700 आश्रय मांगने वाले और 6.2 मिलियन आईडीपी थे। सीरियाई शरणार्थियों ने दुनिया भर के 125 देशों में शरण ली है, जिनमें सबसे अधिक तुर्की (3,424,200) ने अपने यहां लोगों को शरण दी है। वर्ष 2017 के अंत में तुर्की के आव्रजन प्रबंधन निदेशालय के आंकड़ों में कहा गया है कि वर्ष के शुरुआत में 2.9 मिलियन से 21 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष के अंत में 3.5 मिलियन शरणार्थियों की संख्या के साथ तुर्की दुनिया का सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करने वाला देश है।

यूएनएचसीआर के जॉर्डन फैक्ट शीट्स में उल्लेख किया गया है कि प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 89 शरणार्थियों के साथ जॉर्डन में सबसे अधिक जनसंख्या–शरणार्थी अनुपात है। देश में 2.7 मिलियन से अधिक पंजीकृत शरणार्थी हैं, जिनमें लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनी मूल के लोग हैं जो दशकों से देश में रहते हैं (यूएनएचसीआर, जॉर्डन फैक्ट शीट, 2018)। युगांडा शरणार्थियों को आश्रय देने वाले अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक है, जहां लगभग 1.2 मिलियन शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग रहते हैं। वर्ष 2017 में शरणार्थियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अफगानिस्तान से थी, जिसकी शरणार्थी आबादी 2017 के अंत तक 5 प्रतिशत बढ़कर 2.6 मिलियन हो गई। अफगानिस्तान के अधिकांश शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं।

विकसित देशों की ओर शरणार्थियों के प्रवाह को भारी मीडिया कवरेज मिलने के बावजूद विकासशील देश दुनिया की शरणार्थी आबादी के 84 प्रतिशत हिस्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिश्रित और जटिल आव्रजन प्रवाह के संदर्भ में, जहां शरणार्थी और आप्रवासी दोनों एक ही रास्ते से यात्रा करते हैं, दोनों समूहों के बीच अंतर करना अधिक कठिन है। आप्रवासी आबादी का विविधीकरण, जिस मार्ग को आप्रवासी अपनाते हैं, जिन स्थानों पर वे चलते हैं और प्रवास के पारगमन चरित्र ने न केवल गतिविधियों के नियमन और प्रबंधन के लिए चुनौतियां पैदा की हैं, बल्कि आप्रवासियों के लिए अपने मूल देश, गंतव्य देश और पारगमन के विकास में योगदान का अद्वितीय स्थान भी बनाए हैं।

यूएनएचसीआर का अनुमान है कि वर्ष 2016 के अंत में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का वैश्विक शरणार्थी की आबादी में लगभग 51 प्रतिशत हिस्सा था। इसी अवधि में महिलाओं का अनुपात 47 से 49 प्रतिशत के बीच अपेक्षाकृत स्थिर रहा। व्यापक वैश्विक गतिशीलता के अनुरूप, 2016 की समाप्ति पर शहरी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत शरणार्थियों की आबादी के साथ शरणार्थी शहरी क्षेत्रों में अधिक बसे हैं (यूएनएचसीआर, 2016 और 2017)। वर्ष 2016 में अकेले और अलग हुए बच्चों द्वारा शरण के लिए 70 देशों में अनुमानित 75,000 व्यक्तिगत आवेदन दिए गए (यूएनएचसीआर, 2017)। शरण के लिए दिए गए आवेदनों में समग्र वैश्विक रुझानों के अनुरूप अकेले और अलग हुए बच्चों के कुल आवेदनों के आधे से अधिक सिर्फ जर्मनी को मिले।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. आव्रजन के प्रमुख सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

10.5 वैश्विक आव्रजन का भूगोल

समय के साथ आव्रजन गलियारे विकसित होते हैं। वे भौगोलिक निकटता, व्यापार एवं आर्थिक कारकों, संघर्ष एवं मानव असुरक्षा, समुदाय एवं जातीय संबंधों के साथ–साथ तस्करी और अवैध व्यापार से आकार लेते हैं। बहुत–से लोग जो सीमा के पार चले जाते हैं, वे अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसा करते हैं। इसलिए, लोगों की प्रवृत्ति आसपास के सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होने की होती है, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या सीमा के पार। विभिन्न क्षेत्रों में शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की अनुपस्थिति के बाद शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय व्यवस्था का विचार स्वीकार्य हो रहा है। औपनिवेशिक देशों के कुछ सबसे बड़े आव्रजन गलियारे अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों से लेकर फ्रांस, स्पेन और इटली के बीच स्थित हैं, जो कि औपनिवेशिक संबंधों को दर्शाते हैं। खाड़ी देशों, मिस्र से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी महत्वपूर्ण श्रम आव्रजन गलियारे हैं। अफ्रीका के अधिकांश शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को इस क्षेत्र के भीतर पड़ोसी देशों द्वारा शरण दिया जाता है। विस्थापन के मुख्य कारकों में संघर्ष और हिंसा शामिल है, जो कुछ मामलों में खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया है। मूल और गंतव्य देशों के बीच भारी आय असमानता और उत्तरी अफ्रीका में बेरोजगारी का उच्च स्तर आव्रजन के महत्वपूर्ण कारक हैं (यूएनएचसीआर, 2017)। गरीबी, कम मजदूरी और उच्च बेरोजगारी के कारण पूर्वी अफ्रीका से बाहर श्रम गतिशीलता जारी है (मान्जी, 2017)। इससे जाहिर है कि बड़ी संख्या में पूर्वी अफ्रीका के निम्न और अर्ध–कुशल लोग अस्थायी कार्य अनुबंधों पर जीसीसी देशों में पलायन कर रहे हैं। खाड़ी देशों की पूर्वी अफ्रीका के साथ निकटता, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार के अवसर के साथ–साथ संयुक्त अरब अमीरात व केन्या (मंजी, 2017) और सऊदी अरब व इथियोपिया (जीसीएओ, 2017) जैसे देशों के बीच हाल ही में हुए श्रम समझौते के कारण जीसीसी देशों में श्रम आव्रजन बढ़ने की संभावना है। सामाजिक–आर्थिक कारकों के अलावा संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता पूर्वी अफ्रीका से अनियमित आव्रजन के महत्वपूर्ण कारक हैं।

वर्ष 2015 में यूरोप से यूरोप में आव्रजन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय आव्रजन गलियारा था। मुक्त आवाजाही व्यवस्था के कारण उच्चस्तरीय आव्रजन संभव हुआ है,

जो नागरिकों को अपने देश की सीमा को बिना किसी जांच के पार करने में सक्षम बनाता है। सीमा–मुक्त शेंगेन क्षेत्र, जिसमें यूरोपीय संघ के 22 सदस्य देश और गैर–यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देश शामिल हैं, 400 मिलियन से अधिक नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित करता है। हालांकि, यूरोप में स्वतंत्र आवाजाही को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वर्ष 2015 की दूसरी छमाही से कई शेंगेन सदस्य देशों ने अस्थायी रूप से सीमा नियंत्रण को फिर से लागू कर दिया है। ''ब्रेक्सिट'' वार्ता से उत्पन्न होने वाली भविष्य की आव्रजन नियम के बारे में यूनाइटेड किंगडम में जून 2016 की यूरोपीय संघ की सदस्यता जनमत संग्रह के बाद अनिश्चितता की संभावना है। इसके अलावा, यूरोप में गैर–यूरोपीय आप्रवासियों की आबादी 2015 में 35 मिलियन से अधिक हो गई, जो ज्यादातर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से आई थी।

मेक्सिको लैटिन अमेरिकी–कैरिबियन क्षेत्र में पलायन वाला सबसे बड़ा देश है। मेक्सिको के अधिकांश आप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक देश से दूसरे देश के लिए आव्रजन गलियारा बना हुआ है। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास जैसे कई अन्य मध्य अमेरिकी देशों के आप्रवासियों की आबादी कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों की आबादी की तरह अमेरिका में रहती है। वर्ष 2016 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में कोलंबिया लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष के कारण शरणार्थियों का सबसे बड़ा उद्‌गम स्थल था। कोलंबिया के शरणार्थियों को पड़ोसी राज्य बोलिविया गणराज्य वेनेजुएला और इक्वाडोर में शरण मिली। हाल के दिनों में प्रचलन उलटा हो गई है और काफी संख्या में आप्रवासी वेनेजुएला से कोलंबिया और अन्य पड़ोसी देशों में चले गए हैं। कैरेबियन क्षेत्र में हैती शरणार्थियों का दूसरा सबसे बड़ा उद्‌गम स्थल है। सबसे प्रमुख अंतर–क्षेत्रीय प्रवासी गलियारों में निकारागुआ, पनामा और अन्य मध्य अमेरिकी देश शामिल हैं, जिनके नागरिक अस्थायी और स्थायी श्रम के लिए कोस्टा रिका जाते हैं, जबकि मध्य अमेरिकी देशों खासकर होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के नागरिक अस्थिरता और रोजगार की कमी के कारण बेलीज पलायन कर रहे हैं। कैरेबियन क्षेत्र में सबसे प्रमुख अंतर–क्षेत्रीय प्रवासी गलियारा हैती–डोमिनिक गणराज्य है, जहां हैती के लोग डोमिनिक गणराज्य में पलायन करते हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ सबसे बड़ी आप्रवासी आबादी वाले चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील में 2010 और 2015 के बीच आप्रवासी आबादी में 16 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पराग्वे के साथ–साथ एंडीज देशों के श्रमिक आप्रवासियों को आकर्षित करते हैं। बोलिविया गणराज्य वेनेजुएला कोलम्बिया और इक्वाडोर से बड़ी संख्या में आए अंतर–क्षेत्रीय आप्रवासियों का घर था, लेकिन 2019 की शुरुआत में वेनेजुएला के लगभग दो मिलियन नागरिक कोलंबिया, ब्राजील और अन्य पड़ोसी देशों में पलायन कर गए।

वर्ष 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़ी विदेशी मूल के लोगों की आबादी थी, जबकि कनाडा उत्तरी अमेरिका में सातवें स्थान पर था। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के विदेशी मूल की 85 प्रतिशत से अधिक आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती थी, जो उनकी कुल आबादी का 14 प्रतिशत है। संयुक्त राज्य में कई देशों से शरणार्थी आए हैं। हालांकि, सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी चीन, हैती, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मिस्र और इथियोपिया की है। कनाडा भी एक बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी करता है। इस आबादी का सबसे बड़ा मूल देश कोलंबिया और चीन है।

हाल ही में चीन और भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों के आगमन के मामले में मेक्सिको से भी आगे निकल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पलायन करने वाले एशियाई लोगों का सबसे बड़ा आव्रजन मार्ग परिवार प्रायोजित वीजा है। वर्ष 2014–2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 76 प्रतिशत एशियाई छात्र थे। कनाडा में मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से प्रवासी आए, लेकिन 2015 तक एशियाई देशों ने इसे पीछे छोड़ दिया और अब भारत कनाडा जाने वाले प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश है।

ओशिनिया के अधिकांश प्रवासी या तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या न्यूजीलैंड में। टोंगा, समोआ और फिजी का अपनी मूल आबादी की तुलना विदेश जाने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक है और विदेश में जन्मी आबादी की तुलना में बहुत कम। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विदेशी मूल की आबादी बहुत अधिक है, जिनका प्रतिशत क्रमशः 28 और 23 है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मेजबान देश है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड हैं। इन देशों में अधिकांश शरणार्थी एशिया से आए हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी में इंडोनेशियाई और ऑस्ट्रेलिया में अफगान और ईरानी। यूनाइटेड किंगडम लगातार दशकों से न्यूजीलैंड में आप्रवासियों का मुख्य स्रोत देश रहा है। विशेष रूप से चीन और भारत से भारी संख्या में आए एशियाई आप्रवासियों के साथ–साथ फिजी, समोआ और टैंगो सहित प्रशांत द्वीपसमूह से आए आप्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद यूनाइटेड किंगडम लगातार दशकों से न्यूजीलैंड आने वाले आप्रवासियों का मूल देश बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और म्यांमार तथा अफगानिस्तान से आकर मलेशिया और इंडोनेशिया में रह रहे शरणार्थियों का पुनर्वास करता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा शरणार्थी पुनर्वास देश है जिसने वर्ष 2015–2016 में 750 सीरियाई शरणार्थियों के पुनर्वास की घोषणा की थी।

एशिया में भारत और चीन ऐसे देश हैं जिनकी विदेशों में रहने वाले आप्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन भारत और चीन की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा हैं। भारत, मेक्सिको और रूसी संघ के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विदेशी मूल वाली आप्रवासियों की आबादी चीन से है। संयुक्त राज्य में दो मिलियन से अधिक चीनी मूल के आप्रवासी रहते हैं, जो कि भारत, फिलीपींस और वियतनाम जैसे अन्य बड़े एशियाई प्रवासी समूहों का भी घर है। विदेशों में रहने वाले आप्रवासियों की बड़ी संख्या वाले देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित अन्य देश भी शामिल हैं, जिनके अधिकांश नागरिक जीसीसी देशों में हैं। वर्ष 2016 के अंत तक सीरिया और अफगानिस्तान के शरणार्थियों की संख्या दुनिया के एक तिहाई से अधिक शरणार्थियों के बराबर थी।

उत्तर एशिया में जापान जैसे देश पहले से ही नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि कोरिया गणराज्य में जन्म दर सबसे कम है और वह ओईसीडी देशों में सबसे तेजी से बुजुर्ग होती आबादी वाला देश है (मून, 2015)। इसलिए दोनों देश अस्थायी विदेशी श्रम आव्रजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि चीन में शहरीकरण ने इतिहास में सबसे बड़े मानव पलायन की शुरुआत की। पश्चिमी और पूर्वी चीन के बीच सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता महत्वपूर्ण एक कारक है। पश्चिमी चीन में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, श्रमिकों की अधिकता और कम आय है, जबकि पूर्वी चीन में उच्च

आय और शिक्षा का स्तर है, लेकिन महानगरीय क्षेत्र श्रमिकों की कमी से जुझ रहा है (ह्यूगो, 2015)।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान शुरू में जीसीसी देशों को श्रम शक्ति उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देश थे, लेकिन श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से आने वाले श्रमिकों के कारण आप्रवासी श्रमिकों की आबादी में विविधता आ गई है (ओमन, 2015)। भारत में लाखों बांग्लादेशी और नेपाली आप्रवासी श्रमिक निर्माण मजदूर और घरेलू कामगार जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं (श्रीवास्तव और पांडे, 2017)। दक्षिण एशिया के देशों में आंतरिक प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में विशाल और व्यापक है, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्थायी और मौसमी प्रवास के कारण (श्रीवास्तव और पांडे, 2017)। बांग्लादेश में मई 2017 में चक्रवात मोरा जैसी आपदाओं ने हजारों लोगों को विस्थापित किया (सोलोमन, 2017)। नेपाल में 2015 में गोरखा और उदयपुर भूकंप जैसी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर आंतरिक विस्थापन हुआ (आईओएम, 2016), जबकि मई 2017 में श्रीलंका में आई भयंकर बाढ़ के कारण लगभग आधा मिलियन लोगों के विस्थापित होने का अनुमान लगाया गया था (आईओएम, 2017)।

दक्षिण–पूर्व एशिया में विदेशी मूल के जनसंख्या आंकड़े पर आधारित सबसे बड़ा अंतर–क्षेत्रीय प्रवास गलियारा म्यांमार से थाईलैंड तक है और दोनों को संघर्ष व हिंसा के कारण विस्थापन से लेकर आय सृजन, परिवार के पुनर्मिलन और अन्य कारणों से पलायन के लिए जोड़ते हैं। जीसीसी देशों में श्रम प्रवास में वृद्धि ने गंतव्य देशों में जबरदस्त जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया है। ओमान और सऊदी अरब को छोड़कर आज आप्रवासी जीसीसी देशों में वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में 88 प्रतिशत, कतर में 76 प्रतिशत और कुवैत में 74 प्रतिशत आप्रवासी हैं (यूएन डीईएसए, 2015)। मूल और गंतव्य देशों के बीच आय का अंतर प्रवासन का एक प्रमुख कारक है। खाड़ी देश श्रम आप्रवासियों को उच्च मजदूरी और अधिक–से–अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं (जैकबसेन और वैलेंटा, 2016)।

सीरिया की सीमा से लगे देश सीरियाई शरणार्थियों के प्रमुख मेजबान हैं और वर्ष 2016 में तुर्की, लेबनान और जॉर्डन दुनिया के शीर्ष 10 शरण देने वाले देशों में शामिल थे (यूएनएचसीआर, 2017)। वर्ष 2015 में मध्य एशिया में जन्मे सिर्फ 5 मिलियन आप्रवासी थे जो रूसी संघ में रह रहे थे (यूएन डीईएसए, 2015)। मध्य एशिया के लोग यूरोप और चीन भी जाते हैं, जहां काम और पारिवारिक संबंध अपेक्षाकृत मजबूत हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में जर्मनी केवल 1 मिलियन से अधिक कजाकिस्तान से आए आप्रवासियों का घर था, जो रूसी संघ के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 2.56 मिलियन कजाक मूल के लोग रहते थे (यूएन डीईएसए, 2015)। कजाकिस्तान अब मुख्य रूप से पारगमन और आव्रजन का देश बन है, जो विभिन्न देशों के कुशल श्रमिकों को तेजी से आकर्षित कर रहा है और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रवासी श्रमिकों का गंतव्य स्थान बनता जा रहा है।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में आव्रजन और शरणार्थियों के अनुभव के बारे में बताएं।

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 शरणार्थियों का पुनर्वास और वापसी

यूएनएचसीआर के प्रमुख आदेशों में से एक शरणार्थियों के लिए स्थायी समाधान की तलाश करना है। इस संदर्भ में यूएनएचआरसी द्वारा स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण और पुनर्वास पारंपरिक समाधान बताया गया है। पुनर्वास एकजुटता और साझा जिम्मेदारी प्राप्त करने का एक ठोस तरीका है। यूएनएचसीआर के पुनर्वास कार्यक्रमों का एक हिस्सा बनने वाले देशों की संख्या 2015 में 33 से बढ़कर 2016 में 33 हो गई। यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों ने नए पुनर्वास कार्यक्रमों की स्थापना की या नई पुनर्स्थापना प्रतिबद्धताओं को स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पारंपरिक पुनर्वास देशों ने दुनिया के अधिकांश शरणार्थी पुनर्वास को जारी रखा। वर्ष 2016 में लगभग 190,000 शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया और इसके प्रमुख लाभार्थी सीरिया, इराक, कांगो और सोमालिया के शरणार्थी थे।

स्थानीय एकीकरण में आश्रय देने वाले देश में एक स्थायी घर का मिलना और स्थानीय समुदायों के साथ मेलजोल बढ़ाना शामिल है। समय के साथ इस प्रक्रिया में शरण वाले देश में स्थायी निवास अधिकार और नागरिकता देना शामिल होना चाहिए। शरणार्थियों को एकीकृत करने का उद्देश्य स्थायी आजीविका पाने और मेजबान देश के आर्थिक जीवन में योगदान और भेदभाव या शोषण के बिना मेजबान आबादी के बीच रहना है। शरणार्थियों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता देना स्थानीय एकीकरण का मार्ग है।

वर्ष 2016 में 550,000 से अधिक शरणार्थी अपने मूल देशों में लौट गए। लंबे समय तक चले और नए संघर्षों के कारण बहुत ही कम स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन हुआ। लौटने वालों में अधिकांश (384,000) अफगानिस्तान और मुख्य रूप से पाकिस्तान के नागरिक थे। मूल देश में वापसी अक्सर कई शरणार्थियों के लिए पसंदीदा समाधान है, हालांकि प्रत्यावर्तन एक स्वतंत्र और सूचित निर्णय के आधार पर पुनर्स्थापना प्रक्रिया के लिए मूल देश की पूर्ण प्रतिबद्धता से होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लौटने वाले लोग सुरक्षित रूप से अपने जीवन का निर्माण करने में सक्षम हो सकें। दुर्भाग्य से, जिन संदर्भों में 2017 में इस तरह की वापसी हुई, वे अक्सर जटिल थे, जिनमें कई शरणार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में वापस आ गए थे और उनका उचित पुनरूएकीकरण

सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। कुछ मामलों में तथाकथित स्वाभाविक वापसी दबाव में हुआ, जिसमें स्वैच्छिक, सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के रास्ते नहीं मिले। यूएनएचसीर कार्यालयों द्वारा दिए गए रिपोर्ट और प्रस्थान व आगमन के आंकड़ों को मिलाने के बाद पता चलता है कि वर्ष 2017 में शरणार्थियों को आश्रय देने वाले 94 देशों से लौटकर अपने 43 मूल देशों में वापस लौटना पड़ा। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल देशों ने केवल शरणार्थियों के लौटने की बात कही है और इसमें उन लोगों को वर्गीकृत नहीं किया गया था जो स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन या स्वाभाविक रूप से लौटे थे या ऐसी परिस्थितियों में लौटे जिन्हें स्थायी समाधान के लिए अनुकूल नहीं माना गया था।

शरणार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर संप्रभु राज्यों की होती है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के साथ–साथ अपने राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता या प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शरणार्थियों की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। सभी राज्य प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थियों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। शरणार्थी से संबंधित पारंपरिक कानून मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 14 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है, ''हर किसी को उत्पीड़न से शरण लेने और अन्य देशों में जीवन बिताने अधिकार है।''

सितंबर 2016 में शरणार्थियों और आप्रवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया न्यूयॉर्क घोषणा–पत्र कहता है कि सभी सदस्य राज्य ''राज्यों के मौजूदा योगदान और विभिन्न क्षमताओं और संसाधनों का ध्यान रखते हुए दुनिया के शरणार्थियों के बोझ की समान साझेदारी और उनकी मेजबानी और समर्थन के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' जिन देशों में शरणार्थियों की बड़ी आबादी है उन पर दबाव बनाने वाले महासभा कंप्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क (सीआरआरएफ) के माध्यम से शरणार्थियों की आत्मनिर्भरता, तीसरे देश में पहुंच और अपने मूल देश में सुरक्षा और आत्म–सम्मान के साथ वापसी के लिए सहायता सुनिश्चित की जाती है।

शरणार्थियों के मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां हैं: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 का सम्मेलन और 1967 का प्रोटोकॉल, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार – 1966, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार – 1966 और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का प्रवासी श्रमिक सम्मेलन 1949 और 1975।

इन क्षेत्रीय व्यवस्था के तहत शरणार्थियों को मानवाधिकार प्रदान किया जाता है: अफ्रीकी एकता संगठन (आईएयू), अमेरिकी राज्यों का संगठन (ओएएस), यूरोपीय परिषद (सीओई) और बैंकॉक सिद्धांत, 1966।

शरणार्थियों के मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (यूएन, डीईएसए), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व बैंक, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी), ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) और आव्रजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम)।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और संगठनों के बारे में बताएं जो शरणार्थियों के मानवाधिकारों से संबंधित हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

10.7 शरणार्थी समस्या पर भारत की धारणा और प्रतिक्रिया

यह सर्वविदित है कि शरणार्थी सम्मेलन 1951 और 1967 के उसके प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के कारण भारत यूएनएचसीआर को मान्यता नहीं देता है और यहां शरणार्थियों के संरक्षण देने वाले घरेलू कानून या प्रावधान भी नहीं हैं, इसके बावजूद भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी को आश्रय देता है। अगर स्थानीय कानूनों के साथ हितों का संघर्ष नहीं हो तो 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल के प्रावधानों को माना जा सकता है। हालांकि, भारत ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को माना है जिनके प्रावधान शरणार्थियों के अधिकारों के लिए प्रासंगिक हैं, इसलिए भारत अन्य देशों के प्रमाणिक शरणार्थियों को शरण देने से इनकार नहीं कर सकता है। दक्षिण एशिया में शरणार्थियों के संबंध में कोई बाध्यकारी क्षेत्रीय समझौता नहीं है, लेकिन भारत में शरणार्थियों को शरण देने का एक लंबा इतिहास है। शरणार्थियों को भारत में सिर्फ एक विदेशी के रूप में देखा जाता है। भारत में शरणार्थी संरक्षण के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं, लेकिन वर्षों से यहां की प्रशासनिक नीतियां शरणार्थियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों के अनुरूप हैं।

19वीं शताब्दी में भारत की औपनिवेशिक सरकार ने विदेशियों को प्रतिबंधित करने, हिरासत में लेने और निष्कासित करने वाला पहला कानून विदेशी अधिनियम (फॉरेनर्स ऐक्ट), 1864 बनाया था। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो औपनिवेशिक सरकार ने पाया कि 1864 का कानून आवश्यक पूर्ण शक्तियों के लिए बहुत उदार है, इसलिए इसे विदेशी अधिनियम, 1940 द्वारा बदल दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद और इस दौरान हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन के बीच 1940 के युद्धकालीन कानून को विदेशी अधिनियम, 1946 के रूप में समेकित किया गया। 1947 में विभाजन के दौरान भारत ने 10 मिलियन शरणार्थियों को शरण दिया, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी शरणार्थी गतिविधि थी। वर्ष 1959 में बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आए, उसके बाद 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से 10 मिलियन से अधिक शरणार्थी भारत पहुंचे। शरणार्थियों की अगली बड़ी संख्या 1983 में श्रीलंका से और 1986 में अफगानिस्तान से आई थी।

वर्ष 1971 के शरणार्थियों को बांग्लादेश में हिंसा समाप्त होने के बाद स्वेच्छा से प्रत्यावर्तित किया गया, जिससे संकट समाप्त हो गया। दूसरी ओर, भारत में 1959 में शुरू होकर अभी तक जारी तिब्बती शरणार्थी समस्या को अब भी एक स्थायी समाधान की तलाश है। भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों पर निगरानी की गई, जिसके कारण प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। कभी चटगांव के पहाड़ी इलाकों में, जिसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है, रहने वाले चकमा और हेजोंग शरणार्थी भारत के उत्तर–पूर्व और पश्चिम बंगाल में पांच दशकों से अधिक समय तक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 47,471 चकमा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चकमा और हेजोंग शरणार्थियों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था। सितंबर 2017 में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, जहां ये शरणार्थी रह रहे हैं, के कई समुदायों के विरोध के बावजूद इन समूहों को नागरिकता देने का निर्णय लिया।

भारत में ईरान, म्यांमार और सूडान के भी शरणार्थी हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है। भारत सरकार ने तिब्बती, श्रीलंकाई और बांग्लादेश से आए चकमा जनजातियों को अपना समर्थन दिया है, जबकि अफगान, बर्मी, सूडानी एवं अन्य दूसरे विदेशी समूह भारत में यूएनएचसीआर के नियमों के तहत रह रहे हैं। भारत में शरणार्थियों के आंकड़े विभिन्न कारणों से अधूरे हैं। पहला, इसमें उस बड़ी शरणार्थी आबादी के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जिसे भारत ने अतीत में शरण दिया है। दूसरा, भारत में बड़ी संख्या में गैर–मान्यता प्राप्त शरणार्थी हैं, जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इनमें नेपाल और भूटान के साथ–साथ शरण मांगने वालों की बड़ी आबादी शामिल है जिन्हें यूएनएचसीआर के शरणार्थी स्थिति निर्धारण तंत्र में संरचनात्मक विफलताओं के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।

भारत में शरणार्थियों के साथ विदेशी कानून के तहत व्यवहार होता है। भारत में विदेशी अधिनियम 1946 (धारा 3, 3ए, 7, 14) के अलावा विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 (धारा 3, 6), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत शरणार्थियों पर कानून लागू होते हैं। भारतीय संसद के साथ नागरिकता, प्राकृतिककरण और विदेशी के मुद्दे भारतीय संसद के क्षेत्राधिकार में हैं। हालांकि, शरणार्थियों के प्रवाह को कानून के प्रशासनिक निर्णयों द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह प्रशासनिक विवेक 1946 के विदेशी अधिनियम के ढांचे के भीतर प्रयोग किया जाता है और देश में शरणार्थी नीति दरअसल विदेशी अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित प्रशासनिक आदेशों की श्रृंखला से विकसित हुई है।

विदेशी अधिनियम उन लोगों के साथ सहयोग करने में विफल रहा है, जो कानून के तहत भारत आते हैं। चाहे पर्यटक हों, यात्री हों, प्रवासी श्रमिक हों, भगोड़े हों, शरणार्थी हों या आप्रवासी हों, इन सभी के साथ एक ही कानून के तहत समान व्यवहार किया जाता है। विदेशी अधिनियम विदेशियों को अपनी पहचान साबित करने, खुद को पुलिस स्टेशनों में पेश होने के लिए कहता है, उनकी आवाजाही, गतिविधियों और निवासों को नियंत्रित करता है, उन्हें आंतरिक शिविरों में सीमित करता है और भारत छोड़ने के लिए मजबूर करता है। कानून की निर्वासन शक्ति न्यूनतम न्यायिक समीक्षा के बिना भी सरकार को निर्वासन पूरा करने का अधिकार देती है। निर्वासन की इस

शक्ति के तहत एक मध्य–स्तर का पुलिस अधिकारी एक विदेशी को भारत छोड़ने का आदेश दे सकता है।

भारत में शरणार्थी समस्या कई संस्थानों द्वारा निपटा जाता है। गृह मंत्रालय आमतौर पर शरणार्थियों के पुनर्वास और समाधान का काम देखता है और विदेश मंत्रालय अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर शरणार्थी शिविरों के संरक्षण और रखरखाव का काम सौंपा गया है। भारत में शरणार्थी सुरक्षा से संबंधित कानून का अभाव शरणार्थियों की स्थिति को कुछ हद तक सत्ता में रहने वाली सरकार की सहिष्णुता और सद्भावना के आधार पर अनिश्चित बना देती है। इसलिए अधिकारों और विशेषाधिकारों के मामले में शरणार्थियों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं और घरेलू कानून एवं नियमों के तहत उनका कानूनी दर्जा भी अलग होता है। हालांकि यूएनएचसीआर शरणार्थी प्रमाण–पत्र को कानूनी रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय और स्थानीय पुलिस अधिकारी शरणार्थियों का संज्ञान लेते हैं और यूएनएचसीआर द्वारा मान्यता प्राप्त शरणार्थियों के रहने की अवधि को बढ़ा दिया जाता है।

भारत में शरण चाहने वालों के प्रति न्यायालय उदार है, लेकिन राष्ट्रीय कानून के अभाव में न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधानों और शरणार्थी कानून से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के ''निष्कासित करने के असीमित अधिकार'' का संज्ञान लेता है और उसने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के आधार पर, जो कहता है कि 'नागरिक' के बजाय एक विदेशी सहित ''व्यक्ति'' की जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित है, क्षेत्रीय प्राधिकरण को स्थानीय निवासियों द्वारा शरणार्थी समुदायों के उत्पीड़न को रोकने का आदेश दिया है। जीवन और स्वतंत्रता के न्यूनतम अधिकार, जो विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत और निर्वासन से रक्षा नहीं करता है, के अलावा शरणार्थियों के बीच भेदभाव का अधिकार नहीं है।

10.7.1 शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लेकर भारत का दृष्टिकोण

144 देशों ने शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। यह एक देश के लिए अजीब विसंगति है जिसने सम्मेलन के दौरान लाखों शरणार्थियों को शरण दे रखा था। हालांकि भारत द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का कभी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। भैरव आचार्य (2016) ने आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर इसके चार अनुमान लगाए हैं। सबसे पहले, मूल शरणार्थी सम्मेलन के यूरोप केंद्रित होने से दिल्ली परेशान था, जिसने भारत के विभाजन के दौरान ''मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन'' को अनदेखा किया था। दूसरा, शरणार्थी सम्मेलन द्वारा एक शरणार्थी को एक समूह या समुदाय के बजाय केवल एक व्यक्ति के रूप में देखना भारत की अनूठी राष्ट्रीय कल्पना और नागरिकता के अवधारणा का विरोधाभासी है। इसलिए शरणार्थी व्यक्तिवाद का सैद्धांतिक रूप से जनप्रवाह से टकराव है, क्योंकि जनप्रवाह में एक व्यक्ति व्यक्तिगत उत्पीड़न और वापसी के लिए असहाय स्थिति को साबित करने में असमर्थ होता है। जनप्रवाह को लेकर शरणार्थी सम्मेलन की चुप्पी निरंतर विफलता का कारण

बनती है। तीसरा, शरणार्थी सम्मेलन मिश्रित प्रवास से, जो परिभाषित नहीं है लेकिन इसकी विशेषताओं पर व्यापक सहमति है, निपटने में विफल रहता है। भारत लंबे समय से मिश्रित आप्रवास का सामना कर रहा है, विशेष रूप से अपनी पूर्वी भूमि और समुद्री सीमाओं पर। यूएनएचसीआर की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया ''10–बिंदू कार्य योजना'' 2006 में प्रकाशित हुई थी, जिस पर विशेष ध्यान देने के लिए दुनिया भर के पांच क्षेत्रों की पहचान की गई थी। मिश्रित आप्रवास से परिचित होने के बावजूद दक्षिण एशिया उन क्षेत्रों में शामिल नहीं था। दिल्ली चाहती है कि शरणार्थी सम्मेलन में मजबूत 'बोझ के बंटवारे' का प्रावधान शामिल किया जाए। 1971 में अपर्याप्त विदेशी सहायता के बावजूद लगभग 10 मिलियन शरणार्थियों को आश्रय देने के अपने अनुभव के आधार पर भारत यह तर्क देता है।

10.7.2 भारत में शरणार्थियों की स्थिति

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को तमिलनाडु के 243 शिविरों में रखा गया है, जिनका स्वागत जनसांख्यिकीय रूप से निकट मेजबान द्वारा रिश्ते के आधार पर किया गया। उग्रवादी शरणार्थी समूह भारतीय भूमि पर श्रीलंकाई संघर्ष को लेकर आए, जिसका समापन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के रूप में हुई थी। तमिल शरणार्थी मुद्दों ने मेजबान समुदाय पर गहरा असर डाला है, यहां तक कि तमिलनाडु की राजनीति और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। तिब्बती शरणार्थियों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो चीन की हिंसा से बचने के लिए सीमा पार आए। हालांकि, तिब्बतियों की जनसांख्यिकीय असहमति अक्सर स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष का कारण बनती है।

तिब्बती शरणार्थियों को गैर–वापसी के सिद्धांत के तहत भारत सरकार द्वारा शरण दी गई थी। कार्यकारी निर्णय के तहत सभी तिब्बती शरणार्थियों को ''तिब्बती राष्ट्रीयता'' के ''शरणार्थी'' के रूप में ''भारतीय पंजीकरण प्रमाण–पत्र'' जारी किया गया था। एक बार जब भारत ने स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है तो भारत ने क्रमशः एक महीने और एक वर्ष के लिए तीर्थ–यात्रा या शिक्षा या अन्य के पंजीकरण के उद्देश्य से विशेष प्रवेश परमिट (एसईपी) जारी करना शुरू किया। बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी लंबे समय तक विशेष प्रवेश परमिट (एसईपी) लेते हैं और फिर पंजीकरण प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करते हैं। ''पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन'' के पूरा होने और संबंधित राज्य सरकारों से ''भारत लौटने पर कोई आपत्ति नहीं (एनओआरआई)'' प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद भारत सरकार द्वारा ''पहचान प्रमाण–पत्र'' नाम से एक यात्रा दस्तावेज जारी किया जाता है। एनओआरई का हर दो साल में नवीकरण होता है जबकि पहचान प्रमाण–पत्र को हर छह साल पर नवीकरण कराना पड़ता है।

आज भी उत्तर–पूर्व भारत में चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय समुदायों और आदिवासी समूहों का आरोप है कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों और अवैध आप्रवासियों के निरंतर प्रवाह के कारण उस क्षेत्र की सामाजिक जनसांख्यिकी में बदलाव आया है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनना पड़ा है। असम में नागरिकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय पंजीकरण (एनआरसी) ऐसी ही राजनीति का परिणाम है। खुली सीमा समझौते और एक दशक तक चले गृह युद्ध के

कारण नेपाल से ऐतिहासिक आव्रजन हुआ है। मिश्रित प्रवाह में आए नेपालियों ने भारत में शरण, अस्थायी आश्रय और रोजगार की मांग की। इस क्षेत्र में अनियमित प्रवास करने वाले लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि अपेक्षाकृत आंशिक खुली सीमाओं के कारण भारत में बड़ी अनियमित प्रवासी आबादी होने का अनुमान है (श्रीवास्तव और पांडे, 2017)। भारत बांग्लादेश, नेपाल और कुछ हद तक श्रीलंका के अनियमित आप्रवासियों की एक बड़ी आबादी का घर है।

पिछले दिनों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान भारत में शरण लेने के लिए म्यांमार से भाग गए और शरणार्थियों के ''उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत और निर्वासन'' से बचाने के लिए यूएनएचसीआर ने भारत में लगभग 16,500 रोहिंग्या को पहचान पत्र जारी किए हैं। हालांकि, भारत ने उन्हें अवैध आप्रवासी और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में वर्गीकृत किया है और म्यांमार से उन्हें वापस बुलाने की अपील की है। विडंबना यह है कि म्यांमार के लोग रोहिंग्याओं को अपना नागरिक नहीं मानते हैं और उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बांग्लादेश से आए आप्रवासी मानते हैं। वहीं, बांग्लादेश रोहिंग्याओं का पसंदीदा स्थल है और वे खुद को बर्मी राज्य के मूल निवासी मानते हैं और म्यांमार से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. भारत में शरणार्थियों के साथ कानूनी रूप से कैसा व्यवहार होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2. भारत शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता क्यों नहीं है?

.....

.....

.....

.....

.....

10.8 सारांश

आव्रजन और हाल के दिनों में हुईं इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियां चिंता की कारण बन गई हैं, क्योंकि भूगोल और जनसांख्यिकी लोक नीति से जुड़े होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक जटिल और राजनीतिक प्रक्रिया बनती जा रही है।

हालांकि, बहुत लोग शरणार्थी और आव्रजन के बारे में एक अलग तरीके से भ्रमित तरीके से लिखते और बोलते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि 'सभी शरणार्थी आप्रवासी हैं लेकिन सभी आप्रवासी शरणार्थी नहीं हैं।' एक घटना के रूप में आव्रजन आर्थिक समृद्धि, असमानता, जनसांख्यिकी, हिंसा व संघर्ष और पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित विभिन्न कारकों के कारण होता है। आम धारणा के विपरीत, शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या तुर्की, सूडान और बांग्लादेश जैसे विकासशील और कम विकसित देशों में आश्रय ली है, जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप अभी भी पेशेवर आप्रवासियों के लिए हरे–भरे चारागाह बने हुए हैं। आव्रजन की जटिल गति को वर्तमान वैश्विक दायरे में पूरी तरह से मापा, समझा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आव्रजन और शरणार्थियों पर भारत का मिश्रित रुख, गैर–वापसी और बोझ साझाकरण पर अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन के विरोधाभासी स्थिति की प्रतिक्रिया है।

भारतीय कानूनी प्रणाली में शरणार्थियों से निपटने के लिए कोई समान कानून नहीं है। भारत एक शरणार्थी संभावित क्षेत्र है और इसे अपनी परंपरा के अनुरूप अपनी मिश्रित शरणार्थी कानून नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक भावी आश्रय कानून में राज्यविहीनता के खिलाफ अधिकार और नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूरी होने का प्रावधान होना चाहिए। इसमें शरणार्थियों को शामिल करने, बाहर करने और समाप्ति का मापदंड, गैर–वापसी का सिद्धांत, शरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया और शरण मांगने वालों के आवेदन पर विचार करने के लिए संस्थान इत्यादि को स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है।

10.9 संदर्भ ग्रंथ

आचार्य, भैरव, (2016) ''दि फ्यूचर ऑफ ऐजाइलम इन इण्डिया : फोर प्रिंसिपल्स टू ऐप्रेज रिसेंट लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स'', इन *एनयूजेएस लॉ रिव्यू*।

भट्टाचार्जी, सौरभ, (2008) ''इण्डिया नीड्स ए रिफ्यूजी लॉ'', इन *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली*, 43, 9 मार्च।

गिब्सन, जे., एण्ड डी., मैक कैंज़ी, (2016), *ऑस्ट्रेलिया'ज पेसिफिक सीजनल वर्कर पाइलट स्कीम : डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स इन दि फर्स्ट टू इयर्स*, न्यूजीलैण्ड : यूनिवर्सिटी ऑफ वैकाटो।

ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डर्ली एण्ड रेग्यूलर माइग्रेशन, इण्टरगवर्नमेंटली नेगोशिएटेड एण्ड एग्रीड आउटकम, 13 जुलाई 2018, अवेलेबल ऐट : https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/180713_Agreed-Outcome_Global-Compact-for-Migration.pdf,

गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन डिस्पलेसमेंट, ओसीएचए/यूएन, 1998, अवेलेबल ऐट :https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/GuidingPrinciplesDispl.pdf

इंडिया'ज पोजिशन ऑन लीगल स्टेटस ऑफ रिफ्यूगीज, इंट्रोडक्शन, 2010, अवेलेबल ऐट :http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/128419/12/09_chapter%201.pdf

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम), वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2018, अवेलेबल ऐट :https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम), वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2011https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2011_english.pdf

आईओएम'ज स्ट्रैटजी टू इनेबल, इंगेज एण्ड इम्पावर डायस्पोरा, आईओएम, जीनेवा, 2017, अवेलेबल ऐट :https://diaspora.iom.int/ioms-strategy-enable-engage-and-empo wer-diaspora.

इप्सोस, एमओआरआई, *पर्सेप्शंस आर नॉट रियलिटी : व्हाट दि वर्ल्ड गेट्स रॉन्ग, दिसंबर 2016*, अवेलेबल एट :www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perceptions-are-not-reality-what-world-gets-wrong?language_content_entity=en-uk.

कोसेर, के., (2010), डायमेंशंस एण्ड डायनामिक्स ऑफ इर्रेग्युलर माइग्रेशन, *पॉप्युलेशन, स्पेस एण्ड प्लेस*, 16।

लैक्ज़को, एफ., (2017), इम्प्रूविंग डाटा ऑन माइग्रेशन : ए 10–प्वाइंट प्लान, माइग्रेशन पॉलिसी प्रैक्टिस, 7, 1, जनवरी, अवेलेबल एट : https://publications.iom.int/system/ files/smuggling_report.pdf.

मान्जी, एफ., (2017), *नो विन–विन्स इन केनिया'ज मॉडर्न–डे वॉयेजेज इन सर्च ऑफ वर्क*, ब्रूकिंग, इंस्टीच्यूशन, 26 मई, अवेलेबल एट :www.brookings.edu/blog/future६ development/2017/05/26/no-win-wins-in-kenyas-modern-dayvoyages-in-search -of-work/.

माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी, *माइग्रेंट्स इन लॉ–स्किल्ड वर्क : दि ग्रोथ ऑफ ईयू एण्ड नॉन–ईयू लेबर इन लॉ–स्किल्ड जॉब्स एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन दि यूके*, लंदन, 2014, अवेलेबल ऐट : www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/333083/MAC-Migrants_in_low-skilled_work__Full_report_2014.pdf.

ऊमेन, जी.जेड., (2015), साउथ उशिया–गल्फ माइग्रेट्री कॉरिडोर : इमर्जिंग पैटर्न्स प्रोस्पेक्ट्स एण्ड चैलेंजेज, *माइग्रेशन एण्ड डेवलपमेंट*, 5, 3, 2015

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉ–ऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओईसीडी), दि फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन इन ओईसीडी कंट्रीज, इन *इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2013*, ओईसीडी, पैरिस, 2013

श्रीवास्तव, आर. एण्ड ए. पाण्डे (2018), *इंटरनल एण्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन इन साउथ एशिया : ड्राइवर्स, इंटरलिंकेज एण्ड पॉलिसी इश्यूज*, यूनाइटेड नेशंस ऐजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल ऑगेनाइजेशन, न्यू डेल्ही। अवेलेबल ऐट :http://unesdoc. unesco.org/images/0024/002494/249459E.pdf.

यू.एन. जनरल एसेम्बली : *न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूज एण्ड माइग्रंट्स : रिजोल्यूशन / एडॉप्टेड बाय दि जनरल एसेम्बली, ए/आरईएस/71/1*, ऑक्टूबर 2016, अवेलेबल ऐट : available at:http://www.refworld.org/docid/57ceb74a4.html

यून एन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (यूएनएचसीआर), *ग्लोबल ट्रेंड्स : फोर्स्ड डिस्पलेसमेंट इन 2017*, जीनेवा, 2017

यूनाइटेड नेशनंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (यूएनएचसीआर), ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्पलेंसमेंट इन 2016, *जीनेवा, 2017*

वान, हीयर, एन., (2011), ''डायस्पोराज, रिकवरी एण्ड डेवलपमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट–रिड्डन सोसाइटीज'', इन *दि माइग्रेशन–डेवलपमेंट–नेक्सस : ए ट्रांसनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन चेंजिंग पराडाइम्ज एण्ड ऑर्गेनाइजेशंस*, टी. फेस्ट, एम. फॉजर एण्ड पी. किविस्टो, ऐडिटर्स, लन्दन, पालग्रेव मैकमिलन।

वर्ल्ड बैंक (2016), *माइग्रेशन एण्ड डेवलपमेंट : ए रोल फॉर दि वर्ल्ड बैंक ग्रुप*, वाशिंगटन, डी.सी.।

वर्ल्ड बैंक (2017), *माइग्रेशन एण्ड रिमिटेंसेज : रिसेंट डेपलपमेंट एण्ड आउटलुक*, माइग्रेशन एण्ड डेपलपमेंट ब्रीफ 27, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी.सी.। अवेलेबल एट : at:http://pub docs.worldbank.org/en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf.

10.10 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

शरणार्थी अपने मूल के देश से सामान्यीकृत हिंसा, विदेशी आक्रामकता, आंतरिक संघर्षों और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण भाग जाते हैं। इसके विपरीत, आप्रवासी उन लोगों की एक व्यापक श्रेणी है जो विभिन्न कारणों से अन्यत्र रहने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ देते हैं। डायस्पोरा उन आप्रवासी समुदायों को कहा जाता है जो अपने देश के साथ संबंध बनाए रखते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

मजदूरी असमानता, आप्रवासियों के परिवारों का कल्याण, बेरोजगारी व अल्परोजगारी में कमी लाना, गरीबी में कमी, सामाजिक विकास, विदेशों से धन भेजना, कौशल का हस्तांतरण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, जोखिम लेना, श्रम आपूर्ति, घरेलू श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार पर बाजार का प्रतिकूल प्रभाव, पेंशन दबाव पर दबाव, सभ्यताओं का संघर्ष, इस्लामोफोबिया, नागरिक संघर्ष का जारी रहना, शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों के संघर्ष, आव्रजन प्रवाह पर सीमित आंकड़े।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

प्रवासन गलियारे, भौगोलिक निकटता, अफ्रीका के लोगों जीसीसी देशों में जाना, यूरोप में अंतर–क्षेत्रीय आव्रजन, शेंगेन क्षेत्र, ब्रेक्सिट, अमेरिका में मेक्सिकोवासी, कोलंबिया सबसे शरणार्थी भेजने वाला सबसे बड़ा राज्य है, वेनेजुएला में कोलंबिया और इक्वाडोर के अंतर–क्षेत्रीय शरणार्थी, उत्तरी में सबसे अधिक विदेशी शरणार्थी अमेरिका में हैं, अमेरिका में हालिया आव्रजन में चीन और भारत ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है, ओसिनिया क्षेत्र के शरणार्थी या तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या न्यूजीलैंड में, एशिया में चीन और भारत के सबसे अधिक आप्रवासी विदेशों में रहते हैं, जापान में नकारात्मक

जनसंख्या वृद्धि, कोरिया गणराज्य में सबसे कम जन्म दर और सबसे तेजी से बुजुर्ग होती आबादी, श्रमिकों का जीसीसी देशों में पलायन, दक्षिण एशिया में आंतरिक पलायन, दक्षिण–पूर्व एशिया में अंतर–क्षेत्रीय आव्रजन गलियारा, मध्य एशियाई रूसी गणराज्य की ओर।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4

यूडीएचआर (1948), शरणार्थी सम्मेलन (1951) और इसका 1967 प्रोटोकॉल, आईसीसीपीआर (1966), आईसीईएससीआर (1966), आईएलओ (1949 और 1975), ओएयू, ओएएस, बैंकॉक सिद्धांत (1966), यूएन डीईएसए, ओईसीडी, विश्व बैंक, यूएनएचसीआर, आईडीएमसी, यूएनओडीसी, आईओएम।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5

1. विदेशी अधिनियम–1964, विदेशी अधिनियम–1940, विदेशी अधिनियम–1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम–1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम–1920, पासपोर्ट अधिनियम–1967, प्रत्यर्पण अधिनियम–1962, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993
2. यूरोप केंद्रित, एक समूह या समुदाय के घटक के बजाय केवल एक व्यक्ति के रूप में शरणार्थी, मिश्रित प्रवास से निपटने में विफलता, 'बोझ बंटवारे' के प्रावधान की कमी।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई11 मानव सुरक्षा

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 परिचय

11.2 मानव सुरक्षा का परिभाषण : यूएनडीपी परिभाषा

11.2.1 सुरक्षा एक राज्य/राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में

11.2.2 'लोक–केंद्रित' अवधारणा के रूप में बदलाव

11.3 मानव सुरक्षा, मानवाधिकार और मानव विकास

11.3.1 मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा

11.4 मानव सुरक्षा के विविध आयाम

11.5 मानव सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा

11.6 सारांश

11.7 कुछ उपयोगी संदर्भ

11.8 प्रगति अभ्यास के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप मानव सुरक्षा के बारे में पढेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे :

- मानव सुरक्षा की अवधारणा
- मानव सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा के बीच अंतर और
- मानव अधिकारों, मानव विकास और मानव सुरक्षा की परस्पर निर्भर प्रकृति

11.1 प्रस्तावना

विरोधाभास मानव प्रकृति का एक अंतर्निहित हिस्सा है। किसी भी कीमत पर शांति का पालन करके विरोधाभास का निपटारा किया जा सकता है। शांति तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक विरोधाभास को निपटाने के लिए हिंसा के इस्तेमाल का त्याग कर अहिंसा का पालन नहीं किया जाता। अहिंसा शब्द को शारीरिक चोट के अभाव के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी के प्रति प्रेम की सक्रिय शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। विरोधाभास जहाँ मानव समाज के सामंजस्यपूर्ण ताने–बाने को नष्ट कर देते हैं, वहीं शांति उन्हें एक साथ लाती है । विरोधाभास लोगों को बाँटता है, शांति उन्हें एकजुट करती है। यदि मनुष्य को शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना है तो पहली आवश्यकता इसे विरोधाभास रहित करना है जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। हिंसा मनमुटाव कायम करता है, शांति से सहिष्णुता, प्रेम और सौहार्द उत्पन्न होता है। आज के

परिप्रेक्ष्य में, मानव सुरक्षा वही है जो शांतिपूर्ण (विरोधाभास , तनाव और नकारात्मकता रहित वातावरण वाले) जीवन को परिभाषित करती है। मानव सुरक्षा दुनिया भर में संवेदनशीलता को समझने के लिए एक उभरता हुआ पैटर्न है जिसमें पारंपरिक सुरक्षा की धारणा को चुनौती दी जाती है और मानव सुरक्षा की एक वैकल्पिक अवधारणा दी जाती हैय इसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्राथमिक शर्त माना जाता है।

मानव सुरक्षा और उसके विकास की अवधारणा शीत युद्ध के बाद की घटनाओं एवं विकास अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, रणनीतिक अध्ययन और मानवाधिकार सहित कई अनुसंधान क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुरक्षा की बहु–अनुशासनात्मक समझ का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (1994) की रिपोर्ट "मानव विकास रिपोर्ट" को मानव सुरक्षा के क्षेत्र में विचारोत्तेजक प्रकाशन में से एक माना जाता है। रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बल दिया गया है जो सर्वसाधारण के लिए प्रयोज्य है – 'आवश्यकता से स्वतंत्रता' और 'भय से स्वतंत्रता'। ये दोनों अवधारणाएँ दो स्तंभों की तरह हैं जो मानव सुरक्षा की अवधारणा की पवित्रता को नयी ऊँचाई देते हैं ।

11.2 मानव सुरक्षा का परिभाषण : यूएनडीपी परिभाषा

डॉ महबूब उल हक ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव सुरक्षा की अवधारणा की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन (डेनमार्क) में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र के 1995 विश्व शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई। यूएनडीपी 1994 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव सुरक्षा की परिभाषा में कहा गया है कि वैश्विक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करते हुए इसमें सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपस्थित खतरों को शामिल किया जाना चाहिए ।

राजनीतिक सुरक्षा : राजनीतिक सुरक्षा इस विषय पर केन्द्रित है कि क्या लोग ऐसे समाज में रहते हैं जो उनके बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करता है । एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर देशों में राजनीतिक दमन, व्यवस्थित प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, मानवाधिकारों का लोप जैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन पाये जाते हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन अक्सर राजनीतिक अशांति का परिणाम होता है। कई मामलों में, राज्य को व्यक्तियों और समूहों का दमन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ता के रूप में पहचाना गया हैय राज्य भी विचारों और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह पर नियंत्रण का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है।

आर्थिक सुरक्षा : आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बुनियादी आय का आश्वासन जो, उत्पादक कार्य या श्रम से या किसी भी पेशे या कार्य में हो सकता है, आजीविका कमाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक चौथाई दुनिया या वैश्विक जनसंख्या का एक मामूली प्रतिशत वर्तमान में आर्थिक रूप से सुरक्षित है। अधिकांश विकासशील देश अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विकसित देशों में भी है। साथ ही अधिकतर सरकारें अपने लोगों को रोजगार का लाभ दिलाने का आश्वासन देकर सत्ता में आने की कोशिश करती हैं। अक्सर, बेरोजगारी की

समस्या विभिन्न राज्यों/प्रांतों के लोगों के बीच टकराव और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर हिंसा और अप्रिय घटनाओं का कारण बना है ।

स्वास्थ्य सुरक्षा : स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारों द्वारा अग्रेषित किसी भी नीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसका उद्देश्य बीमारियों और अस्वस्थ जीवनशैली से लोगों की सुरक्षा को आश्वस्त करना है। विकासशील देशों में मौत के प्रमुख कारण संक्रामक और परजीवी रोग हैं, जिससे सालाना लाखों लोगों की मौत होती है। विकसित देशों में भी स्वास्थ्य देखभाल सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है और इनमें से कई राष्ट्रों को चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है । संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विकासशील और विकसित दोनों देशों में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा अधिक होता है। स्वस्थ आहार का अभाव, कुपोषण एवं दवा, साफ पानी और भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति से यह खतरे की स्थिति और बढ़ जाती है।

खाद्य सुरक्षा : खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हर समय सभी लोग शारीरिक और आर्थिक रूप से बुनियादी भोजन प्राप्त कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भोजन की समग्र उपलब्धता चुनौती नहीं है बल्कि भोजन का अनुचित और खराब वितरण एवं कुछ हद तक क्रय शक्ति की कमी खाद्य सुरक्षा की नई चुनौती है। हालांकि खाद्य पदार्थों के आयात का निरंतर चलन अतीत में कई देशों में दिखता रहा है, परंतु जब से एक बुनियादी अधिकार के रूप में खाद्य सुरक्षा को प्रमुखता मिली है, तब से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इसका ध्यान रखा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा का आर्थिक सुरक्षा से भी गहरा संबंध है जिसमें भोजन की गुणवत्ता क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होती है।

पर्यावरण सुरक्षा : यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा सरकार द्वारा आश्वासित अन्य अधिकारों में सम्मिलित अपेक्षाकृत एक नया अधिकार है। इसका उद्देश्य प्रकृति के लघु और दीर्घकालिक विनाश, मानव निर्मित आपदाओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से लोगों की रक्षा करना है । राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों संगठनों के लिए पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चिंताएँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी और सुरक्षित पर्यावरणीय मानकों तक पहुँच हैं। औद्योगिक देशों में एक बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सुरक्षा का एक और प्रमुख मुद्दा है ।

व्यक्तिगत और सामुदायिक सुरक्षा : व्यक्तिगत सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को शारीरिक हिंसा से बचाना है, चाहे वह राज्य या किसी अन्य बाहरी राज्यध्बलों से हो या हिंसक व्यक्तियों, समूहों, राज्य और उप–राज्य अभिकर्ताओं से हो। इस सुरक्षा में घरेलू हिंसा से और वयस्क दरिंदों से सुरक्षा भी शामिल है। इसका उद्देश्य छोटे अपराधों से लेकर जघन्य अपराधों एवं हिंसक गतिविधियों से भी लोगों को बचाना है। सामुदायिक सुरक्षा का उद्देश्य लोगों के सामान्य संबंधों एवं आदर्शों को समाप्त होने से बचाना है और साथ ही मानव को सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक और जातीय हिंसा के नुकसान से बचाना है। विशेष रूप से संख्या में छोटे समुदाय , अल्पसंख्यक, प्रजातीय समूह आदि सामुदायिक हिंसा और इसके प्रभावों द्वारा भेद्य हैं। दुनिया के लगभग आधे राज्यों में अंतर–जातीय संघर्ष का कोई न कोई रूप सामने आया है।

सतत निगरानी और नीति निर्माण के कारण यूएनडीपी की सात श्रेणियों के खतरों में से अधिकांश पर्याप्त वैश्विक ध्यान और संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हैं । मानव सुरक्षा के लिए इन पहलों से दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ उभरकर सामने आईं । एक "भय से स्वतंत्रता" और दूसरा "आवश्यकता से स्वतंत्रता" है। यूएनडीपी 1994 की रिपोर्ट में दोहराया गया है कि मानव सुरक्षा के लिए, "भय से स्वतंत्रता" और "आवश्यकता से स्वतंत्रता" दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । लोग किस तरह के खतरों का सामना करते हैं, दुनिया के किस हिस्से से आते हैं और उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहल क्या है ,इन बातों पर आधारित होने के कारण इन अवधारणाओं में समय के साथ–साथ भिन्नताएँ रहीं हैं । इसके अलावा इन खतरों का उत्तर देने के लिए तंत्र में व्यापक रूप से भिन्नता है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन पर भी गहन विचार किया गया है ।

i. भय से स्वतंत्रता : यह विचारधारा व्यक्तियों को हिंसक संघर्षों से बचाने में मानव सुरक्षा के अभ्यास को सीमित करना चाहती है, जबकि यह स्वीकार करती है कि ये हिंसक द्वन्द गरीबी, राज्य की क्षमता की कमी और असमानताओं के अन्य रूपों से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण का तर्क है कि मानव सुरक्षा की हिंसा केन्द्रित सीमित सोच मानव सुरक्षा के प्रति एक यथार्थवादी और प्रबंधनीय दृष्टिकोण है। आपातकालीन सहायता, संघर्ष की रोकथाम और समाधान एवं शांति निर्माण इस दृष्टिकोण के मुख्य बिन्दु हैं।

ii. आवश्यकता से स्वतंत्रता : यह सोच मानव सुरक्षा को प्राप्त करने में एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है और तर्क देता है कि खतरे के एजेंडे में भूख, रोग और प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वे मानव असुरक्षा की जड़ को संबोधित करने में अविभाज्य अवधारणाएँ हैं और वे युद्ध, नरसंहार और आतंकवाद तीनों द्वारा संयुक्त रूप से मारे गए लोगों से कहीं अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनती हैं । "भय से स्वतंत्रता" से अलग, यह हिंसा से परे विकास और सुरक्षा लक्ष्यों पर जोर देने की बात करता है।

11.2.1 सुरक्षा : एक राज्यध्राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में

मौलिक रूप में, किसी राज्य में व्यक्ति विशेष या समूहों के सुरक्षा की सोच क्षेत्रीय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित थी। जैसे ही इसका उल्लंघन हुआ, इसे सुरक्षा का उल्लंघन माना गया और हथियारों के जरिए लोगों की सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को अपनाया गया। इसलिए राज्य/राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करके मानव सुरक्षा को सुरक्षित किया गया। यह राष्ट्र की संप्रभुता को राज्य संरक्षण की सर्वोच्च विशेषता के रूप में रखेगा। इसका अर्थ है प्रादेशिक सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों की सुरक्षा और साथ ही बाहरी आक्रामकता से राज्य के सीमाओं की सुरक्षा भी। इसलिए क्षेत्रीय अखंडता प्रमुख चिंता का विषय था । एक राष्ट्र की सीमाएं बाहरी खतरों से जितनी सुरक्षित होती है वह राष्ट्र उतना ही सुरक्षित माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षाध्राज्य सुरक्षा या लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सामान्यतया सरकार की थी। राज्य को सुरक्षित करने के लिए वित्त और मानव संसाधनों का निवेश इसके द्वारा वांछनीय है। जब संप्रभुता को सुनिश्चित रूप में लागू किया जाता है, तो संप्रभुता सहित राज्य की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित हो जाती है ।

11.2.2 'लोक–केंद्रित' अवधारणा के रूप में बदलाव

मानव सुरक्षा के लिए चिंतन की उत्पत्ति का कारण 20 वीं सदी के शुरू में बारंबार होने वाले युद्ध थे जिसने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रव्यापी नुकसान की वजह से दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बाद में आए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस चिंता को प्रमुखता दी तथा लोक एवं राष्ट्र की सुरक्षा और सकुशलता को सुरक्षित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ''द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आधारित विभिन्न सम्मेलनों में हुए विचार–विमर्श ने राज्यकीय या राष्ट्रीय संप्रभुता आधारित सुरक्षा की परिमितता और लोगों के जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता को सामने लाया।'' इस अवधारणा ने लोगों के अधिकारों और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर दिया। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा' को अपनाया जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और लोगों के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों से उनकी रक्षा करने का आह्वान किया गया था। इस घोषणा को 10 दिसंबर, 1948 को अपनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनी प्रस्तावना के अंत में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि :

यह 'सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र' सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि के एक आम मानक के रूप में, हर व्यक्ति और समाज के हर अंग का आह्वान करती है कि वे , इस घोषणा को लगातार ध्यान में रखते हुए, शिक्षण और शिक्षा के द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए और प्रगतिशील उपायों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सदस्य देशों के लोगों के बीच और लोगों के क्षेत्रों के बीच उनकी सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता और पालन को सुरक्षित करने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में सदैव प्रयासरत रहेगा।

इसके अलावा, 25 जून 1993 को अपनाए गए वियना घोषणा और कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि (भाग 1, पैरा 1) (Human Rights, 1994, p.194) :

मानवाधिकार विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सभी मानवाधिकारों और सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देते हुए सभी के लिए मौलिक स्वतंत्रताओं के पालन और संरक्षण, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित अन्य साधनों के प्रति सभी राज्यों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने की गंभीर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वभौमिक प्रकृति सवाल से परे है।

इसढांचे में, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना जरूरी है ।

मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ सभी मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं; इनका संरक्षण और संवर्धन सरकार की पहली जिम्मेदारी है।

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, ने 1941 में राष्ट्र के लिए अपने संबोधन में चार आवश्यक स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हुए कहा था कि "हम चार आवश्यक मानव स्वतंत्रताओं पर स्थापित दुनिया की कामना करते हैं।"

पहला है 'बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी' – दुनिया में हर जगह।

दूसरा है 'दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति को अपने तरीके से भगवान की पूजा की आजादी'।

तीसरा है 'आवश्यकता से स्वतंत्रता' – जिसका सांसारिक रूप में मतलब है आर्थिक समझ जो हर देश के लिए असैनिक काल के दौरान अपने निवासियों के लिए दुनिया में कहीं भी एक स्वस्थ एवं शांतिमय जीवन प्रदान करने की क्षमता को सुनिश्चित कर सके।

चौथा 'भय से स्वतंत्रता' है, जो दुनिया के संदर्भ में अनुवादित होने पर यह बताता है कि विश्वव्यापी तौर पर आयुध भंडार में इतनी कमी हो जाय कि कोई भी राष्ट्र किसी भी पड़ोसी के खिलाफ जमीनी आक्रामकता का कार्य करने में सक्षम ही न रहे। (पी 41, मानवाधिकार, 1994)।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट चाहते थे कि इसे हासिल करने के लिए हमें दूसरी सहस्राब्दी में न जाना पड़े। यह ख्याल ''हमारे अपने समय और पीढ़ी में प्राप्य दुनिया के लिए एक निश्चित आधार है।'' (पी.41, मानवाधिकार, 1994)।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्व युद्धों के अंत ने मानव अधिकारों और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों और इस विषय में चिंतन को बल दिया है। आज भी, अक्सर इस सुरक्षा की, एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया के लिए मानव जाति द्वारा एक दूसरे के प्रति सबसे मूल्यवान योगदान के रूप में चर्चा की जाती है ।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई के अंत में देखें।

1. 1994 मानव विकास रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में मानव सुरक्षा की अवधारणा का विवरण करें।

.....

.....

.....

.....

.....

11.3 मानव सुरक्षा, मानव अधिकार और मानव विकास

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन के बाद से एक प्रसिद्ध विषय मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्यादातर इस बात पर चर्चा की गई कि वर्ग या किसी अन्य अंतर की परवाह किए बिना राज्य द्वारा मनुष्यों के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालाँकि एक अच्छे जीवन की अवधारणा को भी मानवाधिकारों के क्षेत्र में शामिल किया गया है, लेकिन विश्व भर की सरकारों की नीतियाँ मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की रक्षा और रक्षा के तरीकों पर केंद्रित थीं। यहीं से मानव विकास की अवधारणा और हाल ही में, मानव सुरक्षा की अवधारणा उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन और विश्व आर्थिक संगठन भी दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और संतुष्ट जीवन निर्धारित करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं । विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। इसमें मानव जीवन के सामाजिक,

राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलू भी शामिल हैं। गैर–आर्थिक पहलुओं के सम्मिलन ने दुनिया का अधिक ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए मानवाधिकार, मानव विकास और मानव सुरक्षा की अवधारणाएँ बहुत एकीकृत अवधारणाएँ बन गई हैं। इससे एक तरह से समाज में संतुलित विकास सुनिश्चित होता है और लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाते समय सभी का सम्मिलन भी सुनिश्चित होता है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी इस पहल को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं क्योंकि यह लोगों के लिए बेहतर जीवन सुरक्षित करता है। वास्तव में, ऋण वितरित करते समय कुछ नियम और शर्तें मानवाधिकारों और एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को जीवन स्तर प्रदान करने के प्रयासों पर केन्द्रित होती हैं। इन अवधारणाओं के साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास, श्रमिकों का अशोषण, बाल श्रम का निषेध और कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित सुरक्षा मानक आदि जैसे अधिक से अधिक मुद्दों को बारीकी से जोड़ दिया जाता है। मुख्य रूप से मानव सुरक्षा की गारंटी देने वाले समग्र विकास की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में विकास एजेंसियों की सहायता लेने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका मकसद समाज के कमजोर तबकों की रक्षा करना और मानव सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विकास और सुरक्षा पहलों को संबंधित एजेंसियों और सरकारों द्वारा शुरू की गई नीतियों में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

11.3.1 मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा

परंपरागत रूप से सुरक्षा का अर्थ बाहरी आक्रामकता के खतरे का अभाव और एक राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं की सुरक्षा है। युद्ध की समाप्ति तक विश्व सुरक्षा से वंचित रहा। दुनिया भर में सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की गई थी। लेकिन नब्बे के दशक तक चली शीत युद्ध की शुरुआत ने सुरक्षा की अवधारणा को बदल दिया था। दुनिया के देशों का अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के साथ संलग्नता के कारण विश्व में असुरक्षा का तत्व व्याप्त था। यद्यपि शीत युद्ध 1990 के दशक में समाप्त हो गया, इसने दुनिया भर में नए मुद्दों और चिंताओं को जन्म दिया। दुनिया ब्लॉक राजनीति से मुक्त था, लेकिन राष्ट्रों के लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि पिछले वर्षों के दौरान पृष्ठभूमि में चला गया था।

उन राष्ट्रों द्वारा एक पहल की गई थी जिनका उद्देश्य सुरक्षा के अग्रदूतों के रूप में मानव विकास और मानवाधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना था। तदुपरान्त मानव सुरक्षा का उद्भव मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हुआ। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था। नीति निर्माण के समय कहीं भी सामाजिक या सांस्कृतिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसलिए गरीब, जरूरतमंद, अधिकारहीन, विकलांग आदि सभी को नीति में शामिल करने के लिए मानव अधिकार और विकास की अवधारणा को नए अनुपात में विस्तारित किया गया। यह स्थापित किया गया कि कल्याणकारी उपायों के साथ मानवाधिकारों के दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए जन केंद्रित सुरक्षा की नितांत आवश्यकता समय की माँग थी । इसलिए अवधारणा में कई विषय शामिल थे जो सीधे एक दूसरे से संबन्धित थे और निपुणता से आपस में जुड़े हुए थे। इनमें मानव सुरक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का एक

संलयन शामिल था जिसमें विकास अध्ययन, रणनीतिक अध्ययन, मानवाधिकार, अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल थे। यूएनडीपी की 1994 मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर 1994) एक मील का पत्थर था जिसने लंबे समय तक दुनिया भर में लोगों को परेशान करने वाले वैश्विक असुरक्षा से लड़ने के लिए मानव सुरक्षा की आवश्यकताओं को प्रमुखता दिया।

एचडीआर 1994 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए जो निम्नलिखित हैं :

i. इसमें चिरस्थाई मानव विकास के विचार का उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत लोग हर समय सुरक्षित महसूस करते हैं ।

ii. इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि भविष्य में जो संघर्ष संभावित हैं वे विवादित दलों तक सीमित रहें और दूसरों तक न जाएँ।

iii. दलों की गहरी सामाजिक–आर्थिक विषमताओं और वंचना युक्त मुख्य चिंताओं को भी इसे दूर करना चाहिए।

iv. सुरक्षा का मतलब विकास होना चाहिए न कि सशस्त्र कार्रवाई जिनसे हर कीमत पर बचा जा सकता है।

v. सुरक्षा का मतलब आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा एवं छोटे और गंभीर अपराधों से सुरक्षा आदि क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा उपाय होना चाहिए।

आर्थिक और विकास अध्ययनों पर एक विख्यात विशेषज्ञ सबीना अल्किरे ने मानव सुरक्षा के उद्देश्य का वर्णन ''सभी मानव जीवन के महत्वपूर्ण मर्म को संकटपूर्ण व्यापक खतरों से दीर्घकालिक मानव पूर्ति के अनुरूप बचाना" के रूप में किया है। उनके काम को इस संदर्भ में पूर्ण रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मानव सुरक्षा की अवधारणा को विस्तृत रूप में बताया है। मानव सुरक्षा में निहित हैं : (i) गरीबी और हिंसा दोनों पर संयुक्त ध्यान केंद्रित करना; (ii) इसकी 'जन–केंद्रित' प्रकृति; (iii) बहुआयामिताय (iv) लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण मर्म पर सांस्कृतिक और व्यापक खतरा और (v) मानव सुरक्षा के उद्देश्य को सैद्धांतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रचालनात्मक नीतियों और परियोजनाओं में निर्दिष्ट और अनुवादित किया जाए ।

मानव सुरक्षा की अवधारणा की विस्तारपूर्वक व्याख्या निम्नांकित है :

1. मानव सुरक्षा का उद्देश्य मानव जीवन को हिंसक संघर्षों, रोगों आदि के खतरे से उपयुक्त संस्थानों द्वारा सुरक्षित रखना है और इस प्रकार सुरक्षा को संस्थागत बनाना है। खतरे की तुलना में मनुष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। मानव सुरक्षा मानव जीवन के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के बीच क्षमताओं के निर्माण जैसे कुछ पहलुओं को समाहित करना चाहती है।

2. मानव सुरक्षा 'जन केंद्रित' और मानव कल्याण से जुड़ी विकास की पहल है। इसका अर्थ है कि आयु, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता आदि पर ध्यान दिए बिना मानव सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

3. मानव सुरक्षा मानव जीवन और उसकी सरल एवं महत्वपूर्ण खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। सरल खतरों के अंतर्गत दैनिक रूप से परेशान करने वाली बुनियादी असुरक्षा आती है और महत्वपूर्ण खतरों के अंतर्गत मानव जीवन के बुनियादी कार्यों को प्रभावित करने वाली परेशानियाँ शामिल हैं।

4. मानव सुरक्षा का उद्देश्य शासन, भागीदारी, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से मानव आकांक्षाओं की पूर्ति करना है ।

5. मानव सुरक्षा एक वैश्विक अवधारणा है और इसमें दुनिया भर के क्षेत्र और देश शामिल हैं। सिर्फ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समुदायों को भी सामूहिक शांति और सुरक्षा में रहना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अपना योगदान देना चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें अभ्यास 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई के अंत में देखें।

1. मानव सुरक्षा, मानवाधिकारों और मानव विकास के बीच संबंधों का संक्षेप में वर्णन करें ।

.....

.....

.....

.....

.....

11.4 मानव सुरक्षा के विविध आयाम

अब तक हमने मानव सुरक्षा की अवधारणा और उद्‌भव के बारे में अध्ययन किया है । यह सभी कोणों से मनुष्यों के लिए एक संतुष्ट जीवन प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है । इसके विविध आयामों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. मानव सुरक्षा एक सामूहिक मुद्दा है। यह सुरक्षा के कुछ आयामों तक ही सीमित नहीं है, उदाहरण के लिए प्रादेशिक सुरक्षा। यह क्षेत्रीय मुद्दों से काफी परे है और पूरी दुनिया के व्यक्तियों में एक गुणवत्ता भरा जीवन लाना चाहता है। इसका संबंध आर्थिक पहलुओं से उतना ही है जितना सांस्कृतिक क्षेत्रों से।

2. इसमें मुद्दों का एक परस्पर संबन्धित आयाम है। उदाहरण के लिए, आर्थिक असुरक्षा संबंधित अपराध की ओर ले जा सकता है; कुपोषण से व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए, इसके अभिन्न दृष्टिकोण को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

3. मानव सुरक्षा एक जन केंद्रित अवधारणा है। इस अवधारणा का एकमात्र उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों के साथ–साथ पूरे समुदायों के सकुशल एवं सुरक्षित जीवन की दिशा में काम करना है।

4. मानव सुरक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें चिंता के मुद्दों की पहचान की जा सकती है और उन्हें प्रारंभिक अवस्था में हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अशांतध्प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके प्रारंभिक चरण से काम करना ताकि आगे के नुकसान को रोका जा सके।

मानव सुरक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं। यह विकसित और विकासशील राष्ट्र से; अमीर और गरीब लोगों से य संस्कृति को बनाए रखने से लेकर अपराधों से निपटने तक के मुद्दों से संबंधित है। हस्तक्षेप का तरीका एक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है।

11.5 मानव सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा

मानव सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा की तुलना अक्सर उनके मुख्य उद्देश्यों को समझने के लिए की जाती है।

1. पारंपरिक सुरक्षा राष्ट्रीय क्षेत्र और उसके लोगों की सुरक्षा से संबंधित है। मानव सुरक्षा प्रादेशिक सुरक्षा से अलग अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों की सुरक्षा से संबंधित है।
2. पारंपरिक सुरक्षा में केंद्र बिन्दु प्रादेशिक एकीकरण और राज्य की भौतिक सीमाओं की सुरक्षा होता है। फिर भी, दोनों परस्पर निर्भर अवधारणाएँ हैं। जब आक्रामकता का कोई वास्तविक खतरा नहीं होता है, तभी कोई राज्य अपने नागरिकों के लिए मानव सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
3. मानव सुरक्षा का वास्ता अधिकतर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, भोजन तथा अन्य संबंधित मुद्दों से होता है। पारंपरिक सुरक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना हैय जब कि मानव सुरक्षा और उसके उद्देश्य व्यक्तिध्समुदाय के बेहतर जीवन के लिए उनके विकास पर केन्द्रित होते हैं।
4. पारंपरिक सुरक्षा राज्य उन्मुख विषय है। मानव सुरक्षा जनोन्मुखी अखाड़ा है।
5. पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत बाहरी आक्रामकता और दुश्मनों से लोगों की सुरक्षा शामिल होती है। मानव सुरक्षा पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण, बीमारियों, अपराधों आदि जैसे खतरों से संबंधित होती है।
6. पारंपरिक सुरक्षा और संबंधित पहलू पूरी तरह से राज्य के दायरे में हैं। केवल सरकार ही निर्णायक भूमिका निभाती है। मानव सुरक्षा और संबंधित मुद्दे व्यक्तियों, समुदायों, गैर सरकारी, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समुदायों और संगठनों द्वारा निपटाये जाते हैं।
7. पारंपरिक और मानव सुरक्षा दोनों के उद्देश्य एक ही है – सभी प्रकार की असुरक्षाओं से लोगों की सुरक्षा। दोनों परस्पर निर्भर अवधारणाएँ हैं और एक ऐसे मजबूत प्रणाली की ओर इंगित करते हैं जिसमें लोगों का कल्याण मुख्य उद्देश्य होता है।

अपने प्रगति की जाँच करें अभ्यास 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई के अंत में देखें।

1. मानव सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा के बीच अंतर का संक्षेप में वर्णन करें ।

.....

.....

11.6 सारांश

मानव सुरक्षा की अवधारणा और उसकी क्रमागत उन्नति शीत युद्ध के बाद की घटनाओं, अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, रणनीतिक अध्ययन और मानवाधिकार सहित कई अनुसंधान क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुरक्षा की बहु–अनुशासनात्मक समझ का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (1994) की रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट को मानव सुरक्षा के क्षेत्र में विचारोत्तेजक प्रकाशन में से एक माना जाता है। रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बल दिया गया है जो सर्वसाधारण के लिए प्रयोज्य है – 'आवश्यकता से स्वतंत्रता' और 'भय से स्वतंत्रता' ।

ये दोनों अवधारणाएँ दो स्तंभों की तरह हैं जो मानव सुरक्षा की अवधारणा की पवित्रता को नयी ऊँचाई देते हैं। यूएनडीपी की सात श्रेणियों के खतरों में से अधिकांश को लगातार निगरानी और नीति निर्माण के कारण पर्याप्त वैश्विक ध्यान और संसाधन प्राप्त होंगे । इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि मानव सुरक्षा के लिए इन पहलुओं से दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ उभरकर सामने आईं हैं। एक, ''भय से स्वतंत्रता'' और दूसरा "आवश्यकता से स्वतंत्रता" है। यूएनडीपी 1994 की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि मानव सुरक्षा के लिए भय और आवश्यकता दोनों से स्वतंत्रता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। लोग किस तरह के खतरों का सामना करते हैं, दुनिया के किस हिस्से से आते हैं और उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहल क्या है, इन बातों पर आधारित होने के कारण इन अवधारणाओं में समय के साथ–साथ भिन्नताएँ रहीं हैं। इसके अलावा, इन खतरों का उत्तर देने के लिए तंत्र में व्यापक रूप से भिन्नता है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन पर भी गहन विचार किया गया है। मानव सुरक्षा के लिए चिंता 20 वीं सदी के शुरू में दुनिया को हिलाकर रख देने वाली युद्ध के कारण हुए व्यक्तिगत एवं राष्ट्रव्यापी नुकसान की वजह से और गहन हो गयी। बाद में आए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस चिंता को आगे बढ़ाया और लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा और सकुशलता को सुरक्षित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

11.7 संदर्भ ग्रंथ

अल्कीरे, साबिना, (2003), *ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन सिक्यूरिटी,* (सीआरआईएसई), वर्किंग पेपर 2, लन्दन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड (ऑनलाईन)

कैरोलीन, थॉमस, (2000), *ग्लोबल गवर्नेंस, डेवलपमेंट एण्ड ह्यूमन सिक्यूरिटी : दि चैलेंजेज ऑफ पूवर्टी एण्ड इनइक्वेलिटी,* लन्दन : प्ल्यूटो प्रेस।

महबूब–उल–हक़, (1999), *रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट,* लंदन : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

किंग, गैरी, एण्ड क्रिस्टोफर मुर्रे, रिथिंकिंग ह्यूमन सिक्यूरिटी, *पॉलिटिकल साइंस क्वार्टर्ली,* वॉल्यूम–116, नं.64

सोमाविया, जुआन, (1999), *पीपल'ज सिक्यूरिटी–ग्लोबलाइजेशन सोशल प्रोग्रेस,* यूएनडीपी, 1994, *ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,* न्यू यॉर्क : ओयूपी।

11.8 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यासों के उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए

मानव सुरक्षा की परिभाषा 1994 की यूएनडीपी रिपोर्ट में परिभाषित मानव सुरक्षा के रूप में।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2

आपके जवाब में मानव सुरक्षा, मानवाधिकारों और मानव विकास के बीच संबंध शामिल होना चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3

आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए

पारंपरिक राज्य सुरक्षा के विचार के खिलाफ मानव सुरक्षा के रूप का वर्णन।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY